**षोडश माला, खंड 6, अंक 16** **सोमवार, 15 दिसम्बर, 2014**
**24 अग्रहायण, 1936 (शक)**

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

## तीसरा सत्र
## (सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

*(खंड 6 में अंक 11 से 20 तक हैं)*

**लोक सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**

**सम्पादक मंडल**

उत्पल कुमार सिंह
**महासचिव**
**लोक सभा**

ममता केमवाल
**संयुक्त सचिव**

अमर सिंह
**निदेशक**

कीर्ति यादव
**संयुक्त निदेशक**

**© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

---

**लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (**Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

# विषय-सूची

**षोडश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2014 / 1936(शक)**
**अंक 16, सोमवार, 15 दिसम्बर, 2014 / 24 अग्रहायण, 1936 (शक)**


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **सदस्य द्वारा निवेदन** | |
| केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कथित दुरुपयोग के बारे में | 16-18 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 306 | 19-44 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 307 से 320 | 45 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 | |


* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

**सभा पटल पर रखे गए पत्र** 46-49

**संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा)**

**विवरण** 50

**कार्य मंत्रणा समिति**

**9वां प्रतिवेदन** 51

**श्रम संबंधी स्थायी समिति**

**पहला और दूसरा प्रतिवेदन** 51

**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य** 52-56, 71-74

(एक) 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना

श्रीमती सुषमा स्वराज 52-55

(दो)(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 253वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा' के बारे में समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कलराज मिश्र 55-56

(तीन) आईएसआईएस की ओर से ट्विटर हैंडल चलाने वाले एक युवक की गिरफ्तारी।

श्री राजनाथ सिंह 71-74

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** 57-73

देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

श्री पी.वी. मिदून रेड्डी 57, 60-65

श्री जगत प्रकाश नड्डा 57-60

**नियम 377 के अधीन मामले** 98-113

(एक) बिहार के बेतिया जिले में गंडक नदी पर पखनाहा तथा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तमकुही के बीच पुल बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय जायसवाल 98

(दो) उत्तर प्रदेश में अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गजरौला में औद्योगिक कारखानों द्वारा बागड़ नदी में अपशिष्ट बहाए जाने पर रोक लगाने हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री कंवर सिंह तंवर 99

(तीन ) संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किये जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 100

(चार) मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के लिये जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा तथा वैकल्पिक भूमि दिये जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 101

(पांच) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं तथा यात्री सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता

कर्नल सोनाराम चौधरी 102-103

(छह) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीवर प्रणाली सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा राज 104

(सात) उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किये जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी 105

(आठ) अहमदाबाद और उदयपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किये जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री डी. एस. राठौड़ 106

(नौ) असम में चाय श्रमिकों को रियायती दर पर राशन की आपूर्ति जारी रखे जाने की आवश्यकता

श्री गौरव गोगोई 107

(दस) तमिलनाडु में चेन्नई, रामनाथपुरम और तूतीकोरिन में पानी का खारापन दूर किये जाने हेतु संयंत्र स्थापित किये जाने के लिए निधि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री जे. जे. टी. नट्टर्जी 108

(ग्यारह) देश में एम्ब्रयोनिक स्टेम सेल पर शोध कार्य करने की अनुमति जारी रखे जाने तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त निधि प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश त्रिवेदी 109

(बारह) ओडिशा में इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड द्वारा उत्पादित खनिजों से मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन किये जाने की आवश्यकता

डॉ. सिद्धांत महापात्रा 110

(तेरह) मुंबई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्सोवा तथा मढ़ में जेट्टियों का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता

श्री गजानन कीर्तिकर 111

(चौदह) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मछुआरों को पर्याप्त सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु 112

(पंद्रह) विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किए जाने तथा उनकी लड़कियों की शादी के लिये वित्तीय सहायता

बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर 113

**सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014** 118-179

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव 118

श्री एम. वैंकैय्या नायडू 118-122
139-143
169-178

कुमारी सुष्मिता देव 123-127

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 127-132

श्री आर. गोपालकृष्णन 133-135

प्रो. सौगत राय 135-138

श्री पी. के. बिजू 143-145

डॉ. किरिट सोमैया 146-149

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 149-153

श्री तथागत सत्पथी 153-155

श्री बी. विनोद कुमार 155-157

श्री अक्षय यादव 157-158

श्री राजेश रंजन 158-160

श्री कौशलेन्द्र कुमार 161-162

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा 162-165

डॉ. अरुण कुमार 165-166

श्री दुष्यंत चौटाला 166-167

श्री एन. क्रिष्टप्पा 168-169

खंड 2 से 6 और 1 178

पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव 179

**सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित किए गए**

(एक) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014 187

(दो) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2014 188

**नियम 193 के अधीन चर्चा** 189-211

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कथित रूप से निष्प्रभावी बनाए जाने की सूचना

श्री वी. एलुमलाई 189, 190

श्री अभिषेक बनर्जी 190-195

श्री कलिकेश एन. सिंह देव 196-201

श्री जैदेव गल्ला 201-204

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी 205-208

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 208-211

# लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्रीमती सुमित्रा महाजन

**उपाध्यक्ष**

डॉ. एम. तंबिदुरै

**सभापति तालिका**

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के. एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

**महासचिव**

श्री अनूप मिश्र

**लोक सभा वाद-विवाद**

---

---

**लोक सभा**

---

सोमवार, 15 दिसंबर, 2014 / 24 अग्रहायण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*]

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

**श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली):** महोदया, हमने एक नोटिस दिया था। … (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं प्रश्नकाल के बाद आपको अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको 'शून्यकाल' के दौरान अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

**<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>**

*इस समय, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

**<u>पूर्वाह्न 11.01 ½ बजे</u>**

*इस समय, श्री अभिषेक बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

… (*व्यवधान*)

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू):** माननीय अध्यक्ष महोदया, ए.आई.ए.डी.एम.के. सदस्यों द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसने

उन्हें आंदोलित किया है, सरकार ने उसका संज्ञान ले लिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने इसके द्वारा आयोजित परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे थे जो दोषी व्यक्तियों आदि के बारे में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थे। ... (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, आपको अपने स्थान पर वापस जाना होगा। आप सभा के बीचों बीच आकर नहीं बोल सकते। आपको अपने स्थान पर वापस जाना होगा और फिर बोलना होगा।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** सरकार ने पहले ही इसका संज्ञान ले लिया है । हम संबंधित लोगों को आवश्यक सलाह देंगे। इसके बारे में निश्चिंत रहें। मैंने पहले ही कहा है कि यह एक प्रासंगिक प्रश्न नहीं था। ... (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं और आप यहां से नहीं बोल सकते।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** महोदया, यहां तक कि सी.बी.आई. के मुद्दे पर, सरकार... (*व्यवधान*) कृपया अलग से एक नोटिस दे।

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री महोदय, उन्हें अपने स्थानों पर वापस जाने दें और तभी आप कुछ बोल सकते हैं। माननीय सदस्यगण, पहले आप अपने स्थान पर वापस जाएं । यह इस तरह नहीं हो सकता। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (*व्यवधान*)

**<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>**

*इस समय, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य* अपने-अपने स्थान *पर वापस चले गए।*

[अनुवाद]

**श्री पी. कुमार:** महोदया, हाल ही में, रेलवे बोर्ड ने एक परीक्षा आयोजित की, जहां उन्होंने गलत तरीके से प्रश्न संख्या 43 शामिल कर लिया है। माननीय *पुरात्ची थलाइवी* अम्मा तमिल लोगों की और कई अन्य भारतीयों की भी भगवान हैं। उन्होंने गलत तरीके से नाम शामिल किया है। मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। यह कार्रवाई बेहद निंदनीय है। इसलिए, सरकार को तुरंत रेलवे बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** मैंने पहले ही सभा में बता दिया है कि यह मुद्दा हमारे संज्ञान में आ गया है। हम इस मामले को रेलवे बोर्ड के साथ उठाएंगे और तदनुसार उनको सलाह भी देंगे। यह प्रश्न बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह प्रश्न क्यों उठाया। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस मामले को रेलवे बोर्ड के साथ उठाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। … (*व्यवधान*)

इस मामले में भी सरकार ने ... (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** मंत्री महोदय, उन्हें अपने स्थान पर वापस जाने दें। यह इस तरह नहीं हो सकता। उन्हें अपने स्थानों पर वापस जाने दें, यदि वे सुनना चाहते हैं कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अन्यथा, आप कैसे कुछ कह सकते हैं?

… (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** यदि आप कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो आपको अपने स्थानों पर जाना चाहिए और फिर मंत्री जी कुछ कहेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। मुझे खेद है। यदि आप *हल्ला गुल्ला करना चाहते हैं,* तो आप ऐसा कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है।

**पूर्वाह्न 11.05 बजे**

*इस समय, प्रो. सौगत राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।*

**माननीय अध्यक्ष:** वास्तव में, यह प्रक्रिया नहीं है। एक विशेष मामले के तौर पर, मैं आपको अनुमति दे रही हूं। [हिन्दी] सौगत राय जी, इसको हमेशा की बात मत बनाइए।

... (व्यवधान)

**पूर्वाह्न 11.06 बजे**

## सदस्य द्वारा निवेदन

## केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कथित दुरुपयोग के बारे में

[अनुवाद]

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** आज मैंने केन्द्र सरकार द्वारा सी.बी.आई. के दुरुपयोग पर ध्यानाकर्षण और शून्य काल के लिए नोटिस दिया है। सी.बी.आई. देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन अतीत में, जब सत्ता पक्ष विपक्ष में था, तो वे सी.बी.आई. को कांग्रेस अन्वेषण ब्यूरो कहते थे। उच्चतम न्यायालय ने सी.बी.आई. को 'पिंजरे में बंद तोता' करार दिया है। सी.बी.आई. के पूर्व निदेशक ... [1*] को 2जी घोटाले की जांच से अलग रहने के लिए कहा गया था।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** नाम मत लीजिए।

[अनुवाद]

**प्रो. सौगत राय:** अब, सत्ता में बैठे लोगों और सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष के उकसावे पर सी.बी.आई. ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला शुरू कर दिया है और वे टी.एम.सी. नेताओं को गिरफ्तार करके राज्य सरकार को अपने अधीन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि सी.बी.आई. को प्रधानमंत्री के नियंत्रण से हटाकर लोकपाल को देना होगा। इसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है।

---

[1*] *कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया*

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** महोदया, इसकी अनुमति नहीं है। सौगत जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने 'शून्य काल' के लिए नोटिस दिया है और ध्यानाकर्षण के लिए नोटिस दिया है। यह अध्यक्षपीठ पर है कि वह किस तरह से स्वीकार करें। ... (*व्यवधान*) सुल्तान अहमद जी, टिप्पणी न करें। माननीय सदस्य ने जगदम्बिका पाल का नाम लिया है। मैं, हम सभी से एक-दूसरे का सम्मान करने का अनुरोध करता हूँ।

महोदया, उन्होंने मेरी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में एक टिप्पणी की है। मैं इसकी पूरी तरह निंदा करता हूं।

दूसरी बात यह है कि कानूनी लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कानूनी कार्रवाई से पीड़ित है, तो उनके लिए अन्य रास्ते उपलब्ध हैं। ... (*व्यवधान*) सरकार सी.बी.आई. के दुरुपयोग में विश्वास नहीं करती है। वह शासन चला गया है जिसका आप पहले समर्थन कर रहे थे। वह शासन चला गया है। अब यह सरकार सी.बी.आई. को पूरी आजादी देती है। आश्वस्त रहें लेकिन साथ ही, दागी लोगों के बचाव में न आएं। आपकी अनावश्यक रूप से बदनामी भी होगी। यह मेरी सलाह है। .... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** महोदया, मंत्री जी द्वारा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के पश्चात् एमएसएमई विभाग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनके कारण छोटे उद्यमियों का आत्मविश्वास बढ़ा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** महोदया, नियम 349 कहता है कि वे तस्वीरों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वह फोटो दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से आपत्तिजनक है। ... (*व्यवधान*) मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करता हूँ कि वह सदस्य का नाम बताएं। अन्यथा, यह एक प्रथा बन जाएगी।

**माननीय अध्यक्ष:** सुल्तान अहमद जी, यह उचित नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। मुझे खेद है।

... (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** सुल्तान अहमद जी, कृपया पोस्टर न दिखाएं। मैं आपसे विनती कर रही हूं। इसकी अनुमति नहीं है।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** उस पोस्टर को वापस लेना होगा। यह एक बहुत बुरी मिसाल है। यह बाजार से कुछ लाने और फिर इसे सभा में लाने और कुछ ऐसा दर्शाने की कोशिश करना एक खराब परंपरा है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। नियम 349 (चौदह) यह कहता है कि इसकी अनुमति नहीं है।

**<u>पूर्वाह्न 11.09 बजे</u>**

*इस समय प्रो. सौगत राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

---

**पूर्वाह्न 11.10 बजे**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर[2]

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न सं. 301, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

**(प्रश्न संख्या 301)**

[हिन्दी]

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार झारखण्ड में प्रायरिटी लेंडिंग स्कीम के तहत कृषि आधारित उद्योग एवं सूक्ष्म-लघु उद्योगों के विकास के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने के लिए और एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु संबंधित विभाग एवं बैंक्स को उत्तरदायी बनाने के लिए, उनको दण्डित करने के लिए प्रभावी कानून बनाने की बात है। लघु उद्यमियों के पैंडिंग आवेदन और स्वीकृत आवेदन का शीघ्र से शीघ्र निष्पादन हो। यदि हां तो यह कब तक किया जायेगा और यदि नहीं किया गया है तो इसकी पूरी जानकारी क्या है?

**श्री कलराज मिश्र :** महोदया, माननीय सदस्य ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के संबंध में, उनके विकास के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में बड़े विस्तार से प्रश्न किया है और मैंने पूरे विस्तार के साथ उसका उत्तर

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

भी दिया है। उसमें उन्होंने झारखंड के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाही है। कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्यमों के विकास के लिए मंत्रालय क्या करने जा रहा है, इस संबंध में उन्होंन प्रश्न पूछा है।

दूसरा प्रश्न पूछा है कि जो अस्वीकृत हुए हैं या पैंडिंग एप्लीकेशंस हैं, उनके निपटान के लिए क्या कियक? मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड में वैसे पूरे लघु उद्यमियों की संख्या छः लाख से ऊपर है, जिसमें पंजीकृत केवल 14 हजार हैं और इसमें लगातार जो भी काम होता है, वह चूंकि व्यक्तिगत प्रयास के आधार पर ही होता है। जो भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के अंतर्गत चीजें आयेंगी, उनके मापदंड के आधार पर निश्चित रूप से उन्हें स्वीकृत किया जायेगा और सरकारी स्तर पर दी जा रही सुविधाएं जो विशेष रूप से संयंत्र की दृष्टि से होती है, उसके लिए स्वीकृति प्रदान भी की जायेगी।

जहां तक पैन्डिंग एप्लीकेशंस के निराकरण का प्रश्न है, मैं बताना चाहूंगा कि मंत्रालय की तरफ से चाहे बैंक के द्वारा ऋण लेने का प्रश्न होगा, उसमें दी गई एप्लीकेशंस होंगी, चाहे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत दी गई होंगी, सभी का निपटान हमने तीन महीने के अंतर्गत ऑन लाइन कर दिया और लगभग सब पूर्ण हो गये हैं और उसकी प्रक्रिया हमने इस तरीके से प्रारम्भ की है कि सारी एप्लाकेशंस आ जायेंगी, ऑन लाइन होंगी और उन्हें निपटाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि वर्तमान में झारखंड प्रदेश और बिहार में ऐसा देखने को मिला है कि कृषि आधारित या छोटे उद्योग बंदी के कगार पर हैं, चूंकि सरकारी बैंक के द्वारा ऋण की व्यवस्था करने की बात है या उन्हें और भी सपोर्ट मिलने की बात है, उसमें उन्हें काफी कुछ मिलता नहीं है। जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि तीन महीने में सबका निपटान कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति बहुत बुरी है। मैं मंत्री जी से निवेदनपूर्वक कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ी रफ्तार और तेज की जाए, ताकि जो गांव देहात के लोग हैं, वे इसका फायदा उठा सकें।

**माननीय अध्यक्ष :** वह करेंगे, सुझाव है।

**श्री कलराज मिश्र :** माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, हम इसे और पूर्ण करने की दिशा में प्रयत्न करेंगे।

**श्री रामा किशोर सिंह :** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने उत्तर विस्तारपूर्वक दिया है। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्न 'ख' के उत्तर में कहा है कि उद्यमों की स्थापना व्यक्तिगत प्रयास है, जिसके लिए परियोजना की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता आदि की जांच करने के पश्चात बैंक वित्तीय संस्थान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार बिहार सहित देश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की स्थापना, आधुनिकीकरण और विकास के लिए प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र पर संबंधित उद्यमियों के आवेदनों, शिकायतों का निष्पादन, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक निर्धारित समय के अंतर्गत करने, जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमियों के लिए उपस्थिति पंजा उपलब्ध कराने, उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत आवेदनों को सीधे बैंक भेजकर उद्यमियों को ऋण सुनिश्चित कराने और नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकर्स या अधिकारियों को दंडित करने हेतु भावी कदम उठाने का सरकार के द्वारा यदि कोई विवरण है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्री कलराज मिश्र :** अध्यक्ष महोदया, माननीय महोदय ने दो भागों में प्रश्न पूछा है। एक तो इन्होंने व्यक्तिगत प्रयास कहा है। व्यक्तिगत प्रयास जरूर है लेकिन उसमें तेजी लाने के लिए हम कई अवेयरनैस कार्यक्रम कर चुके हैं और लगातार करते रहते हैं। इस बार के हमने 1474 अवेयरनैस कार्यक्रम किए हैं। पिछले तीन वर्षों के अंदर 8633 अवैयरनेस के कार्यक्रम हुए हैं, जिसके अंतर्गत उद्यमी आगे बढ़े हैं। दूसरा, बैंकों की समीक्षा की दृष्टि से माननीय सदस्य ने कहा है कि उसके कारण काफी परेशानी होती है और जिला स्तर पर जो शिकायतें की जाती हैं, उसका निस्तारण नहीं होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि बैंकों के कारण लघु उद्यमियों को काफी कठिनाई आ रही है। समय से कर्जा न उपल्ध होने के कारण बहुत सारे उद्यम बंद हो रहे हैं। इनका एनपीए हो रहा है, एनपीए हो जाने के कारण उनकी कठिनाई बढ़ती है। इसके निस्तारण के लिए जैसे उन्होंने

सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही है, उस दिशा में हमारा प्रयास जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक फॉर्मेट बकायदा इंटरनैट पर रखा जाए ताकि उद्यमियों को इधर-उधर भटकना न पड़े और एप्लिकेशन के माध्यम से सुविधापूर्वक वे अपने उद्यम को प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

[अनुवाद]

**श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:** महोदया, देश में युवा उद्यमियों को एम.एस.एम.ई. स्थापित करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है। एम.एस.एम.ई. विभाग के पास यह पता लगाने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है कि बैंक ऋण के माध्यम से युवा उद्यमियों को दी गई धनराशि का सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं, और क्या जिन लोगों को धन दिया जाता है, उन्होंने वास्तव में उन्हें दिए गए अवसर का उपयोग किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एम.एस.एम.ई. योजना के तहत इस ऋण का उपयोग करने वाले युवा उद्यमियों की सफलता का प्रतिशत क्या है।

[हिंदी]

**श्री कलराज मिश्र:** महोदया, उसकी मॉनिट्रिंग की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक समिति बनाई है। विभाग के सैक्रेट्री उसके अध्यक्ष होते हैं। उसमें कई अन्य लोग हैं, बैंकों के भी प्रतिनिधि हैं। उस आधार पर हम उसकी मॉनिट्रिंग करते हैं और जहां तक आपने दूसरा प्रश्न किया है कि प्रतिशत क्या है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितनी भी यूनिट्स इस समय काम  रही हैं या बंद पड़ी हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसके बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस समय पूरे देश भर में पंजीकृत और अपंजीकृत, 3 करोड़ 60 लाख इकाइयां हैं। लेकिन इस समय जो सिक नट्स हैं, जो बंद पड़ी हैं, वे लगभग 4 लाख से ऊपर हैं। यह निश्चित ही एक कठिनाई है। उसके रिवाइवल के लिए हमारी तरफ से कोशिश चल रही है। उसके लिए भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं। यह स्थिति है। इसमें प्रतिशत तो हमने अभी निकाला नहीं है। [अनुवाद] लेकिन उसका स्वरूप यह है।

**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :** अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने डिटेल में अपना उत्तर दिया है, लेकिन हमें यह अनुभव होता है कि जब-जब हम विजिलेंस मॉनिट्रिंग कमेटी की बैठक लेते हैं, उसमें भी बैंकों के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। अफसरों के साथ चर्चा करने बाद भी हमें वहां पर रिज़ल्ट कुछ नहीं मिल पाते हैं। हम देखा रहे हैं कि हमारे देश में बेरोज़गार युवाओं की इतनी संख्या बढ़ रही है कि हम उन्हें कोई नया रोज़गार भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लघु और मध्यम उद्योग की बात हम करने जा रहे हैं। आपने कहा कि अभी ऑन लाइन शुरूआत की है, नई शुरूआत हुई है।

महोदया, महाराष्ट्र के विदर्भ में कभी सूखा पड़ता है, कभी वहाँ बारिश होती है और बाढ़ आती है, देश में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जहाँ कुछ भागों में बहुत कठिनाई के साथ लोग अपना गुजारा करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जहाँ पर लोगों को जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और रोजगार के जो अवसर वहाँ के लोगों को मिलने चाहिए, क्या सरकार ऐसे राज्यों के लिए अलग से कोई नीति बनाने जा रही है? यहाँ पर सूखे की बात हुई है। क्या हम ऐसे राज्यों के लिए कोई अलग से नीति बनाने जा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहती हूँ।

**श्री कलराज मिश्र :** महोदया, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया है, उसे प्रश्न के रूप में नहीं, उसे सुझाव के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ और हम इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से विचार करेंगे।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 302 लेंगे।

श्री पी. आर. सेनथिलनाथन - उपस्थित नहीं।

**(प्रश्न संख्या 302)**

[हिन्दी]

**श्री रत्न लाल कटारिया:** महोदया, किसी भी देश की उन्नति के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत महत्व रखता है। यू.पी.ए. के शासनकाल में पॉलिसी पैरालाइसिस की वजह से करोड़ों कार्य दिवस की क्षति हुई है और हजारों करोड़ रूपये का नुकसान तालाबन्दी और हड़ताल की वजह से हुआ है। भविष्य में उस प्रकार की स्थिति देश में नहीं बननी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा कि मालिक और मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाने के लिए मंत्रालय ने क्या-क्या कदम उठाये हैं, ताकि वे आपस में एक-दूसरे को एक-दूसरे का प्रतिद्वन्दी न समझकर राष्ट्र के निर्माण में मिलकर काम करें। अगर इस प्रकार की कोई पॉलिसी प्रनाउन्समेंट हमारी सरकार ने की है तो उसके बारे में माननीय मंत्री जी सदन को अवगत कराएं।

[अनुवाद]

**श्री बंडारू दत्तात्रेय:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही सभा को जानकारी दे दी है। वर्ष 2011 में, 179 हड़तालें हुई थीं जिसके कारण 46,96,807 श्रम-दिन की हानि हुई थी । वर्ष 2012 में, 265 हड़तालें हुई थीं और 28,49,753 श्रम-दिन की हानि हुई । वर्ष 2013 में, 178 हड़तालें हुईं जिसके परिणामस्वरूप 28,66,000 श्रम-दिन की हानि हुई । इसलिए, मैं श्रम-दिन की हानि के संदर्भ में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उसमें कमी होने की प्रवृत्ति देखी गई है, विशेष रूप से वर्ष 2014 में जो 89 हड़ताल और 11,67,987 श्रम-दिन की हानि हुई है। इस प्रकार, इस रूझान में पहले से ही गिरावट देखी जा रही है और नियोक्ता और कर्मचारी के बीच औद्योगिक संबंध बहुत सौहार्द्रपूर्ण हैं। जब भी आवश्यकता होती है, तो तालाबंदी के मामलों में भी, इस सरकार ने मुख्य रूप से त्रिपक्षीय बैठकों पर जोर दिया है। जब भी हड़ताल,

तालाबंदी या ऐसी कोई चीज उत्पन्न होती है, तो हम सबसे पहले सुलह के तरीके अपनाने का प्रयास करते हैं । [हिन्दी] पहले समझौता किया जाता है। यदि समझौते से नहीं हो पाता है तो जो हमारे आसिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं और राज्य के अधिकारियों से भी हम लोग बात करते रहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा बात करके समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम इसी आधार पर काम करते हैं।

**श्री रत्न लाल कटारिया :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि तालाबंदी और हड़तालों की वजह से हमारे देश में लाखों मज़दूर अपनी आजीविका खोते रहे हैं। आई.एल.ओ. की भी इस प्रकार की बहुत सी रिपोर्टें पहले आई हैं और अभी सत्यार्थी जी को भी इसी विषय पर नोबल पुरस्कार मिला है। औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योग ऐसे हैं, जैसे शीशा उद्योग है, दियासलाई बनाने का उद्योग है, जहाँ पर बच्चों से काम लिया जाता है। हम यह चाहते हैं कि अब वर्तमान सरकार के रहते इस प्रकार की स्थिति देश में न बने, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और हमारे मज़दूरों का भविष्य सुनिश्चित हो, इस प्रकार का एक बहुत अच्छा वातावरण बनाने के लिए मंत्रालय ने क्या-क्या कदम उठाए हैं तथा उनके रीहैबिलिटेशन के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं? जो भी डिसप्यूट्स चल रहे हैं, उनके सैटलमैंट का तथा डिसप्यूट्स के सॉल्व होने का कितना परसेंटेज है?

[अनुवाद]

**श्री बंडारू दत्तात्रेय:** महोदया, प्रश्न दो भागों में है। सबसे पहले, वह इस सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा, वह न्यायालय में लंबित मामलों के बारे में पूछ रहे हैं।

जहां तक न्यायालयों के मामलों का संबंध है, मैंने पहले ही उल्लेख किया है, हम सुलह संबंधी तरीकों को प्राथमिकता देते हैं। बहुत सारे सांविधिक प्राधिकरण भी हैं। उन प्राधिकरणों की समितियों, न्यायाधिकरणों और अदालतें जैसी अपनी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन हम सुलह संबंधी तरीकों को बहुत महत्व देते हैं। न्यायालय के सभी मामले औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत आते हैं। वर्ष 2012 में, विभिन्न अदालतों में कुल 10,290

मामले लंबित थे, जिनमें से 6029 मामलों का निपटान कर दिया गया है और अभी भी 4261 मामले लंबित हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2014-15 में, कुल 5546 मामले लंबित थे, जिनमें से 1077 मामलों का निपटान किया गया था और अभी भी 4469 मामले लंबित हैं।

माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली यह सरकार असंगठित क्षेत्र पर अधिक ध्यान दे रही है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह कुल कार्य बल का 93 प्रतिशत है। इसलिए हमारा जोर इस क्षेत्र पर है और यदि इस पर आगे कोई प्रश्न आता है तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

**श्री के. एन. रामचंद्रन:** महोदया, कुछ बड़े उद्योग बिना पूर्व सूचना के अचानक बंद हो गए। उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, नोकिया ने अचानक अपनी इकाई को बिना पूर्व सूचना के बंद कर दिया और इसकी वजह से लगभग 5000 कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**श्री बंडारू दत्तात्रेय:** महोदया, तमिलनाडु के माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह हमारे लिए भी बहुत गंभीर चिंता का विषय है। नोकिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जनवरी 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र में श्रीपेरम्बुदुर में एक संयंत्र स्थापित किया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू कर देनदारी के कारण कंपनी घाटे में आ गई। माइक्रोसॉफ्ट से ऑर्डर भी नहीं थे। इस संयंत्र के माइक्रोसॉफ्ट में हस्तांतरण से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने रु.3500 करोड़ की गारंटी राशि देने के लिए मार्च 2014 में एक अलग कर का आदेश दिया था। यह कर विभाग द्वारा लगाई गई सीमा और योजना की अंतिम अवधि व्यवहार्यता के हित में कारखाने के हस्तांतरण के लिए संभावित अवसरों की खोज को रोकने के कारण है। अब, माननीय सदस्य ने योजना के निलंबन के बारे में पूछा है, योजना के बंद होने के कारण, लगभग 6600 कर्मचारियों की सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई हैं और लगभग 10000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। इसमें,

प्रतिष्ठान ने परामर्श सेवाओं, रोजगार और प्रशिक्षण जैसी कुछ अच्छी पहल की पेशकश की है। हम उनके साथ परामर्श कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** हो गया। आप बाद में उनसे मिल लें।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** अभी प्रश्न खत्म हो गया है। फिर कभी पूछ लें।

... (व्यवधान)

**(प्रश्न संख्या 303)**

[अनुवाद]

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** महोदया, इस सरकार के पहले रेल मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि रेल मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा से संबंधित मामलों पर होगी। हम सभी इस तरह के बयान से खुश हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करने के लिए डॉ. अनिल काकोदकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। काकोदकर समिति ने 106 सिफारिशें की हैं और काकोदकर समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक सरकार के अधीन रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करना था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि काकोदकर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के साथ-साथ उसके कार्यान्वयन की स्थिति के लिए इस सरकार ने क्या ठोस उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

**श्री मनोज सिन्हा :** अध्यक्ष महोदया, आनिल काकोदकर समिति की जो संस्तुतियाँ हैं, उनमें से कुछ को पिछले दिनों रेलवे ने इंप्लीमैंट किया है। कुछ बाकी रह गई हैं जो आने वाले दिनों में अनुमोदन के पश्चात निश्चित रूप से इंप्लीमैंट कर दी जाएँगी।

जहाँ तक सेफ्टी मीज़र्स का सवाल है, बजट में निश्चित रूप से पूर्व मंत्री जी ने सेफ्टी को लेकर चिन्ता भी ज़ाहिर की थी और जो बजट एलोकेशन है, 33 हज़ार करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 43 हज़ार करोड़ रुपये पिछले दो वर्षों में किया गया है, मैं समझता हूँ वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दो वर्षों में 10 हज़ार करोड़ रुपये की वृद्धि इस मद को लेकर हुई है। यह रेलवे के लिए टॉप प्रायॉरिटी का विषय है और निश्चित रूप से इस दिशा में रेलवे प्रयत्नशील है।

[अनुवाद]

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** अध्यक्ष महोदया, दुर्भाग्य से वरिष्ठ मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं । वह अपने व्यावसायिकता के लिए जाने जाते हैं... (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** परंतु माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है । आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होनें आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। वह इसके लिए पात्र हैं।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** महोदया, मैं उन पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। मैं केवल उस मंत्री की महानता के बारे में बोल रहा हूँ। वह अपनी व्यावसायिकता और गतिशीलता के लिए जाने जाते हैं। वह महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से आते हैं।

महोदया, आप बेहतर जानती होंगी कि प्रत्येक मानसून के दौरान कोंकण मार्ग पर यात्रियों को भारी भूस्खलन के कारण भारी कठिनाई और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे अपने परिवार को मानसून के दौरान इस मार्ग पर एक दर्दनाक अनुभव हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मार्ग पर मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि कोंकण मार्ग के दोहरीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री मनोज सिन्हा:** अध्यक्ष महोदया, मूल प्रश्न से इस प्रश्न का बहुत संबंध नहीं है, लेकिन जो जानकारी माननीय सदस्य ने कोंकण रेलवे के संदर्भ में चाही है, उसका लिखित उत्तर इनके पास दे दिया जाएगा, एक-दो दिन में मैं भिजवा दूँगा। ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह सेफ्टी का ही प्रश्न है और वहाँ लैंडस्लाइड होती है, यह बात सही है।

[अनुवाद]

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको संरक्षण दे रही हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बोल रही हूँ।

[हिन्दी]

**श्री मनोज सिन्हा:** अध्यक्ष महोदया, मानसून के दौरान जो उपाय करने होते हैं, वह हर साल रेलवे किया करती है लेकिन जब बारिश अधिक हो जाती है, जब रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कठिनाई होती है। उस क्षेत्र में पानी के कारण ये कठिन स्थितियाँ आती हैं, लेकिन निश्चित रूप से यह सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय रहा है और उस पर रेलवे बराबर गंभीर रही है।

[अनुवाद]

**श्री पी. के. बिजू:** अध्यक्ष महोदया, रेल मंत्री जी ने लिखित उत्तर सभा पटल पर रख दिया है।

महोदया, यह देखना चिंताजनक है कि 2,25,863 से अधिक रिक्तियां अकेले सुरक्षा पक्ष में मौजूद हैं। व्यय भाग के संबंध में, आर.ई. और वास्तविक आंकड़े दिए गए हैं। हम हर वर्ष बजटीय आवंटन खर्च कर रहे हैं और हम हर वर्ष 100 से अधिक ट्रेनें शुरू कर रहे हैं, लेकिन मंत्रालय का दावा है कि 2,25,863 रिक्तियों ने यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित नहीं किया है। लिखित उत्तर में कहा गया है कि प्रचालनात्मक निष्पादन दक्षता समुचित जनशक्ति आयोजना द्वारा बनाए रखी जाती है। यह गलत उत्तर है। पिछले महीने भी हमने एक दुखद रेलवे घटना देखी है और इसकी जांच चल रही है।

भारतीय रेल में सदस्य (विद्युत) का पद रिक्त है। जी.एम. और डी.आर.एम. के पद भी खाली हैं। सरकार ने केवल कुछ नैमित्तिक श्रमिकों और पैनल में शामिल मजदूरों की भर्ती की है, लेकिन वे महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए तैयार नहीं हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सड़कों और राजमार्गों से संबंधित स्थायी समिति ने रेलवे सुरक्षा आयोग के लिए स्वायत्तता की सिफारिश की। मैं जानना चाहता हूँ कि रेलवे सुरक्षा आयोग को स्वायत्तता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या वे इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री मनोज सिन्हा :** महोदया, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न एक साथ पूछे हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** आप केवल ऑटोनमी के बारे में ही जवाब दीजिए।

**श्री मनोज सिन्हा :** महोदया, 2 लाख 25 हजार पद रिक्त हैं, लेकिन उसमें सेफ्टी से संबंधित पद 1 लाख 28 हजार के आस-पास हैं। जहां 14 लाख 50 हजार कर्मचारी हैं, वहां इतने पद रिक्त होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और रेलवे में भर्ती का काम निरन्तर चलता रहता है। पिछली नवम्बर में 62 हजार पदों की लिखित परीक्षा रेलवे ने करायी है और 81 हजार पदों के लिए हमने विज्ञापन दिया हुआ है। प्रतिवर्ष का चार्ट हमने दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि इस दिशा में यह ऑन-गोइंग प्रोसेस है और यह चलता रहता। कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों की बात उन्होंने उठायी है, जैसे कि मैम्बर इलेक्ट्रिकल की बात कही है, कुछ जनरल मैनेजर के पद भी खाली हैं। सरकार उस प्रक्रिया में लगी हुई है और आपको पता है कि पदों की भर्ती की एक सरकारी प्रक्रिया है, जैसे ही अनुमति मिलेगी शीघ्र ही इन पदों को भर दिया जाएगा।...(व्यवधान)

**श्री जगदम्बिका पाल :** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मैं उनका आभारी हूं कि यात्रियों की सुरक्षा को उन्होंने सर्वाच्च प्राथमिकता दी है। जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2011-12 में 33,499 करोड़ रुपये का सुरक्षा का प्रावधान था तो हमारी सरकार ने 43,443 करोड़ रुपये का सुरक्षा के लिए प्रावधान किया है। निश्चित तौर से 10 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह भी वास्तविकता है कि 2,25,863 सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और देश के 16 रेलवे जोन्स में पद रिक्त हैं। इन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 62 हजार पदों का एग्जाम...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप प्रश्न पूछिए।

**श्री जगदम्बिका पाल :** महोदया, पिछले चार वर्षों में कुल 79 हजार की भर्ती की गयी। वर्ष 2011-12 में 23 हजार, 2012-13 में 28 हजार, वर्ष 2013-14 में 31 हजार हुई। इस तरह से इन दो लाख पदों की भर्ती तो अगले दस वर्षों में हो पाएगी। क्या माननीय मंत्री जी इस भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इसे टाइम बाउण्ड तरीके से करेंगे? यदि इम्पैनलमेंट के लिए रेलवे बोर्ड को मिनिस्ट्री भेजती है कि इतने रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आप करें और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम टाइम बाउण्ड हों, जिससे इन पदों को भरा जा सके। साथ ही माननीय मंत्री जी ने कहा...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपका प्रश्न हो गया है। एक साथ इतने प्रश्न नहीं होते हैं। आपका प्रश्न है कि टाइम बाउण्ड करना है।

**श्री जगदम्बिका पाल :** महोदया, हम एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ओवर एज असैट्स को बदलने की जो बात कही गयी है तो यूपी और बिहार में जो पुराने पुल हैं, जिनके कारण कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी मगहर में, गोरखपुर में...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आपका एक प्रश्न हो चुका है कि भर्ती को सरकार टाइम बाउण्ड करे।

**श्री जगदम्बिका पाल :** महोदया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है यदि माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें।

**श्री मनोज सिन्हा :** महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संदर्भ में मैंने पहले ही उत्तर दिया है कि 82 हजार पदों का विज्ञापन हमने निकाला है और विज्ञापन और भर्तियों के बावजूद प्रतिवर्ष इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लोग अवकाश प्राप्त करते हैं, कुछ लोगों की स्वाभाविक मौत हो जाती है। कुछ स्वत: रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसवे कारण पदों की रिक्ति रहती है और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पूरी तरह से ऑपरेशनल है। मैं समझता हूं कि भर्ती की प्रक्रिया ठीक है और यदि इसमें और तेजी लानी होगी तो इस पर हम विचार करके प्रभावी कार्रवाई करेंगे।

[अनुवाद]

**श्रीमती सुप्रिया सुले:** अध्यक्ष महोदया, उत्तर में माननीय मंत्री ने सुरक्षा और उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे नए एहतियाती तरीकों के बारे में विस्तार से बात की है। लोगों की आवश्यकता और प्रौद्योगिकी के बीच इतने बड़े अंतर के साथ, क्या आज हमें उन नौकरियों के अनुरूप शिक्षा मिल रही है जो प्रकृति में अधिक प्रौद्योगिकीय हैं?

महाराष्ट्र में, जहां से मैं आती हूँ, मुंबई उपनगरीय रेलवे अधिकतम यात्रियों लो लाती और ले जाती है। लोगों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारी नई प्रौद्योगिकी है जिसकी आवश्यकता है। क्या हम नई तकनीक के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या जनशक्ति और नई तकनीक मेल खाती है?

[हिन्दी]

**श्री मनोज सिन्हा :** माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि नयी टैक्नोलॉजी का उपयोग हम बराबर करते रहते हैं। सेफ्टी ड्राइव भी रेलवे चलाती है और अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम

भी हम निरंतर जारी रखते हैं। सुरक्षा की वृद्धि के लिए हम अनेक प्रकार के नये उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे अभी आरडीएसओ ट्रेन कॉलिजन एवॉइडेंस सिस्टम का ट्रायल कर रही है। यूरोपियन तकनीक पर आधारित ट्रेन प्रोटैक्शन एंड वॉर्निंग सिस्टम - दो को पॉयलट बेसिस पर हमने कुछ जोनल रेलवे पर चलाना आरंभ किया है और मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से कर्मचारियों को पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें कोई लापरवाही रेलवे नहीं करती।

[अनुवाद]

**श्री जैदेव गल्ला:** धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पिछले चार से पांच वर्षों में रेलवे ने सुरक्षा पर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। माननीय मंत्री जी ने ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली, ट्रेन टक्कर से बचने की प्रणाली, सतर्कता नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात की है। लेकिन इन प्रणालियों को अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।

लेकिन मेरा प्रश्न एक बहुत अधिक सरल उपकरण के बारे में है, यह स्वचालित धूम्र अलार्म सिस्टम है। 40,000 गैर-ए/सी कोच हैं, जो कुल कोचों का 85 प्रतिशत हैं, जिनके पास आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गैर-ए/सी कोचों में स्वचालित धूम्रपान अलार्म सिस्टम नहीं लगाने का क्या कारण है। उसे अगले कुछ वर्षों में इस प्रणाली को इन कोचों में लगाने की क्या योजना है?

[हिन्दी]

**श्री मनोज सिन्हा :** माननीय सदस्य ने जिस सिस्टम की बात कही है, उसका प्रयोग रेलवे में होता है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हर कोच में यह ईक्वपमेंट हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे संसाधनों में वृद्धि होगी, इस उपकरण का प्रयोग हम पूरे रेलवे में करेंगे।

**(प्रश्न संख्या 304)**

[हिन्दी]

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** माननीय अध्यक्ष जी, 70-80 साल के श्रमिक आंदोलनों में जो राष्ट्रवादी विचार रहा है, उसकी बड़ी ठोस मांग रही है कि श्रमिकों को श्रम कानूनों का लाभ मिले और उद्योगपतियों को भी हतोत्साहित न होना पड़े लेकिन अगर कोई उद्योगपति कोई ऐसी गलती करता है तो उसके बारे में जरूर जांच होनी चाहिए। मैं सबसे पहले सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा, खासकर माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा क्योंकि यह एक ऐतिहासक कदम है जो श्रमिकों के हित में है। जिस पोर्टल की बात सरकार ने शुरु की है, उससे दो बातें उत्तर में साफ लिखी हैं कि यदि कोई इंडस्ट्री का निरीक्षण होगा तो 72 घंटे में उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन करनी होगी और उसका लाभ सीधे श्रमिकों को मिलेगा क्योंकि उनके आधिकार सुरक्षित होंगे। लेकिन जो संख्या इसमें दी गई है, चार मुख्य रूप से नामित संगठन हैं:- मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम सुरक्षा महानिदेशालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इन चार के भीतर आने वाले जितने भी नियोक्ता हैं, इसमें उत्तर में यह जरूर दिया गया है कि 59 नये प्रतिष्ठान जोड़े गये हैं। कुल संख्या 7,13624 मजदूरों की है जिनको पोर्टल मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वास्तव में इन चार संस्थानों के भीतर आने वाले कुल कितने मजदूर हैं एवं नियोक्त कितने हैं? अगर वह संख्या सामने आ जाए तो देश के सामने भी यह तुलना करने में सुविधा होगी कि गति क्या है?

[अनुवाद]

**श्री बंडारू दत्तात्रेय:** आदरणीय सदस्य ने कुछ मुद्दों को सही ढंग से इंगित किया है। इस श्रम सुविधा पोर्टल का उद्देश्य ही पारदर्शिता, जवाबदेही और रोजगार क्षमता है। ये तीन चीजें अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी कारण से हम यह पोर्टल लेकर आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने श्रम सुविधा कार्यक्रम के नाम के अंतर्गत 16 अक्तूबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक अद्वितीय श्रम पहचान संख्या का आवंटन है। पोर्टल यहां है। पोर्टल केंद्रीय डेटा-आधारित है। यह ई-क्रांति के लिए है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है। दूसरी बात ई-बिजनेस है। 16 श्रम कानूनों के लिए एकल रिटर्न है। यह एक प्रकार का सरलीकरण है।

दूसरी बात जो हमने देखी है वह यह है कि इसे चार संगठनों - ई.पी.एफ.ओ., ई.एस.आई.सी., डी.जी.एम.एस. और सी.एल.सी. (सी) में क्रियान्वित किया गया है । इसके तहत आज की तिथि में 7,40,850 प्रतिष्ठान शामिल हैं जिनका निरीक्षण किया जाता है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं कि निरीक्षण योजना में और अधिक पारदर्शिता होगी। कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा।

मैं आपको कुछ डेटा भी दूंगा। निर्दिष्ट किए गए निरीक्षणों की कुल संख्या 16,030 है। यह निरीक्षण मानव निर्मित नहीं है। कंप्यूटर खुद इसे करेगा। हम कंप्यूटर को फीडबैक देंगे। कंप्यूटर स्वयं यादृच्छिक नमूना लेगा। यादृच्छिक नमूने के आधार पर निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षकों को कोई भेदभावपूर्ण शक्ति नहीं होगी। उस कारण से, हमने 16,030 निरीक्षण निर्दिष्ट किए हैं, जिनमें से इंस्पेक्टर को 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह अनिवार्य है । पोर्टल पर परिणाम 12,883 है। लंबित संख्या 1,681 है। उसके लिए, ई-क्रांति है। बहुत उद्देश्य की पूर्ति होती है। मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन यह श्रम सुविधा कार्यक्रम जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** काफी अच्छा विस्तृत उत्तर हो गया।

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये बातें पता हैं और देश को भी पता होनी चाहिए कि वास्तव में यह सुविधा श्रमिकों को भी संरक्षण देती है और उसमें पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यह चाहा था कि नियोक्ताओं की संख्या देश के सामने आ जाए और उसके भीतर जो रजिस्टर्ड हैं,...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** वह जानकारी उन्होंने दे दी।

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो चार संस्थाएं हैं- श्रम आयुक्त, श्रम सुरक्षा महानिदेशालय, कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ के जो राज्य बीमा निगम हैं, जो इनके भीतर नहीं आते, उदाहरण के लिए कि चूड़ी उद्योग है, उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो ईपीएफ या किसी सीमा के भीतर वह नहीं आएगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं जो इस दायरे में आने चाहिए। इसीलिए मैंने संख्या पूछी थी कि कुल संख्या कितनी है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनको तथाकथित रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूर वहते हैं लेकिन वे इस पोर्टल की सीमा के भीतर आते हैं, विशिष्टतम पहचान संख्या उनको मिलनी चाहिए। मैंने मंत्री जी से स्पेसिफिक पूछा है कि जैसे चूड़ी उद्योग है, जैसे और भी सारे उद्योग हैं, व्या उनको भी शामिल करने के लिए अलग से कोई प्रयास होंगे?

[अनुवाद]

**श्री बंडारू दत्तात्रेय:** यह माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरी सरकार असंगठित श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण पर विचार कर रही है। [हिन्दी] इन सारे असंगठित मजदूरों के लिए एक नेशनल कार्ड भी दिया जाएगा, पोटेरबिलिटी कवर में भी इनको लाया जाएगा और हम लोग एक

स्मार्ट कार्ड सामने ला रहे हैं और उसके अंदर जो यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर रहता है, उस नम्बर से जितने भी असंगठित मजदूर हैं, विशेषकर जो हाउसिंग सैक्टर में हैं और उसी तरह से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी सुविधा बहुत जरूरी है। उसके लिए स्मार्ट कार्ड में तीन स्कीम्स हैं:- पहली स्कीम केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दूसरी स्कीम आम आदमी बीमा योजना और तीसरी स्कीम इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन है। इन तीनों को सेन्ट्रलाइज़ करके अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर को कार्ड दिया जाएगा। श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद इस तरह का निर्णय पहली बार लिया जा रहा है।

**श्री धर्म वीर गांधी :** महोदया, पिछले कुछ सालों से सदन में यूनिक और स्मार्ट जैसे शब्द सुनने को बहुत मिल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर केवल एम्प्लोयर को मिलेगा या मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा? [अनुवाद] क्या नियोक्ता यह बताने के लिए बाध्य है कि वह अपने उद्योग या उद्यम में कितने लोगों को नियोजित कर रहा है और उस उद्यम में ई.सी.आई. लाभ या पेंशन का लाभ क्या है वह जो दे रहा है? क्या यह केवल नियोक्ताओं के लिए है या इसमें 70 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं?

**श्री बंडारू दत्तात्रेय:** महोदया, मैंने पहले ही बताया है कि श्रम पहचान संख्या नियोक्ताओं से जुड़ी है और सभी नियोक्ताओं के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या आ जाएगी और सभी नियोक्ताओं को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि 4.2 करोड़ कर्मचारी भी इस योजना के तहत आएंगे और भविष्य में दैनिक निगरानी और साप्ताहिक निगरानी की जाएगी और आकलन किया जाएगा। इस योजना के तहत देश में बड़ी संख्या में कार्यबल को शामिल किया जाएगा। मुझे लगता है कि ठेका श्रमिक भी इस योजना के अंतर्गत आएगा। भविष्य में, हम इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी शामिल करने की योजना बना रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री कामाख्या प्रसाद तासा :** अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं वि असम के चाय बागान के लेबर्स और इंडस्ट्री को भी स्वयं सुविधा पोर्टल्स में क्या शामिल किया गया है?

**श्री बंडारू दत्तात्रेय :** अध्यक्ष जी, चाय बागान के लेबर्स के लिए अलग से प्रावधान हैं लेकिन वेस्ट बंगाल और असम में बहुत गम्भीर समस्या है। यहां की समस्याएं अलग हैं और राज्य सरकार के अधीन आती हैं। मैं हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में राज्य सरकार भी इस पोर्टल में आने वाली हैं। अभी तक दस राज्य सरकारें पोर्टल में आने को तैयार हैं। यदि सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ समझौता हो जाता है तो चाय बागान के वर्कर्स भी आ सकते हैं।

**(प्रश्न 305)**

[अनुवाद]

**श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा:** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ क्या सभी एल.पी.जी. उपभोक्ताओं के लिए एल.पी.जी. योजना के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** महोदया, नई संशोधित डी.बी.टी.एल. योजना के लिए कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। बैंक खाता एक और विकल्प है और इसलिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

**श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा:** महोदया, यह योजना एक अच्छी योजना है। देश में आधार कार्ड धारकों का प्रतिशत क्या है और सरकार ने सभी एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को आधार कार्ड देने के लिए क्या कार्रवाई की है?

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** महोदया, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। विभिन्न राज्यों में आधार सें जुड़ने की प्रतिशतता अलग अलग हैं। अब हम एल.पी.जी. सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए बैंक खाते पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

**श्री विनसेंट एच. पाला:** अध्यक्ष महोदया, एल.पी.जी. योजना का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पिछले महीने की 15 तारीख को देश के 54 जिलों में शुरू किया गया था जबकि शेष भारत के लिए यह 1.1.2015 से शुरू किया जाना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले एक महीने से इस योजना के तहत कितने लोगों ने कनेक्शन लिया है और सफलता का प्रतिशत क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगले लॉन्च के लिए सरकार की क्या योजना है और क्या सरकार इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ देगी जिनके पास बैंक खाता और आधार कार्ड नहीं है।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** महोदया, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। 54 जिलों में, अब जुड़ने की प्रक्रिया लगभग 75 प्रतिशत है। देश के बाकी हिस्सों में, 15.3 करोड़ उपभोक्ताओं में से 25 प्रतिशत पहले से ही बैंक या आधार से जुड़े हुए हैं।

इसमें दो-तीन चरण हैं। जिनके पास आधार है और जो लोग पहले ही अपने संबंधित बैंक खाते के साथ आधार नंबर के साथ अपना एल.पी.जी. नंबर जोड़ चुके हैं, उनके लिए यह ठीक है। आधार कनेक्शन अनिवार्य नहीं है। अब, जिनके बैंक खाते हैं, उन्हें चिह्नित करना होगा, उन्हें अपना बैंक नंबर एल.पी.जी. वितरक को देना होगा। एल.पी.जी. वितरक की जिम्मेदारी उस बैंक खाते को उनके एल.पी.जी. उपभोक्ता संख्या से जोड़ना है। यह चल रहा है। जिनके पास बैंक खाता नहीं है, अब, हाल के अभियान में, नई जन धन योजना के साथ, बहुत से लोग पहले ही अपने खाते खोल चुके हैं। फिर भी जिन व्यक्तियों के बैंक खाते नहीं हैं, वे अब एल.पी.जी. वितरण केंद्र पर अपने खाते खोलेंगे। यह सुविधा एल.पी.जी. वितरण केंद्र पर भी होगी।

**श्री एम. बी. राजेश:** अध्यक्ष महोदया, ऐसी कई शिकायतें हैं कि जिन उपभोक्ताओं को आधार कार्ड और बैंक खाते मिले हैं, उनके खातों में सब्सिडी जमा नहीं हो रही है। यहां तक कि तेल विपणन कंपनियां भी अनुरोध कर रही हैं कि वे असहाय हैं और वे यह सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं कि उनके खातों में सब्सिडी जमा की जाएगी। यहां तक कि मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपभोक्ताओं से कई शिकायतें मिली हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, महोदया, सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है, या क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कोई कदम उठाया है कि जो भी सीमित सब्सिडी उपलब्ध है, वह उन उपभोक्ताओं के खातों में जमा की जाएगी जिनके पास आधार कार्ड भी हैं। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनकी समस्या इससे बड़ी है। इसलिए, मैं उन उपभोक्ताओं के बारे में पूछ रहा हूँ जिन्हें आधार कार्ड मिला है; क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम-से-कम उन्हें सब्सिडी उपलब्ध हो। धन्यवाद, महोदया।

**श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** महोदया, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, पहला कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। दूसरा, बैंक खाता भी एक और विकल्प है। जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वे अपने बैंक खाते खोल सकते हैं; वे अगले तीन महीनों के भीतर अपने बैंक खाता संख्या और एल.पी.जी. उपभोक्ता संख्या को जोड़ सकते हैं। मैं, माननीय सदस्य के प्रश्न की सराहना करता हूं क्योंकि वह केरल से हैं। पूरे केरल ने इस नई योजना को अपनाया है। 10 दिसंबर तक, 3578 शिकायतें हैं। उनमें से, पहले से ही 2999 शिकायतों का निपटान किया गया है।

आपके माध्यम से, महोदया, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक नया पोर्टल है, अर्थात् 'माय एल पी जी.इन' । जिन लोगों को कोई समस्या है, वे अपनी शिकायत ' माय एल पी जी.' पोर्टल में डाल सकते हैं। वे अपनी शिकायत को एक बॉक्स में एल.पी.जी. वितरण केन्द्र में भी रख सकते हैं। यह एक नई योजना है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 15 करोड़ उपभोक्ता बैंक खाते के माध्यम से - उनकी एल.पी.जी. उपभोक्ता संख्या - परिवर्तित करेंगे। तो, निश्चित रूप से यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। सभी माननीय संसद सदस्यों के सहयोग से यह बहुत सफल कार्यक्रम हो सकता है। इससे पैसे की बचत होगी और इससे उपभोक्ताओं को एक अच्छा वितरण तंत्र मिल सकेगा।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न 306

श्री कल्याण बनर्जी - उपस्थित नहीं।

मंत्री महोदय, आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

**(प्रश्न संख्या 306)**

[हिन्दी]

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार:** अध्यक्ष महोदया, सरकार कामगारों के हित संरक्षण के लिए काफी गंभीर है। इस संबंध में काफी प्रावधान किए गए हैं। कारखाना (संशोधन) अधिनियम के द्वारा भी सरकार इस दिशा में काफी प्रयास कर रही है। किन्तु, प्रश्न के भाग 'घ' में उत्तर दिया गया है कि पोत पुनःचक्रण/पोतभंजन सहित विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित कामगारों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने हेतु संविधियां सरकार द्वारा अधिनियमित व्यापक विधानों नामतः कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के रूप में उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदया, व्यवहार में यह देखने में आता है कि पोतभंजन के काम में जो कामगार लगे रहते हैं, उनमें से अधिकांश कार्य ठेकेदारों द्वारा कराए जाते हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कराए जाते हैं।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

उनका न तो कोई नम्बर रखा जाता है औ न ही उनके सुरक्षा के बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है। ...(व्यवधान) मैं उसी बिन्दु पर आ रहा हूं कि उनको न तो जूते दिए जाते हैं, न हेलमेट दिया जाता है, न ग्लास दिए जाते हैं और न ही उनको ड्रेस दी जाती है। जिस तरह के जोखिम में वे लोग काम करते हैं, कई बार जलने की घटनाएं हो जाती हैं। लौह अयस्क उनके ऊपर गिरने से कई बार फेटल और नॉन फेटल एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसे ठेकेदारों के द्वारा लापरवाही करने के विरुद्ध प्रबंधन द्वारा क्या उनको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जाएगी?

**श्री बंडारू दत्तात्रेय:** इसमें यह बहुत हैज़ार्डस माना जाता है। इसे खतरनाक कहा जाता है, इसलिए इस एक्ट के तहत इसे नामांकित किया है। इसके लिए उसमें जो-जो प्रावधान किए हैं, जैसे उन्हें सुविधाएं प्राप्त कराना,

काम करते समय गोगल्स, हेलमेट और गल्वस आदि लगाना। [अनुवाद] संबंधित राज्य सरकार सांविधिक प्राधिकरण है। यही कारण है कि, गुजरात में जहाज तोड़ने की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, हमने अलंग, गुजरात में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल को मंजूरी दी है। सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। संबंधित अधिनियम है। सब कुछ अधिनियम के अनुसार हो रहा है। डी.जी. सभी सांविधिक अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही हर वर्ष निरीक्षकों का सम्मेलन भी होगा। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** अगर वे सेफ्टी नहीं लेते हैं तो क्या करते हैं?

---

# *प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 307, 307 से 320 और
अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

**<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। मद सं. 2 - श्री बंडारू दत्तात्रेय बोलेंगे।

**श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय):** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 1223/16/14]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2014 जो 19 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2014, जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2014, जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी निक्षेप-सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2014, जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(4) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) जो 25 सितंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जिसका शुद्धिपत्र 6, मई, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320(अ) में दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 1224/16/14]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) (एक) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिये संख्या एल.टी. 1225/16/14]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1226/16/14]

[हिन्दी]

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय):** अध्यक्ष महोदया, मैं खान खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सा.का.नि. 630 (अ) जो 1 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए हैं।

(2) सा.का.नि. 631 (अ) जो 1 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की तीसरी अनूसूची में कतिपय संशोधन किए हैं।

(3) खनिज छूट (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 1227/16/14]

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

## संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा)

## विवरण

[अनुवाद]

**डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर):** मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) 'एमपीलैड्स निधि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विकास' विषय पर अपने सातवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'प्राकृतिक आपदाओं हेतु एमपीलैड्स निधि के प्रावधान संबंधी प्रक्रिया' विषय पर अपने नौवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'सोसाइटियों/न्यासों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से एमपीलैड्स कार्यों का निष्पादन' विषय पर अपने 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

---

**अपराह्न 12.03 ½ बजे**

**कार्य मंत्रणा समिति**

**9वां प्रतिवेदन**

[अनुवाद]

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 12.03 ¾ बजे**

**श्रम संबंधी स्थायी समिति**

**पहला और दूसरा प्रतिवेदन**

[हिन्दी]

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :** अध्यक्ष महोदया, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगो (2014-15) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

### (एक) 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना[3*]

[हिन्दी]

**विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):** माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सभी ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने का सुखद समाचार 11 दिसम्बर की शाम को सुना। एक भारतीय होने के नाते इस सुखद समाचार पर वक्तव्य देते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। सर्वप्रथम मैं इस पुनीत सदन का ध्यान हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की इस व्यक्तिगत पहल को संयुक्त राष्ट्र संघ में मिले अभूतपूर्व समर्थन की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक कैलेंडर में तकरीबन 118 दिवसों/वर्षों या वर्षगांठों को सूचीबद्ध किया गया है। 11 दिसम्बर को संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 देशों में से 177 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव के सह प्रायोजक बने, को-स्पोंसर बने।

माननीय अध्यक्ष महोदया, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव पर सह प्रायोजकों की यह सर्वाधिक संख्या है। आज तक सबसे ज्यादा संख्या है, जो इस प्रस्ताव के सह प्रायोजकों को मिली है। सह प्रायोजक का अर्थ है कि इन राष्ट्रों ने न केवल भारत का समर्थन किया, अपितु इस पहल को स्वीकारने की अपनी सार्वजनिक इच्छा भी व्यक्त की।

यह भारतीय कूटनीति की विजय है कि सह प्रायोजकों की सूची इतनी लंबी है। जहां एक ओर हमें सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्यों का समर्थन मिला, वहीं दूसरी ओर हमें प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीप

[3*] ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1228/16/14

समूह वाले उन देशों का भी समर्थन मिला जिनके साथ प्रधान मंत्री जी ने अपनी फीजी यात्रा के दौरान भेंट की थी। हमें अफ्रीका के मध्य से लेकर समूचे यूरोप तक, दक्षिण एशिया के हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से लेकर सुदूर कैरेबियाई और लैटिन अमेरिका के हमारे मित्रों तक सभी का समर्थन मिला। सभी एक स्वर में हमारे समर्थन में उठ खड़े हुए।

मेरा ऐसा मानना है कि सभी क्षेत्रों से मिला व्यापक समर्थन हमें दो चीजें दर्शाता है। पहला, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर विशेषकर योग के प्रति विश्वव्यापी रूझान है। हालांकि हम सभी योगी नहीं बन सकते लेकिन योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर हम तन और मन के बीच एकात्मकता तथा प्रकृति के साथ तादात्मय स्थापित कर सकते हैं।

इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरर्राष्ट्रीय योग दिवस को मिला व्यापक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसको हृदय से स्वीकारना यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्राचीन भारतीय परम्पराएं विश्व की आज की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने न्यूयार्क में कहा योग सदियों पुराने भारतीय दर्शन को अभिव्यक्त करता है और मनुष्य और प्रकृति के बीच समग्रता लाता है। यहां मैं प्रधान मंत्री जी के भाषण के कुछ अंश उद्धत करना चाहूंगी। उन्होंने कहा --- "योग हमारी पुरातन पारम्परिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मकता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्मय स्थापित करने का माध्यम है"।

माननीय सदस्यगण, 27 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के अपने प्रथम संबोधन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर रखा था। उसके ठीक 75 दिनों के भीतर

शुक्रवार 11 दिसम्बर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। जिस शीघ्रता के साथ इस प्रस्ताव को रखा और स्वीकारा गया यह अपने आप में एक उपलब्धि है।

इस प्रस्ताव को मिला अपार समर्थन और इतनी सुगमता के साथ इसका स्वीकार किया जाना हमारी सरकार द्वारा विश्व स्तर पर किए गए कूटनीतिक प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं इसे नए भारत की कूटनीतिक सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक मानती हूं। [अनुवाद] "मेक इन इंडिया", "स्वच्छ भारत" और अब "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" ये सभी जीवंत, खुशहाल और समृद्ध भारत की हमारी यात्रा के ऐसे पड़ाव हैं जिनकी छाप और जिनका प्रभाव हमारी सीमाओं के परे भी महसूस किया जा रहा है। विश्व के प्रमुख योग संगठनों ने हमारे प्रस्ताव व हमारी पहल को हृदय से सराहा है।

इससे पूर्व वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महात्मा गांधी जी के जन्म दिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किए जाने के भारतीय प्रस्ताव को पारित किया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के विशिष्ट योगदान को दर्शाते हैं। इन दोनों पहलों का सार समग्र भारतीय दर्शन की अभिव्यक्ति है जिसे हम "वसुधैव कुटुम्बकम" कहते हैं अर्थात् सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि यह सम्पूर्ण भारतीय जीवनशैली का परिचायक है -- विश्व के सामने उपस्थित समस्याओं के समाधान की ओर एक रचनात्मक पहल; जो हमारे पर्यावरण के साथ तादात्म्य में हो।

जैसा कि मैंने 3 दिसम्बर को लोक सभा में कहा था, हमारी वैश्विक आकांक्षाओं की पूर्ति विश्व को अपने साथ लेकर चलने से पूरी हो सकती है। अध्यक्ष महोदया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा विश्व को अपने साथ लेकर चलने की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मैं संसद के अपने सभी साथियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में भी हम विश्व को अपने साथ लेकर चलने के अपने अनवरत संकल्प को दर्शाते रहेंगे।

जहां एक ओर हमने भारत और सम्पूर्ण दक्षिण एशिया को समृद्ध बनाने के लिए सक्रिय और अभिनव प्रयोगों की लगातार वकालत की है, वहीं दूसरी ओर हम भारत की "सॉफ्ट पावर" जिसमें शामिल हैं भारत की समृद्ध संस्कृति और उसके लोगों की विविधता और विशिष्टता, इसको विश्व के सामने लाने के नए उपायों पर विचार करते रहेंगे और उन पर काम भी करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

**<u>अपराह्न 12.10 बजे</u>**

**(दो) (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 253वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[4*]**

[हिन्दी]

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र):**

(1) महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2013-14 के बारे में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 253वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

[4*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1229/16/14

**(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा' के बारे में समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[5]**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) :**

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा के बारे में समिति के 245वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

———————

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** मद सं. 9 --- ध्यानाकर्षण, श्री पी.वी. मिदून रेड्डी।

… (*व्यवधान*)

**श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** महोदया, मुझे अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दीजिए।

[5] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1230/16/14

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान अपना विषय उठाने की अनुमति दूंगी। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

**अपराह्न 12.11 बजे**

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

**देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम**

**श्री पी.वी. मिदून रेड्डी (राजमपेट):** महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह उस पर एक वक्तव्यदें:

> "देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा):** अध्यक्ष महोदया, मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और सरकार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले इसके हानिकारक प्रभाव के प्रति पूरी तरह सचेत है। खाद्य पदार्थों से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करने और खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम वर्ष 2006 में लागू किया गया था। तत्पश्चात, वर्ष 2008 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक

प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना की गई थी। वर्ष 2011 में खाद्य सुरक्षा और मानक नियम तथा छह एफएसएस विनियमों को भी अधिसूचित किया गया था।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 05.08.2011 से प्रभावी हो गया। खाद्य विनियामक अवसंरचना अब केवल खाद्य पदार्थों की मिलावट की रोकथाम तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें सुरक्षा और पौष्टिक भोजन व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के लागू करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ग्रेड-वार दण्ड का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री, जो अपेक्षित प्रकृति या पदार्थ या गुणवत्ता के न हों; अवमानक खाद्य पदार्थ; नकली ब्रांड वाले खाद्य पदार्थ; भ्रामक विज्ञापन; खाद्य पदार्थों में बाहरी पदार्थों की मिलावट; असुरक्षित खाद्य पदार्थ; मिलावटी तत्वों की प्रोसेसिंग आदि के लिए दण्ड/सजा का उल्लेख किया गया है।

मिलावटी खाद्य पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत खाद्य उत्पादों की नियमित जांच और निगरानी की जाती है। इस संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भी खाद्य वस्तुओं के औचक नमूने लिए जाते हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए एफएसएसएआई द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजा जाता हैं। ऐसे मामलों में, जहां नमूने उसके अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, वहां दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले दो वर्षों से संबंधित ब्यौरे निम्नवत हैं:

| वर्ष | नमूने जिनका विश्लेषण किया गया | नमूने जिनमे मिलावट पाई गई | दायर मामलों की संख्या (आपराधिक/दीवानी) |
|---|---|---|---|
| 2012-13 | 69,949 | 11021 | 7179 |
| 2013-14 | 72,200 | 13,571 | 10235 |

खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011, कीटनाशी अवशिष्टों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले जहरीले पदार्थों और धातु संदूषकों की सीमा निर्धारित की गई हैं। एफएसएसएआई के अंतर्गत कीटनाशी और एंटीबायोटिक अवशिष्टों पर एक वैज्ञानिक पैनल का गठन किया गया है और पैनल को खाद्य वस्तुओं में कीटनाशी और एंटीबायोटिक अवशिष्टों का अधिकतम अवशिष्ट स्तर निर्धारित करने की शक्तियां प्रायोजित की गई हैं। इसके अलावा, एफएसएसएआई द्वारा वर्तमान में कोड मानकों सहित खाद्य वस्तुओं में कीटनाशी के अवशिष्टों के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है।

मंत्रालय द्वारा न्यायालय की चिंता का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का भी प्रस्ताव है जिसमें खाद्य पदार्थों की मिलावट से संबंधित मामले तथा खाद्य व्यवसाय प्रचालकों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदन शामिल हैं ।

दूध में मिलावट के लिए निर्धारित दण्ड पर भी पुनर्विचार विचार तथा उसे और अधिक सख्त बनाए जाने का प्रस्ताव है।

**श्री पी.वी. मिदून रेड्डी:** मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद महोदया।

महोदया, मैं स्वामी विवेकानंद के उद्धरण से शुरुआत करना चाहता हूं । यह कहता है, “बहादुर, साहसी पुरुष और महिलाएं, ये वही हैं जो हम चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वह रक्त में जोश, नसों में ताकत, लोहे की मांसपेशियों और स्टील की नसों में है, ... में नहीं। इन सब से बचें। सभी दुखों से बचें।”.

महोदया, मैं एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के संदर्भ में महान संत के इस उद्धरण को याद करता हूं, लेकिन यदि हम खाद्य मिलावट के खतरे पर अंकुश नहीं लगाते हैं, तो उनके द्वारा परिकल्पित ये गुण दूरगामी विचार होंगे। यह सीमा के मुद्दों या आज हमारे देश के सामने जो आतंकवादी खतरा है, उससे बड़ा खतरा है। यदि हम खाद्य मिलावट की जांच नहीं करते हैं, तो हम किसी भी युद्ध की तुलना में अधिक जीवन खो देंगे। इसमें सामूहिक विनाश के हथियार की क्षमता है। यहां तक कि पानी, दूध और तेल जैसी बुनियादी चीजें भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की लंबी सूची में हैं। कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

यदि हम पानी का मामला लेते हैं, तो बाजार में हमें शुद्ध पानी के रूप में ब्रांडेड बहुत सारा पानी मिलता है। हम जानते हैं कि बाजार में अधिकांश पानी की बोतलें नकली हैं। हम एक ऐसे देश हैं जहां हमारा नारा है, 'मेक इन इंडिया'। हम चाहते हैं कि अन्य देशों के लोग भारत आकर अपने उत्पाद बनाएं। हम वही देश हैं, जिसने मंगल पर मानवरहित मिशन भेजा है और हमने दूसरे देशों के उपग्रह छोड़े हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब भी विदेशी भारत आते हैं अपनी पानी की बोतलें साथ लाते हैं।

यदि हम दूध का मामला लेते हैं, तो पहले यह दूध में पानी मिलाने जैसा था, मिलावट का सामान्य रूप था। लेकिन अब यह सिंथेटिक दूध के साथ हाई-टेक अनुपात तक पहुंच गया है, जो कास्टिक सोडा,

साबुन, यूरिया और तेल से बना है। सिंथेटिक दूध कैंसर का कारण बनता है और हृदय, यकृत और गुर्दे के लिए हानिकारक है। यह गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। समस्या यह है कि दुधारू गाय से दूध प्राप्त करने के बाद, इसे 4-5 घंटों के भीतर संग्रहित किया जाना चाहिए। डेयरियां दूध की ठीक से जांच नहीं करती हैं और अधिकांश डेयरियां अनियमित हैं। कुछ प्रमुख डेयरियों को छोड़कर, अधिकांश डेयरियां दूध की ठीक से जांच नहीं करती हैं, और इस सिंथेटिक दूध को सामान्य दूध के साथ मिलाया जाता है और प्रत्येक घर में सभी को आपूर्ति की जाती है।

दूसरा खतरा यह है कि आजकल अधिक दूध प्राप्त करने के लिए गायों को ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन इंजेक्शन लगाने की भारी प्रवृत्ति चल रही है । *द न्यूट्रिशन डाइजेस्ट*, अमेरिकी पोषण संघ का एक प्रकाशन कहता है कि गायों के हार्मोन इंजेक्शन दिए गए दूध से मनुष्यों द्वारा उपभोग किए जाने पर विभिन्न कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अभी भी इन हार्मोन इंजेक्शन के प्रभावों पर अध्ययन किया जा रहा है, विशेष रूप से, ऑक्सीटोसिन जो देश के सभी मवेशियों को स्वतंत्र रूप से दिए जा रहे हैं। यह हमारे देश में एक बहुत ही खतरनाक विकास है। ऑक्सीटोसिन का प्रभाव न केवल मनुष्यों के लिए हानिकारक है, बल्कि यह मवेशियों के लिए भी हानिकारक है क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मवेशियों को प्रतिदिन लगाए जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि यह गौहत्या से भी अधिक जघन्य अपराध है क्योंकि मवेशी बहुत पीड़ा में हैं। यदि आप देश में इन ऑक्सीटोसिन को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो गौहत्या का कानून है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ।

आज देश के सामने एक और बड़ा खतरा एंटीबायोटिक दवाओं की प्रतिरोधक क्षमता का समाप्त होना है । यह न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए खतरा है। कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। उपभोग किए गए शहद, मांस, पोल्ट्री और अंडे के उत्पादों में एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति मानव शरीर में जीवाणु आबादी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सकती है। ये बैक्टीरिया मानव संक्रमण के

इलाज में कठिनाइयों का कारण बनते हैं। यह मुख्य रूप से जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं के अनियमित उपयोग के कारण है। लोग जानवरों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके और बहुत कम समय में उनकी नस्ल को बढ़ाया जा सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध को दुनिया में मानव आबादी के लिए तीन खतरों में से एक के रूप में चिह्नित किया है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एंटीबायोटिक के प्रति उत्पन्न प्रतिरोधक को दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक के रूप में वर्णित किया है क्योंकि पिछले दशक में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, मैडम, हमारे पास कोई अग्रिम पंक्ति की दवाएं नहीं होंगी, जो टायफाइड, मलेरिया और यहां तक कि अन्य सामान्य बुखार जैसी बुनियादी बीमारियों का इलाज करेंगी। इससे हमारे देश में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और इबोला से होने वाली स्वास्थ्य आपदा भी बड़ी हो जाएगी। अध्ययनों से पता चलता है कि एंटीबायोटिक दवाओं के लंबे समय तक उपयोग से शिशुओं में कैंसर, अस्थमा और हृदय की खराबी होती है। देश में रिपोर्ट की गई नवीनतम बीमारी इन्फ्लैमेटरी बाउल सिंड्रोम (आई.बी.एस.) नामक नई बीमारी है। ये एंटीबायोटिक्स पेट में उपयोगी बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिससे अल्सर हो जाता है। बहुत से लोग इस आईबीएस सिंड्रोम से पीड़ित हैं।

महोदया, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने से भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आई.ए.आर.सी.) ने कई रसायनों और कीटनाशकों को सूचीबद्ध किया है, जो कैंसर का कारण बनते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन शामिल हैं। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग आमतौर पर भारत में किया जाता है। इसका उपयोग आम, केला और यहां तक कि पपीते और टमाटर को पकाने में भी किया जाता है। इन फलों का सेवन यकृत, गुर्दे, हृदय और पेट जैसे सभी

महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। यह सेहत के लिए काफी खतरनाक है। कैल्शियम कार्बाइड को रोकने के लिए कोई विनियमन नहीं है, जिसका देश में आमतौर पर उपयोग किया जा रहा है।

एक और समस्या जो मैं सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं और जो आज देश की सबसे ज्वलंत समस्या है, वह है कीटनाशक का अनियमित उपयोग। अध्ययनों से पता चलता है कि कीटनाशक जन्म दोष, तंत्रिका क्षति और विभिन्न कैंसर जैसे स्वास्थ्य खतरों का कारण बन सकते हैं। सबसे अधिक प्रभावित ग्रामीण लोग हैं, जो इन खतरों से अनजान हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि स्तनपान कराने वाली माताओं के रक्त और दूध में ऑर्गनोक्लोरीन कीटनाशकों का खतरनाक स्तर है। यह एक बहुत ही खतरनाक खबर है क्योंकि मां का दूध भगवान की ओर से हमारे लिए उपहार है। यह शुद्ध वस्तुओं में से सबसे शुद्ध है जो भगवान ने हमें दी है। यह वास्तव में दयनीय है कि हमने मां के दूध को भी दूषित किया है। केवल राजस्थान में ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न अन्य हिस्सों में किए गए अध्ययनों में भी इसी तरह के परिणाम दिखाई दिए हैं।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपके पास महिलाओं और बच्चों को अत्याचार से बचाने के लिए कानून हैं, तो उन पर हुए वास्तविक अत्याचारों की तुलना में खाद्य अपमिश्रण से अधिक महिलाएं और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। मैं अपने पैतृक गाँव का एक उदाहरण देना चाहता हूँ जहाँ से मैं आता हूँ। बीस वर्ष पहले गाँव में सिर्फ एक कैंसर रोगी था। लेकिन अब हजार लोगों की आबादी में, 50 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। उनमें से अधिकांश को उचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। उन्हें इलाज करने में लाखों रुपये का खर्च आता है। यह संकट केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि इस समय देश में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ने से यह एक राष्ट्रीय संकट बन गया है।

आपके माध्यम से, महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आरोग्य श्री जैसी स्वास्थ्य योजना अपनाएं जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाई. एस. राजशेखर रेड्डी *गारू* द्वारा आंध्र प्रदेश में शुरू की

गई थी, जहां कोई भी गरीब व्यक्ति अपनी पसंद के अस्पताल जा सकता है और किसी भी बीमारी का इलाज करा सकता है जिससे वह पीड़ित है। यदि सरकार द्वारा इस तरह की योजना शुरू की जाती है तो इससे वास्तव में देश के लोगों की मदद होगी।

मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि शायद ही कोई भोजन है जो मिलावट रहित छोड़ दिया गया है। यह इस अनुपात में पहुंच गया है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान कानून अपर्याप्त हैं और अपराधी बहुत कम जुर्माने और छोटी सजा पाकर मुक्त हो रहे हैं। मिलावट जनता को जहर देने के समान है, और इसलिए, सख्त कानून होने चाहिए; दिए गए दंड 'हत्या का प्रयास' मामलों की तरह गंभीर होने चाहिए और मिलावटखोरों पर ऐसे प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आग्रह किया है कि अवैध गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति से दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने बताया है कि दूध में मिलावट के लिए आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए और सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने छह महीने की मौजूदा अधिकतम सजा को भी बेहद अपर्याप्त बताया है।

हालांकि अधिकांश कार्रवाई राज्य के हाथों में है, मैं केंद्र सरकार से कदम उठाने और सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करता हूं क्योंकि यह अभी एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सरकार से स्वास्थ्य, खाद्य और कृषि मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के रूप में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का आग्रह करता हूँ और इससे वांछित परिणाम प्राप्त होंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है।

हर भारतीय, जिसमें हम सभी शामिल हैं, जिसे मैं 'धीमा जहर' कहता हूं, उसका सेवन कर रहा है। जाने-अनजाने में, पानी, चावल, गेहूं, सब्जियां, दूध, मांस, फल या मिठाई, हम जो कुछ भी ले रहे हैं, दूसरे शब्दों में, हम जो भी खा रहे हैं, वह हमारे देश को सबसे अधिक कैंसर रोगियों वाला देश बना रहा है, और

लोग खाद्य अपमिश्रण के प्रभावों से पीड़ित हैं। यहां तक कि गर्भ में हर बच्चा इन दिनों मिलावट का शिकार है। मैं इस अनदेखे दुश्मन से डरता हूं, जो हर घर में हर दिन प्रवेश करता है।

महोदया, जैसा कि वे कहते हैं, "वक़्त पर लगाया गया एक टांका, बेवक्त के नौ टांकों से बेहतर होता है।", यदि हम मजबूत नियम और विनियम बनाते हैं, और मजबूत कानून बनाते हैं, तो हम स्वास्थ्य सेवा लागत के मामले में देश के लिए करोड़ों रुपये बचा सकते हैं। ये मानव-निर्मित समस्याएं राष्ट्र के विकास में बाधा नहीं होनी चाहिए।

अंत में, मैं 'क्लीन इंडिया' हेतु स्वच्छ भारत कार्यक्रम लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहां हमें स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन मिलता है, वहां 'शुद्ध भारत' जैसी नई पहल की जाए। महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत):** माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ। आज का विषय जीवन और मृत्यु के प्रश्न का विषय है। यह सवा सौ करोड़ लोगों का प्रश्न नहीं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भी विषय है। यह केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि पशुओं और पक्षियों से भी संबंधित विषय है। इसलिए इस विषय पर बोलने के लिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समय दें।

सबसे पहले मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने समस्या की गंभीरता और इसकी व्यापति को मानकर एक कठोर कानून लाने की बात कही है। इसके साथ-साथ मैं इस बात के लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को उजागर किया और इस बात को माना है कि पिछली सरकार में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कानून बनाया गया, वह वर्ष 2006 में बना। दो वर्ष के बाद उसकी अथॉरिटी बनी, पाँच वर्ष के बाद उसके रूल्स और रेगुलेशंस बने। यह केस ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस

का नहीं, बल्कि यह केस ऑफ कोमा है। ऐसा लगता है कि पिछली सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही थी।

अध्यक्ष महोदया,

" एक दो ज़ख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी।

दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठूँ। "

**माननीय अध्यक्ष :** आप दो-तीन क्लियरिफिकेशन भले ही पूछें, पर बहुत लम्बा भाषण न दें।

**डॉ. सत्यपाल सिंह :** मैडम चाहे दूध हो, चाय हो, फल हो या सब्जी हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो या हार्ड ड्रिंक हो, घी हो या तेल हो, सब जगह मिलावट का बोलबाला है। पिछले हफ्ते ही इस सदन ने मानसिक रोगों के बारे में चर्चा की थी। मानिसक रोगों के लिए कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डाक्टर्स हैं, कितने रोगी है? हम सिम्पोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब तक हम उसके मूल में नहीं जाएंगे - प्रज्ञापराधो ही मूलं सर्वरोगानाम - उसके पीछे क्या है, उसे देखना होगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि आहार शुद्धो ही सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो दुर्वास्मृति। अगर आहार शुद्ध है, भोजना शुद्ध है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आज इस देश में आहार ही इतना अशुद्ध हो गया है, इसलिए ये सारी प्राब्लम्स हो रही हैं। हम लोग कहते हैं - जैसा खाए अन्न, वैसा हो जाए मन।

मैं अपने कलीग रेड्डी जी को धन्यवाद देता हूं और उनकी बात को सप्लीमेंट करते हुए कहना चाहता हूं कि जब सवेरे कोई आदमी उठता है, चाहे पानी पिए, दूध पिए या चाय पिए, सब में मिलावट है। पानी में फ्लोराइड है, नाइट्राइट है, नाईट्रेट है, कोबाल्ट है, आसेरनिक है, अलग-अलग चीजें मिली हुई हैं। चाय में पता

नहीं क्या-क्या मिला रहे हैं और दूध की हालत इतनी खराब हो गयी है कि हमारी एजेंसीज कहती हैं कि मार्केट में जो दूध मिल रहा है, उसमें से 70 प्रतिशत दूध मिलावट वाला दूध है। उसमें कास्टिक सोडा, यूरिया, स्टॉर्च और व्हाइट पेंट मिलाया जा रहा है। उससे अलग-अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं, किडनी की बीमारी हो रही है। दूध को कैसे लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके लिए कुछ डेयरियां हेयर ब्लीच कैमिकल्स मिला रही हैं। हाइड्रोजन पैराक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं जिनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इससे अलग-अलग तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। पनीर और मावा में आज आर्जिमोन ऑयल मिलाया जा रहा है जिससे अलग-अलग बीमरियां पैदा हो रही हैं। दूध जल्दी से और ज्यादा मात्रा में हो, इसके लिए जानवरों को आक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। लोग कहते हैं कि यह इंजेक्शन लेबर पेन के लिए गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। [अनुवाद] मां को एक बार प्रसव दर्द का अनुभव होता है लेकिन, [हिन्दी] गाय-भैंस दिन में दो-दो बार उसको महसूस करती हैं। एक तरफ हम कानून बनाते हैं कि जानवरों के प्रति कोई निर्दयता न दिखाए, लेकिन आज इस देश में जानवर इसे सहते हैं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इसमें भाषण परमिटेड नहीं है। आप अपना क्लेरिफिकेशन पूछिए।

**डॉ. सत्यपाल सिंह :** घी में चर्बी मिलाई जा रही है। अगर आप एलाऊ करें, मैं माननीय मंत्री जी को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत ही टफ एंड स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जाएं, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं और हैवी पनिशमेंट उसमें दिए जाएं। आजकल जो प्रावधान है, पैसे का ज्यादा फाइन होता है, उसमें जेल बहुत कम है और एनफोर्समेंट लॉ ठीक नहीं है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन्स एवं म्यूनिसिपल काउसिंल्स के [अनुवाद] अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। [हिन्दी] उसके लिए मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में जो अधिकारी पकड़े जाएं, उनके लिए ज्यादा पनिशमेंट देने का प्रावधान कानून में होना चाहिए। फूड टेस्टिंग

लेबोरेट्रीज़ और फूड इंसपेक्टर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि कैसे सिम्पल स्क्रीन टेस्ट से पब्लिक देख सके कि उसमें क्या मिलावट हो रही है।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप क्लेरिफिकेशन्स पूछिए। सजेशन्स आप लिखकर भेज दीजिए। अगर मंत्री जी से आपको कुछ नहीं पूछना है तो हो गया। बैठिए।

माननीय मंत्री जी।

**श्री जगत प्रकाश नड्डा:** मैडम, स्पीकर, अभी कॉलिंग अटेंशन मोशन में माननीय सदस्य मिधुन रेड्डी जी एवं सत्यपाल सिंह जी ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह सरकार के ध्यान में है। इस चिन्ता का सही रूप में निवारण किया जाए, उसके लिए सरकार प्रयासरत भी है और कार्यरत भी है।

सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने थ्रेट के रूप में कहा है। मैं इसे थ्रेट से ज्यादा एक चैलेंज के रूप में लेता हूं और मंत्रालय इससे ओवरकम करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। एक बात हमें समझनी होगी कि जहां तक कन्टैमिनेशन का सवाल है या एडल्ट्रेशन का सवाल है, इसके नये-नये तरीके और नये ढंग समाज में लोग उपयोग करते रहे हैं। [अनुवाद] एक खास समय पर हमें ऐसा परिणाम मिलने वाला है जो बिल्कुल मिलावट से मुक्त होगा। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात यह होगी कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे हमें विकसित करना है। एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जो निरंतर हो, जो नियामक हो, जो निगरानी करे और जो मिलावट को रोकने के तरीके और उपाय भी खोजे [हिन्दी] - जो नये-नये तरीके से मार्किट में इम्पलीमेंट हो रहे हैं, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है।

मैं दोनों माननीय सदस्यों की चिंता को अपने साथ समावेश करता हूं और आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से प्रयासरत है, कार्यरत है और इस चैलेंज को हम सीरियसली मीटआउट करना चाहते हैं। वर्ष 2006 से पहले फूड एडल्ट्रेशन एक्ट से काम चल रहा

था, लेकिन जैसे-जैसे एडल्ट्रेशन की मैथडोलॉजी बढ़ी, [अनुवाद] अधिक कठोर कानूनों की आवश्यकता थी। इसीलिए, 2006 में, हम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम लेकर आए। [हिन्दी] उसके प्रोवीजन और रैगूलेशन्स बनने में कुछ विलम्ब अवश्य हुआ, लेकिन अब समय आ गया है कि इस सारे एक्ट को रिविज़िट करने की आवश्यकता है। रीविज़ट करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैंने आज से दो दिन पहले ही एक टास्कफोर्स गठित किया है और उस टास्कफोर्स को [अनुवाद] 45 दिनों के भीतर, उन्हें अपने सुझाव देने होंगे। [हिन्दी] उन सजैशन्स को हम पब्लिक डोमेन में भी डालेंगे ताकि हमें जनता का इनपुट भी इस बारे में प्राप्त हो सके। हम इसे और स्ट्रिन्जन्ट बनाना चाहेंगे। मिल्क के इश्यु पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आयी है। [अनुवाद] लेकिन दूध तो एक खंड है [हिन्दी] जब हम रीविज़ट कर रहे हैं तो हमने यह कोशिश की है कि सारे एसपैक्ट्स को हम देखें और जितने भी फूड आइटम्स हैं और जो केवल ऑर्गेनाइज्ड और अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं वही नहीं, बल्कि जो इम्पोर्टिड फूड आइटम्स हैं, उनको भी रीविजट करने की जरूरत है और इस दृष्टि से हम प्रयासरत हैं।

जहां तक ऑक्सीटोसिन का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि इसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन जो रूल्स और रैगूलेशन्स हैं, वे अपने आप में काफी स्ट्रिन्जेन्ट हैं। [अनुवाद] मुद्दा कार्यान्वयन का है। कार्यान्वयन हिस्सा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के पास है। लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता। यह एक आरोप-प्रत्यारोप का खेल है [हिन्दी] कि मैं उन पर इस विषय को डाल दूं। रूल्स-रेगूलेशन्स बनाना हमारा काम है और हम बना रहे हैं। [अनुवाद] हम और अधिक सख्त होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि [हिन्दी] यह मानवता से जुड़ा विषय है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले कम्यूनिकेबल डिसिसिज़ का बर्डन हमारे ऊपर था, लेकिन अब इक्वली नॉन-कम्यूनिकेबल डिसिसिज़ का बर्डन भी बढ़ गया है और ये नॉन-कम्यूनिकेबल में जो फूड आइटम्स हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। [अनुवाद] हमें इस मुद्दे पर बहुत गंभीर होना होगा। [हिन्दी] इसलिए हम मैनपावर और इनफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। क्योंकि आज एनालिसिस की देश में बहुत कमी है। लेबोरट्रीज़ हमारे पास हैं, लेकिन इनको और इक्यूप करने की जरूरत है। इनकी संख्या

बढ़ाने की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी लेबोरट्रीज़ को आगे लाने की जरूरत है। कम समय में बड़े स्केल पर इसकी इम्पलीमेंटेशन को और कारगर करना पड़ेगा और इसके लिए मंत्रालय कटिबद्ध है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

बहुत से विषय सत्यपाल जी ने और रेड्डी जी ने रखे हैं। उन्होंने बीमारियों के बारे में बताया है कि किस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नॉन-कम्यूनिकेबल डिसिसिज़ का बर्डन बढ़ रहा है और इसलिए हमें इस बात के लिए प्रयासरत रहना होगा कि हम शुद्ध भोजन और शुद्ध फूड मैटिरियल्स उपलब्ध करवा सकें।

उनकी चिंता जायज है, मंत्रालय उसको गंभीरता से लेता है और बहुत जल्द हम इस एक्ट को रीविजिट करने वाले हैं। [अनुवाद] एक कार्यबल का गठन किया गया है। [हिन्दी] वह फोर्स 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। पब्लिक डोमैन में हम इसको डालेंगे और जल्द से जल्द हम इसको मोस्ट स्ट्रिन्जेंट बनाएंगे। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1231/16/14]

**<u>अपराह्न 12.41 बजे</u>**

## (तीन) आईएसआईएस[6*] की ओर से ट्विटर हैंडल चलाने वाले एक युवक की गिरफ्तारी

[हिन्दी]

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआईएस का प्रचार करने वाले युवक की बैंगलूरु में हुई गिरफ्तारी के सबंध में बोलने के लए खड़ा हुआ हूं।

लगभग 24 वर्षीय मेंहदी मसरूर विश्वास को [अनुवाद] **विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण)** अधिनियम, 1967 की धारा 3,13, और 18 एवं सूचना प्रोद्योगिकी आधिनियम की धारा 66 (च) और भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अपराध संख्या 12/18/2014 में बैंगलूरु पुलिस द्वारा 13 दिसंबर, 2014 को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त एक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आईएसआईएस सामग्री परिचालित करने में अपनी भूमिका के बारे में यूनाइटेड किंगडम में इलैक्ट्रॉनक मीडिया में सर्वप्रथम प्रकाश में आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना जुटाने में, केन्द्रीय एजेंसियों ने कर्नाटक पुलिस के साथ मिलकर कार्य किया। मेंहदी का, यूजर नेम 'शामी विटनेस' के अन्तर्गत एक ट्विटर अकाउंट था। वह आईएसआईएस की मुख्यत: अरबी भाषा की साइटों को देखता था और फिर उनकी विषय वस्तु का अंग्रेजी में अनुवाद करता था और उस सामग्री को अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल देता था।

पूछताछ के दौरान मेंहदी ने यह खुलासा किया कि उसके ट्विटर अकाउंट को देखने वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोग पश्चिमी देशों के गैर-मुस्लिम लोग थे और उसके अधिकांश मुस्लिम फोलोअर्स पश्चिमी देशों, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के थे। मेंहदी ने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान इंटरनेट के जरिए सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में होने वाले घटनाक्रमों पर गहन नज़र रखनी शुरु कर दी और वह वर्ष

[6*] ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1232/16/14

2009 से सोशल नेटवर्किंग साइटों पर सक्रिय रहा है। कुछ समय से मेंहदी ने 'ज़ेहाद' से संबंधित मामलों पर सोशल नेटवर्किंग साइटों पर लोगों से सम्पर्क करना शुरु कर दिया।

मेंहदी कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है और उसने वर्ष 2012 में गुरुनानक देव प्रोद्योगिकी संस्थान से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कैम्पस भर्ती आभियान के बाद वह आईटीसी बैंगलूरु में आ गया और इस समय वहां पर नियुक्त है।

मेंहदी विश्वास से की गई पूछताछ से यह पता चला है कि उसकी गतिविधियां आईएसआईएस समर्थक सामग्री को अपने ट्विटर एकाउंट और सोशल मीडिया साइटों पर पोस्ट तथा रीपोस्ट करने तक सीमित थीं। उसने आईएसआईएस के लिए लोगों की भर्ती करने से इंकार किया है। पूरे प्रकरण की आगे जांच जारी है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसके बारे में एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** वैसे तो स्टेटमेंट पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होता है।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** मुझे उनसे स्टेटमेंट पर एक क्लेरिफिकेशन चाहिए कि इतनी जल्दी हमें कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए कि वह दूसरों को रिक्रूट नहीं करता था।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** नहीं, वह तो उन्होंने कहा भी नहीं है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** खड़गे जी, इसमें कोई कंक्लूजन की बात नहीं है। स्टेटमेंट पर प्रश्न नहीं होता है। आप बैठिये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान) ...* [7*]

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** उन्होंने जांच जारी है, कहा है। सौगत राय जी, आप बैठिए। केवल स्टेटमेंट दिया है और जांच जारी है, ऐसा कहा है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** जी नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रही हूं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान) ...* *

[हिन्दी]

---

[7*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**माननीय अध्यक्ष:** अब मैंने शून्यकाल कहा है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कापी टेबल पर रखी है, वह आपको मिल जायेगी।

---

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** कापी टेबल पर रखी है, वह आपको मिल जायेगी, आप बैठिये। श्री ध्रुवनारायण जी, आप बोलिये।

[अनुवाद]

**श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं घरेलू रेशम उत्पादन उद्योग के साथ-साथ भारतीय रेशम उत्पादन किसानों की समस्या के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। महोदया, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है और रेशम के उत्पादन में कर्नाटक राज्य, मात्रा के हिसाब से और क्षेत्रवार पहले स्थान पर है। केंद्रीय बजट 2012-13 के दौरान, रेशम पर सीमा शुल्क यानी आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था। रेशम पर आयात शुल्क में कमी ने हमारे घरेलू रेशम उत्पादन उद्योग के साथ-साथ रेशम उत्पादन किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। केंद्रीय बजट 2013-14 के दौरान, कर्नाटक की राज्य सरकार के अनुरोध के खिलाफ रेशम पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था। 15 प्रतिशत का यह आयात शुल्क पर्याप्त नहीं है। वस्त्र मंत्रालय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि घरेलू रेशम उत्पादन उद्योग के साथ-साथ भारतीय रेशम उत्पादन

किसानों की सुरक्षा के लिए रेशम के आयात पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री गौरव गोगोई, श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा, श्री डी. के. सुरेश और श्री बी. एन. चंद्रप्पा को श्री आर. ध्रुवनारायण द्वारा उठाए गए मामलों से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

**श्री रवनीत सिंह (लुधियाना):** मैडम, मैं बहुत ही इम्पार्टेंट इश्यु पर आपका, सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो दंगा पीड़ित परिवार थे, पिछले दिनों यूपीए सरकार ने भी उनकी माली मदद की और उन्हें फ्लैट दिये और एनडीए सरकार ने भी उन्हें पांच-पांच लाख रुपये दिये हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो लम्बी लड़ाई पंजाब में टैररिज्म के दौरान चली, जिसमें 35 हजार लोग, जिनमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शहीद हुए, उसमें पुलिस वाले भी शहीद हुए, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। बल्कि जिन्होंने उन 35 हजार लोगों को शहीद किया, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, आज मेरा यह कहना है कि वहां की सरकार और बीजेपी वाले, जो अपने आपको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, वहां की सरकार जो वहां के टैररिस्ट्स हैं, उनकी फोटोज, उनकी यादगार, दरबार साहब गोल्डन टैम्पल के अजायबघर में लगवा रही है।

**माननीय अध्यक्ष :** आप केवल डिमांड कीजिए।

**श्री रवनीत सिंह :** लेकिन उन 35 हजार लोगों का कोई ख्याल नहीं कर रहा है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए मेरी यह अपील है कि जो 35 हजार लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद में कोई बड़ा मैमोरियल बनाया जाए, चाहे वह पंजाब में बने, चाहे दिल्ली में बने और उन्हें नौकरियां मुहैय्या कराई जाएं।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री कपिल पाटील, आप बोलिये।

**श्री रवनीत सिंह :** मैडम, यह बहुत सीरियस बात है, लोगों ने वहां अपनी शहादतें दी हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** हां आप बोलिये, मैंने कब मना किया है।

**श्री रवनीत सिंह :** नौकरियों के साथ-साथ उन्हें फ्लैट और कम से कम 15-15 लाख रुपये की मदद की जाए। जिन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की है, उनके लिए पंजाब की सरकार यादगार बना रही है, उनके अगेन्स्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा बीजेपी वाले उनका साथ छोड़ें, जिसके कारण हिन्दुस्तान और पंजाब में एक गलत मैसेज गया है। यह मेरी आपसे विनती है।

**श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (**महाराजगंज**) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 19, महाराजगंज, बिहार के विभिन्न प्रखंडों में फैली हजारों एकड़ कृषि योग्य जमीन में पिछले कई वर्षों से जल-जमाव रहने की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सारण जिलान्तर्गत प्रखंड माझी का तालपुरैना, दीघा प्रखंड एकमा एवं लहलादपुर का धूरदह, प्रखंड मशरख का बहियारा और घोघिया प्रखंड, बनियापुर का बहियारा, कन्हौली मनोहर, प्रखंड जलालपुर का ककरहट, बड़कागांव...

**माननीय अध्यक्ष :** आप थोड़े में पढ़िये, पूरी बात नहीं पढ़नी है। जीरो ऑवर में लम्बा-चौड़ा नहीं बोलते हैं।

**श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :** बड़कागांव जैसे चॅवर तथा सिवान जिलान्तर्गत भगवानपुर का का बसहरा, बड़ईला, बिहुना, बगाही चॅवर, प्रखंड महाराजगंज का सरैयॉ चॅवर जैसे अन्य कई चॅवरों में बारहो मास जल जमाव रहता है। मेरे क्षेत्र के हजारों किसान परिवारों का जीवन-यापन करना कठिन हो गया है। अपनी जमीन होते हुए भी इन परिवारों को इधर-उधर भटक कर गुजर-बसर करना पड़ता है। जबकि पहले इन क्षेत्रों में इतनी अच्छी फसल होती थी कि वहां के किसान अपने अलावा दूसरों का भरण-पोषण करने का काम करते थे। इन जगहों पर अच्छी तरह से धान और मक्का की फसल हुआ करती थी। लेकिन आज वहां जल जमाव की वजह से किसान बदहाल हैं, परेशान हैं और भुखमरी के कगार पर हैं। उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी कुप्रभाव पड़ा

है। महोदया, सरकार से मेरा आग्रह है कि उन क्षेत्रों में फैले जल जमाव को खत्म करने हेतु विशेष योजना तैयार करें जिससे उन हजारों किसान परिवारों का जीवन-यापन ठीक से व्यतीत हो सके या फिर उस जमीन पर जल से आधारित कृषि को बढ़ोत्तरी देने की सरकार योजना बनाए।

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** महोदया, संस्कृति, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, वीरता और खेल में उत्तराखण्ड ने पूरे देश को बहुत सारे रत्न दिए हैं। वर्तमान में खेल की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ाया है। किंतु वहां पर खेलों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। काशीपुर साई सब सेंटर से फुटबाल, टेबल टेनिस, ताइक्वान्डो एवं एथलेटिक्स आदि खोलों को हटाया जा रहा है जब कि ये खेल राज्य के परंपरागत खेल हैं और उत्तराखण्ड राज्य खेल राज्य घोषित हो चुका है। इन खेलों में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग ले कर पदक जीते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड को खेलों का हब बनाया जाए क्योंकि यहां साहसिक क्रीडा है, जिसने बछेन्द्री पाल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पर्वतारोहण को दिया है। यहां पर हिम क्रीडा है, औली है, जल क्रीडा है, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, फुटबॉल है। चाहे वे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का योगदान हो, उन्मुक्त चंद हों, मनिष पांडे हों, चाहे निशानेबाजी में जसपाल राणा रहे हों, चाहे एकता बिष्ट रही हों, हेमलता काला, चंद्रप्रभा एतवाल, मेजर हर्षवधर्न, पद्मबहादुर मल बॉक्सिंग में रहे हों, थापा ने एशियाड में पदक जीता है। अतः तमाम ऐसे दर्जनों लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार उसको एक विशेष हब के रूप में विकसित करे ताकि वहां से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाएं।

[अनुवाद] [8*]**श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती):** माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 6 महीनों से पूरा महाराष्ट्र गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं और हमने इस पर पहले भी चर्चा की

[8*] मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है। महाराष्ट्र सरकार राहत और सहायता के लिए केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध कर रही है। पिछले 2 दिनों में, टी.वी. चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला कि पूरे महाराष्ट्र और विशेष रूप से नासिक और धुले जिले में भीषण ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई। इससे अंगूर, अनार और प्याज की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसलिए, सभी किसान संकट में हैं और गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि केंद्र सरकार इस मामले को देखे और महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता और राहत प्रदान करे।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** श्री नाना पटोले एवं श्री अरविंद सावंत को श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का किसान सख्त मेहनत कर के देश को उन्नति की ओर ले जा रहा है। मैं गुजरात प्रदेश के किसानों के बारे में बात करना चाहता हूँ। महोदया, गुजरात में किसान कपास का उत्पादन करते हैं, देश के करीब 50 प्रतिशत कपास के उत्पादन में गुजरात के किसानों का अहम योगदान है। गुजरात के किसान सख्त मेहनत व्ारते हैं। मगर आज स्थिति ऐसी हुई है कि उनके उत्पादन मूल्य से भी कम मूल्य में कपास बेचा जाता है। वहां किसान आंदोलन पर उतरे हैं। किसान आज बहुत ही बेहाल स्थिति में है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों को उनके कपास के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 300 रूपए प्रति बेल से आधिक देना चाहिए। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री रामसिंह राठवा अपने आपको डॉ. किरिट पी. सोलंकी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**श्री दिनेश कश्यप (बस्तर) :** महोदया, मैं आपका ध्यान रेल परियोजना के बारे में दिलाना चाहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यह सवारधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मैं छत्तीसगढ़ की आर्थिक रेल लाइन और भिलाई इस्पात संयंत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली रावघाट रेल परियोजना के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। 11 दिसम्बर, 2007 को सेल-एन.एम.डी.सी.-रेलवे व छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य एम.ओ.यू. हुआ और इसके लिए पाँच साल का समय निधाररित किया गया था, लेकिन अभी तक इसके निर्माण के सम्बन्ध में कोई पहल नहीं हुई है और कोई कार्य नहीं हुआ है।

महोदया, फर्स्ट फेज में रेल लाइन का निर्माण होना था और फर्स्ट फेज पूरा होने पर सेकेंड फेज में दूसरा निर्माण होता। बस्तर क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल राज्य से भी बड़ा है, लेकिन रेल सुविधा की दृष्टि से वहाँ कुछ भी नहीं है। यह बात अलग है कि जापान को हमारा लोहा जाता है, हिन्दुस्तान को जाता है, लेकिन बस्तर के लोगों को, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लोगों के लिए रेल सुविधा की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। अगर हमको बस्तर से रायपुर आना हो तो हमको सड़क मार्ग से 300 किलोमीटर आना पड़ता है और आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अगर हमको रायपुर से दिल्ली आना होगा तो भी हमको असुविधा होती है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी, यू.पी.ए. सरकार ने तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन लोगों की आस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर है, हमारे रेल मंत्री

सुरेश प्रभु जी के ऊपर है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बस्तर जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र को, जहाँ पर सुरक्षा के साथ विकास किया जाना है, इसके लिए आप पहल करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को रेल सुविधा, रेल विस्तार का लाभ मिल सके। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

**श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) :** महोदया, मैं एक बहुत गम्भीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। पंजाब और दूसरे राज्यों के लाखों लोग विदेशों में बसे हुए हैं और वहाँ मजदूरी करके वे अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। थोड़ा अरसा पहले माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में गए और वहाँ उन्होंने विदेशों में रहने वालों को कहा कि आप भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट करो और आपके लिए पॉलिसीज भी हम चेंज करेंगे। उनके आते ही 14 अक्टूबर को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने, जो विदेशों से लोग यहाँ अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं, जो पैसे की रिमिटेन्स करते हैं, उस पर 12.36 परसेंट सर्विस टैक्स लगा दिया। यह उस सर्कुलर के उलट है, जिसमें यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने जुलाई 2012 में यह क्लेरिफाई किया था कि किसी भी बाहर से आने वाले पैसे पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा।

मैं समझता हूँ कि जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके साथ यह बहुत भारी अन्याय है, क्योंकि जब वे पैसे भेजते हैं तो वे वहाँ भी टैक्स देते हैं और जब वह पैसा यहाँ आता है तो उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। इसका यह इफेक्ट होगा कि एक तो उनको नुकसान होगा और दूसरा इससे देश में ब्लैक मनी और हवाला को प्रोत्साहन मिलेगा। एक तरफ तो भारत सरकार यह कह रही है कि ब्लैक मनी लाना है और हवाला खत्म करना है, लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि यह सर्कुलर जारी करके एक बहुत भारी अन्याय किया गया है। [अनुवाद] मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि फौरी तौर पर इस सर्कुलर को वापस लिया जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अपने आपको श्री संतोख सिंह चौधरी जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**अपराह्न 1.00 बजे**

[हिन्दी]

**श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा में बढ़ रहे प्रदूषण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। वर्धा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कार्यस्थल रहा है। सेवाग्राम कुटिया में बापू ने अपने जीवन के कुछ साल बिताए। सेवाग्राम कुटिया राष्ट्रीय धरोहर है जिसकी स्थिति प्रदूषण के कारण बहुत ही दयनीय हो रही है। शहर में उत्तम गाल्वा स्टील प्लांट है जिससे शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही देवली और एम.आर.डी.सी. तथा महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज़ का प्रदूषण बढ़ रहा है। इसकी जाँच की आवश्यकता है। मैंने पूर्व में भी इस संदर्भ में नियम 377 के अधीन मामला उठाया था, लेकिन गोल-मटोल एवं निराधार जवाब मिला है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। महोदया, इस समस्या के निदान करने हेतु एक कमेटी बनाकर जाँच करने की आवश्यकता है जिससे वर्धा प्रदूषण मुक्त हो।

**श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) :** अध्यक्ष महोदया, हमारे निर्वाचन क्षेत्र सीवान, बिहार में दो केन्द्रीय विद्यालय स्थित हैं। 2004 में केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ हुआ। वह प्राइवेट कालेज दारोगा राय कालेज में चल रहा है। दूसरा, 2012 में जो केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिली, वह दरौंदा प्रखंड के ग्राम उजाय के प्राइवेट मकान में चल रहा है। बार-बार प्राचार्य के अनुरोध के बावजूद भी जिला प्रशासन और बिहार सरकार ज़मीन आबंटन नहीं कर रही है जिससे विद्यालय का अपना भवन बन सके। इससे बच्चों को काफी असुविधा हो रही है। न चारदीवारी है तथा दुर्घटना होने की भी संभावना है। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे पहल करें, बिहार सरकार से बात करें और दोनों विद्यालयों के लिए ज़मीन आबंटित कराने की कृपा करें।

**श्रीमती रीती पाठक (सीधी) :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। आज मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मध्य भारत का अपार दैवीय संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। यह जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से तो काफी बृहद है, किन्तु सुविधाओं की दृष्टि से काफी पीछे है। इस 21वीं शताब्दी में जहाँ 3जी और 4जी जैसी टैक्नोलॉजीस का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को मोबाइल नैटकवर्क के अभाव में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदया, मध्य भारत का यह क्षेत्र सूचना व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पृथक भारत की अनुभूति करता है। अतः मैं इस सदन और आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से यह निवेदन करती हूँ कि संचार के इस अछूते क्षेत्र में विशेष अनुदान देकर पुराने संयंत्रों का नवीनीकरण व नए टावर लगवाने की विशेष कृपा करें।

[अनुवाद]

**श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण):** अध्यक्ष महोदया, मुंबई दक्षिण को देश के सबसे हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसमें अमीर और प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। यह सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पक्ष यह है कि इस जगह में सबसे गरीब लोग भी रहते हैं। हाल ही में, माननीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने संसद में बताया है कि सरकार झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के बारे में बहुत चिंतित है। मैं सरकार को उनकी चिंता दर्शाने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन, इसके साथ ही मैं सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 16,104 पुरानी इमारतें हैं, जिनमें से 13,366 इमारतों का निर्माण वर्ष 1940 से पहले किया गया था। उनमें से कुछ 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। मंत्री ने कुछ मॉडलों का उल्लेख किया जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में हैं जिन्हें झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास योजनाओं के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे योजनाएं पुरानी इमारतों के संबंध में लागू नहीं होती हैं।

महोदया, मैं, आपके माध्यम से सरकार के साथ-साथ मंत्री जी के भी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मैं इस विषय पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता हूँ। इन संख्याओं में से, लगभग 5000 इमारतें जर्जर स्थिति में हैं। सरकार ने घोषणा की है कि इन इमारतों में रहना खतरनाक है, लेकिन लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उन घरों में रह रहे हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि झुग्गी-झोंपड़ियों के पुनर्वास की योजना बनाते समय इनको मुंबई की पुरानी इमारतों को भी पुनर्वास हेतु शामिल किया जाए।

महोदया, आपने मुझे सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उनका पुनर्वास करते समय, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि पुरानी इमारतों को शामिल किया जाए और उनके लिए पक्का घर योजना के तहत नए आवास बनाए जाएं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है।

**माननीय अध्यक्ष:** डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

**श्री सी. महेंद्रन (पोल्लाची):** अध्यक्ष महोदया, मैं तमिलनाडु की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, लगभग 92,000 हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है। यह तमिलनाडु में नारियल की खेती के एक-चौथाई क्षेत्र के बराबर है। दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसून की विफलता के कारण, नारियल किसान संकट में हैं और खोपरा उत्पादन में भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसलिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खोपरा का उत्पादन कम हो रहा है। बड़ी कठिनाई के साथ, 2,02,000 मीट्रिक टन खोपरा का उत्पादन किया जा रहा है। किसान नारियल की खेती जारी नहीं रख सके क्योंकि नेफेड द्वारा निर्धारित कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 52.50 रुपये प्रति किलोग्राम है। हाल

ही में, मुझे पता चला है कि कीमत में 3 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। वास्तव में, खुले बाजार में कोपरा का कारोबार 105 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास किया जा रहा है।

तमिलनाडु की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय थलाइवी अम्मा ने पहले ही अनुरोध किया था कि नेफेड द्वारा निर्धारित नारियल की खरीद मूल्य को बढ़ाकर 140 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाए ताकि नारियल किसानों को वित्तीय संकट से राहत दिलाया जा सके ।

अध्यक्ष महोदया, यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध नहीं है बल्कि यह पूरे भारत में करोड़ों नारियल किसानों के कल्याण के लिए है जहां तक खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 140 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का संबंध है।

मुझे बहुत खुशी होगी यदि नेफेड द्वारा कोपरा का खरीद मूल्य 140 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया जाता है, पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था की जाती है और इस वित्त वर्ष में ही बाजार मूल्य स्थिरीकरण निधि से राशि जारी की जाती है।

**श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर):** अध्यक्ष महोदया, भले ही लाल मिर्च मसालों का राजा न हो, लेकिन तीखेपन, स्वाद और सुगंध के मामले में यह मसालों के राजा - काली मिर्च - से मेल खाती है और मसालों का सबसे महत्वपूर्ण घटक बन गई है, और इसीलिए, इसे सार्वभौमिक मसाला कहा जाता है।

प्रमुख मिर्च उत्पादक देशों में से, भारतीय मिर्च अपनी बेहतर गुणवत्ता और तीखापन के कारण दुनिया पर हावी हो गई है। भारत में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्य हैं। इनमें से, आंध्र प्रदेश के भीतर, गुंटूर जिला मिर्च के वैश्विक उत्पादन का 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है। कई लाभ होने के बावजूद, हम बाजार का पूंजीकरण करने, मिर्च का उत्पादन

करने और अन्य देशों को निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं। यह सब उत्पादन, विपणन, अनुसंधान और विकास, निर्यात, विश्व गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने आदि के असंगठित तरीके के कारण है।

मैं इन सभी कमियों को दूर करने के लिए दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि मसालों के बोर्ड, रबर बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, कॉफी बोर्ड, आदि की तर्ज पर एक अलग मिर्च बोर्ड की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि ए.पी.ई.डी.ए. मिर्च के प्रचार और निर्यात को उचित ठहराने में सक्षम नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह भारतीय मिर्च के उत्पादन, संवर्धन और निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मुख्यालय के साथ एक अलग मिर्च बोर्ड की स्थापना करे। मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित बोर्ड निम्नलिखित उपाय कर सकता है जिससे न केवल मिर्च किसानों को बल्कि मिर्च के घरेलू और निर्यात बाजार को भी मदद मिलेगी जैसे कि क्षेत्र और उत्पादन का विनियमन, ऋण तक आसान और समय पर पहुँच, इनपुट की समय पर उपलब्धता, नए बाजार के अवसरों का विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, हितधारकों की क्षमता निर्माण, कटाई के बाद की तकनीक और बुनियादी ढाँचे तक पहुँच, बाजार का विनियमन और बिचौलियों से बचना, किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य, गुणवत्ता के मामले में सुनिश्चित उत्पादन, मूल्य वर्धित और अन्य संबद्ध उद्योगों की स्थापना की गुंजाइश।

**श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम)**: अध्यक्ष महोदया, 'शून्य काल' के दौरान मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। यह भारत के किसानों से संबंधित चिंता का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उत्पादन और कृषि आय में धीरे-धीरे कमी आई है।

किसानों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे नकली बीज, उर्वरक, कीटनाशक की बिक्री और आग लगने की समस्या। इसकी वजह से और कृषि के बढ़ते व्यवसायीकरण के कारण भी, कृषि आय में काफी कमी आई है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कृषि मंत्रालय में एक अलग कृषि फसल बीमा स्कंध स्थापित करे। वर्तमान में एक योजना है, लेकिन किसान निरक्षर होने के कारण और योजना की वित्तीय प्रक्रियाओं को न जानने के कारण लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

यदि आप एल.आई.सी. द्वारा चलाई जाने वाली बीमा योजनाओं को देखें, तो वे सभी ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में प्रचलित हैं। यह एल.आई.सी. एजेंटों के कारण है जिन्हें हर बार जब कोई बीमा लेता है तो प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसलिए, कृषि बीमा में भी इसी तरह की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। फसल बीमा अभिकर्ता होने चाहिए, जो किसानों के पास जाएंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे और उन्हें बीमा लेने के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा ताकि उन्हें लाभ मिले। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अरविंद सावंत और श्री दुष्यंत चौटाला को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

ज़ीरो आवर में हमेशा छोटा भाषण और अपनी एक डिमांड रखनी होती है, लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं।

[अनुवाद]

**श्री एम. बी. राजेश (पालक्काड)**: अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें आज पांच वर्ष के निचले स्तर पर हैं। यह पांच वर्ष पहले 148 डॉलर प्रति बैरल था। अब, यह घटकर 62 डॉलर प्रति बैरल हो गयी है। दुर्भाग्य से, यह बड़ा लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है। इसकी बजाय सरकार ने एक  महीने के अंदर दो बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। सरकार को 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है। जब-जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं, सरकार घरेलू तेल की कीमतों में तेजी लाई है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिर रही हैं, तो सरकार कीमतों को कम करने की अनिच्छुक है।

बेशक, इसमें कुछ कमी आई है। लेकिन जो भी कमी की गई वह नाममात्र की थी और वह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई बड़ी गिरावट से बहुत कम है। हमारे कई पड़ोसियों सहित लगभग 52 देशों में हमारे देशों की तुलना में उनके देशों में डीजल की कीमतें बहुत कम हैं। यह 'चित्त मैं जीतता हूं, पट्ट आप हारते हैं' की स्थिति है। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। यह जनता के साथ धोखा है।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को वापस लिया जाए तथा कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट के अनुरूप उपभोक्ताओं को पूरा लाभ देने के लिए कीमतों को कम किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री पी. के. बिजू, डॉ. ए. संपत, श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर, श्री पी. करुणाकरण, डॉ. के. कामराज, श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान को श्री एम. बी. राजेश द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** मैडम स्पीकर, पंजाब के लोग पूरी दुनिया में बसते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया में। हमारे चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका जो निर्माण है, उसको ऑपरेट करने का मामला बहुत दिनों से लटक रहा है। इससे चार स्टेट्स - जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब- प्रभावित हो रहे हैं। जब लोगों को बाहर ट्रैवल करना होता है, तो उन्हें और उनके रिश्तेदारों को दिल्ली आना पड़ता है, जिससे पैसा और समय बर्बाद होता है।

मैं आपके माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से आग्रह करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्दी से जल्दी चलाया जाए। जैसे एयर कनाडा अभी दिल्ली के लिए शुरू हो रही है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को चाहिए कि उसे सीधे चंडीगढ़ के लिए शुरू करें ताकि इसका लोगों को बेनेफिट मिल

सके। पंजाब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने से चंडीगढ़ को भी फायदा होगा और हमारे लोगों का पैसा और समय बचेगा।

[अनुवाद]

**श्री आर. पी. मरुदराजा (पेरम्बलुर)**: सर्वप्रथम, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय को मेरे संसदीय क्षेत्र पेरम्बलुर की जनता की ओर से इस प्रतिष्ठित सभा में अपना अनुरोध रखने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक तमिलनाडु मक्कलिन मुधलवर डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा को धन्यवाद देता हूँ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के कई लंबित, अनसुलझे मुद्दे हैं। इसमें अरियालूर और नमक्कल के बीच, पेरम्बलुर, थुरैयूर और मुसिरी *से होते हुए* नई रेल सेवा शुरू करना शामिल है। दूसरे, कृपया विल्लुपुरम त्रिची कॉर्ड लाइन के किमी 326/10 मीटर उत्तम कोविल रेलवे स्टेशन पर एक नए सबवे के निर्माण के लिए आवश्यक धन आवंटित करें। तीसरा, लालगुड़ी दक्षिणी भाग के राजस्व प्रभाग का तालुक मुख्यालय है। इसलिए, कृपया निम्नलिखित ट्रेनों के ठहराव के लिए आदेश जारी करने के लिए कदम उठाएं: ट्रेन संख्या 16127/16128; 16714/16713; और 16107/16108.

लालगुड़ी रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर कोई छत नहीं है। इससे आम लोगों को गर्मी और बारिश के मौसम में असुविधा होती है। कृपया आरक्षण के लिए अलग-अलग पी.आर.एस. सुविधाओं की व्यवस्था करें। मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि रेलवे स्टेशन में टच-स्क्रीन सुविधाएं स्थापित करने और नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि आरक्षण का समय बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे कर दिया जाए। इस नेक कार्य के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे।

[हिन्दी]

**श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद):** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु रामचन्द्र जी की जन्मभूमि अयोध्या है। देश और दुनिया के सारे श्रद्धालुओं, करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर का निर्माण करना है। वहां रामलला की मूर्ति स्थापित है, इसलिए वहां राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह सभी लोगों की डिमांड है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, अभी मैंने शुरुआत की है, मुझे बोलने दीजिए। आज मैं भगवा शर्ट पहन कर आया हूं, मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं। सभी लोगों की डिमांड है, सभी श्रद्धालुओं और हिन्दुओं की आस्था है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बात बताना चाहता हूं, अब तो मुसलमानों की भी, उनकी ओर से भी...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वह मामला तो कोर्ट में है न।

... (व्यवधान)

**श्री चन्द्रकांत खैरे:** मुख्य जो पेटीशनर है,...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** महोदया, यह एक विवादास्पद मामला है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

**श्री चन्द्रकांत खैरे:** सम्माननीय हाशिम अंसारी ने भी कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए।...(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) आप भी हिन्दू हैं। ...(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि कई मुस्लिम महिलाओं ने भी प्रधान मंत्री जी के कार्यालय में जाकर कहा कि राम मंदिर का निर्माण करिए।...(व्यवधान) कल भी मुंबई में सभी साधु-संतों की उपस्थिति में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, विश्व हिन्दू परिषद् का कार्यक्रम हुआ।...(व्यवधान) वहां दोनों शंकराचार्य जी, काशी के शंकराचार्य जी और कांची के शंकराचार्य जी एवं कई लोगों ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए।...(व्यवधान) परमपूज्य जगदगुरू नरेन्द्रचार्य महाराज ने भी कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सारे साधु-संत योगी आदित्य नाथ जी ने भी परसों कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान) हमने भी जब कारसेवा की, ...(व्यवधान) हमने लाठी भी खाई।...(व्यवधान) राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ...(व्यवधान) जहां प्रभु रामचन्द्र की भूमि है, वहां राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए।...(व्यवधान) ये निर्माण जल्दी-जल्दी करें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 13वीं लोक सभा में मैंने एक प्रश्न रेज़ किया था तो प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अपना पूरा बहुमत आने दीजिए, राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आज पूरा बहुमत हैं।...(व्यवधान) 335 अपने सांसद हैं।...(व्यवधान) सभी लोग चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के काल में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मोदी जी और अपनी सरकार को यह कहूंगा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हमारा पूरा बहुमत है, कोई कुछ बोलेगा नहीं।...(व्यवधान) इसके लिए सभी हिन्दुओं की आस्था है, वह आस्था की प्रतीक रामलला की मूर्ति और राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ...(व्यवधान) धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकरा):** महोदया, यह मामला *न्यायालय में विचाराधीन* है। इसलिए, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

**श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा)**: महोदया, मैं इस प्रतिष्ठित सभा का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो आज बताया गया है। यह 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार के कथित कदम के बारे में है। … (*व्यवधान*) यह क्रिसमस का दिन है।

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष:** इसमें क्या करना है?

[अनुवाद]

**श्री के. सी. वेणुगोपाल** : जिस दिन वे इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, वह ईसा मसीह का जन्म दिवस है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है । हम श्री वाजपेयी जी के या श्री अटल बिहारी वाजपेई जी के जन्म दिवस को मनाने के  खिलाफ नहीं हैं । यह अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है।

मुद्दा यह है कि नवोदय विद्यालय ने केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों को एक परिपत्र जारी किया है। स्कूल सी.बी.एस.ई. से संबद्ध हैं। नवोदय विद्यालय के परिपत्र में कहा गया है कि सीबीएसई दिसंबर 24 और 25 को एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, जिसके लिए विषयों को

दिसंबर 23 को घोषित किया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता कक्षा 1 से 5 ; 6 और 7 तथा 9 और 10 के लिए आयोजित की जाएगी।

नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त श्री वी.एस. मोतियाल ने स्कूलों को सुशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, स्क्रीन वृत्तचित्र आयोजित करने और क्रिसमस के दिन संबंधित गतिविधियों को करने के लिए कहा है। क्या यह सुशासन है? … (*व्यवधान*) क्रिसमस के दिन, हर ईसाई प्रार्थना के लिए चर्च जाएगा। न केवल ईसाई, बल्कि सभी लोग चर्चों में जाएंगे। 24 की रात से और 25 के सुबह भी, प्रत्येक ईसाई परिवार और उनसे जुड़े लोग भक्ति अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के लिए चर्च में होंगे। निबंध प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बच्चों को उस शुभ दिन स्कूलों में उपस्थित होने के लिए कहना वास्तव में अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत करेगा। एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश होने के नाते, भारत की सरकार क्रिसमस के दिन इस प्रकार की गतिविधियों पर कैसे जोर दे सकती है? क्या यह सुशासन है? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आप केवल अपनी बात रखिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री के. सी. वेणुगोपाल** : महोदया, वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाना अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वाजपेयी जी अल्पसंख्यकों की आस्था को दबाने की कीमत पर ऐसा कोई सम्मान नहीं चाहते। … (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, श्री पी. के. बिजू, श्री एम. बी. राजेश, डॉ. ए. संपत और श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर को श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति है।

श्री बदरुद्दोजा खान।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** आपने अपना मैटर बता दिया है।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** ज़ीरो आवर में बाकी कुछ नहीं होता।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान) ...* [9*]

[9*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री मो. बदरुद्दोजा खान (मुर्शिदाबाद)**: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भागीरथी नदी पर एक रेल पुल बना है। इस पुल का निर्माण कार्य कम से कम 1½ साल पहले पूरा हो गया है। … (*व्यवधान*) लेकिन अजीमगंज जंक्शन की ओर जाने वाले मार्ग में कुछ भूमि विवाद के कारण पुल तक नहीं पहुंचा जा सकता और न ही उसका उपयोग किया जा सकता है। … (*व्यवधान*) किन्तु व्यथा यह है कि इस संबंध में समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एक पुल का यदि लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो यह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। … (*व्यवधान*) इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ इस पर कोई पहल करें और इस पुल का जल्द से जल्द उपयोग शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं ताकि समस्या का समाधान हो सके। … (*व्यवधान*)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री बिद्युत बरन महतो - उपस्थित नहीं

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :** अध्यक्ष महोदया, मेरे गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 630 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले बोकारो थर्मल पावर प्लांट में आज दस दिनों से बिजली उत्पादन ठप्प है। अभी तक लगभग 12 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।...(व्यवधान) एक तरफ झारखंड में बिजली की कटौती पांच से छ: घंटे तक है। डीवीसी का कहना है चूंकि यहां कोयले की खपत ज्यादा है, इसलिए हम अंडाल और कोडरमा प्लांट को चलाना चाह रहे हैं।...(व्यवधान) डीवीसी के वरीय आधिकारियों के निर्देश पर विद्युत संयंत्र को चालू नहीं किया जा रहा है।...(व्यवधान) वहां लगभग दो हजार रैगुलर और

ठेका मजदूर बेकार बैठे हुए हैं।...(व्यवधान) डीवीसी का कहना है कि कोडरमा में 500 मेगावाट क्षमता वाले एक यूनिट के अलावा अंडाल से बिजली उत्पादन शुरू होने के कारण फिलहाल बीटीपीएस को बंद रखा है क्योंकि यहां कोयले की खपत कम है तथा विद्युत उत्पादन आधिक है।...(व्यवधान) इस नीति के कारण विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है और सरकार के राजस्व में घाटा हो रहा है।...(व्यवधान)

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि बीटीपीएस में विद्युत उत्पादन शुरू करने और विद्युत उत्पादन बाधित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा की जाए।...(व्यवधान)

**<u>अपराह्न 1.23 बजे</u>**

*इस समय, श्री के. सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**<u>अपराह्न 1.24 बजे</u>**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

———————

**<u>अपराह्न 2.32 बजे</u>**

*लोक सभा अपराह्न दो बजकर बत्तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।*

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

## नियम 377 के अधीन मामले [10*]

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे बीस मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर सौंप दें।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जो निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में पटल पर प्राप्त होंगे। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (*व्यवधान*)

[10*]सभा पटल पर रखे गए माने गए।

[अनुवाद]

## (एक) बिहार के बेतिया जिले में गंडक नदी पर पखनाहा तथा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तमकुही के बीच पुल बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) :** भगवान बुद्ध ने आखिरी बार अपने शिष्यों को केसरिया (बिहार) में संबोधित किया था तथा वहाँ से कुशीनगर (उ0प्र0) प्रस्थान कर गए थे जहां उनका महानिर्वाण हुआ। वे गंडक नदी को पखनाहा-तमकुही से पार किए थे। वर्षों से बिहार तथा उत्तर प्रदेश के नागरिक पखनाहा-तमकुही घाट पर पुल बनाने हेतु संघर्षरत है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध हे ही बुद्धा सर्किट मार्ग में बेतिया से कुशीनगर पथ में पखनाहा-तमकुही पुल को शामिल किया जाए जिससे इस मार्ग से नन्दनगढ़ बौद्ध स्तूप, अररोज एवं लोरिया अशोक स्तम्भ सीधे कुशीनगर से जुड़ सकें और भगवान बुद्ध द्वारा चले गए मार्ग से पर्यटक सीधे बौद्ध स्थलों का दर्शन कर सकें।

**(दो) उत्तर प्रदेश में अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गजरौला में औद्योगिक कारखानों द्वारा बागड़ नदी में अपशिष्ट बहाए जाने पर रोक लगाने हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता**

**श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) :** मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे जल एवं वायु प्रदूषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गजरौला शहर की कई फैक्ट्रियों में रसायनों का उत्पादन होता है जिसमें जुबिलेन्ट आगेरनिक्स प्रमुख है जो थोड़ा आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। इस फैक्ट्री का गंदा व रसायनयुक्त पानी बगद नदी में छोड़ा जाता है। पानी को जमा सोख लेती है जिसके कारण वहाँ भूजल भी संक्रमित तथा दूषित हो गया है।

इन फैक्ट्रियों के आसपास लगभग 30-35 किलोमीटर के क्षेत्र के लगभग 50 गाँवों में नलों से संक्रमित जल पीने को लोग मजबूर हैं जिसके कारण यहाँ के लोग कैंसर, ब्लड कैंसर, हैपेटाइटिस-सी जैसी जनलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लोग समय-समय पर इस समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाते रहे हैं, पर आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध हे कि इसके लिए एक जांच समिति बनाई जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य व जीवन की रक्षा की जा सके।

## (तीन) संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किये जाने की आवश्यकता

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):** विश्व की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी लगभग 70 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 16 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड में इसका प्रयोग व्यापक है। नेपाल के तराई क्षेत्र, मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, थाईलैण्ड, हॉलैण्ड, मलेशिया तथा सिंगापुर सहित 27 देशों में भी इसका व्यापक आधार है। ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र द्वारा 'भोज' शब्द जिससे भोजपुरी बनी, का उल्लेख तो है ही, महाभारत सहित विभिन्न धर्मग्रन्था से होते हुए मालवा के राजा भोज, उज्जैन के भोज, गुर्जर प्रतिहार भोज, काशी तथा डुगरॉव के भोज राजाओं का इतिहास भोजपुरी की व्यापकता, विशालता और प्राचीनता का गवाह है।

संत साहित्यकारों गुरू गोरखनाथ जी, चौरंगीनाथ जी, योगिराज भतृहरि, कबीरदास, कमलदास, धरमदास, धरनीदास, पलटूदास, भीखा साहेब जैसे सैकड़ों सन्त साहित्यकारों, विचारकों और चिन्तकों ने अपनी लोक कथाओं, गीतों, लोकगाथाओं और लोकोक्तियों से भोजपुरी की पीढ़ी-दर-पीढी एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचाया। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भगवतशरण उपाध्याय और चतुरी चाचा जैसे रचनाकारों ने भोजपुरी गद्य साहित्य को नई ऊंचाइयाँ प्रदान की।

भारतीय संविधान कि मूल रूप में 14 भाषाएं ही आठवीं सूची में थी। बाद में इसमें संशोधन कर सिन्धी, कोंकड़ी, नेपाली, मैनपुरी, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को भी शामिल कर लिया गया। भोजपुरी संस्कृति इन सभी भाषाओं का आदर करते हुए यह जानना चाहती है कि जिस वजह से इन बोलियों को इस सूची में शामिल किया गया, उनमें से क्या कोई एक भी तत्व ऐसा है जिसे भोजपुरी भाषा पूर्ण न करती हो। यद्यपि गृह मंत्रालय ने भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी किया है, फिर भोजपुरी के साथ यह अन्याय क्यों ?

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि 16 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझते हुए भोजपुरी भाषा को तत्काल आठवीं सूची में शामिल किया जाए।

**(चार) मध्य प्रदेश में दामोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के लिये जिन लोगों की भूमि अधिगृहित की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा तथा वैकल्पिक भूमि दिये जाने की आवश्यकता**

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दामोह) :** मैं सरकार का ध्यान नौरादेही चीता अभ्यारण्य द्वारा विस्थापित ग्रामीणों की समस्या की तरफ आकृति करना चाहता हूं। नौरादेही चीता अभ्यारण्य के द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र दमोह (मध्य प्रदेश) के तकरीबन 23 गाँव विस्थापन के कगार पर हैं और उन ग्रामीणों के आवास और खेती की जमीन दोनों ही उनसे छिन जाएंगे। किसानों की करीब 1500 हेक्टेयर जमीन इस अभ्यारण्य के अंदर आ गई है जिससे ये किसान भूमिहीन होने के कगार पर है। मुआवजा 10 लाख प्रति परिवार तय किया गया है जो पर्याप्त नहीं है और न ही जमीन के बदले जमीन देने की कोई व्यवस्था की गई है। इस इलाके में दूर तक खाली जमीन उपलब्ध नहीं है जिस जगह पर उन गरीब किसानों का पुनर्वास किया जाएगा।

मैं भारत सरकार विशेषकर वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि उन किसानों को उचित मुआवजा दिलाने तथा अन्यत्र खेती योग्य जमीन उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाएं जिससे किसान अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

## (पांच) राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं तथा यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

**कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) :** मेरा संसदीय क्षेत्र अभावग्रस्त एवं मरूस्थलीय क्षेत्र है। अब तक लोग जीविका हेतु मजदूरी एवं व्यापार के लिए दक्षिणी एवं उत्तरी भारत के महानगरों पर निर्भर थे और कई तो वहाँ के स्थायी निवासी भी हो गए। मारवाड़ी समूचे हिन्दुस्तान ही नहीं आपितु विश्व में छाये हुए हैं लेकिन अभी भी सांस्कृतिक परंपराओं एवं संस्कारों के कारण अपनी जन्मभूमि से जुड़े हैं। यहाँ अब प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा के रूप में तेल, कोयला, लिग्नाईट, स्टील बेस लाइम, बेटोनाइट जिप्सम ग्रेनाइट आदि का भण्डार मिला है। इसी वजह से यहाँ भी औद्योगिक ईकायाँ स्थापित हो रही हैं। बाड़मेर औद्योगिक रूप से विश्व पटल पर उभर रहा है एवं जैसलमेर पर्यटन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सीमा से सटे होने के कारण एयरफोर्स, सेवा एवं बी.एस. एफ, के जवानों का आवागमन भी इसी क्षेत्र में होता रहा है, फिर भी इस क्षेत्र में रेलवे की सुविधाएं नाममात्र की हैं।

बाड़मेर-जैसलमेर दोनों सीमान्त जिले होने के अलावा समुद्री बन्दरगाह के निकट पड़ता है। अतः प्राकृतिक सम्पदा का निर्यात करने के लिए जैसलमेर-बाडमेर-अहमदाबाद-कांडला का रेलवे लाइन से जोड़ना नितान्त आवश्यक है। इस मार्ग का वर्ष 2000-2001 में रेलवे विभाग द्वारा सर्वे कराया गया था जिसमें स्टेशन एवं मार्ग भी चिन्हित कर दिये गये थे परंतु बजट का प्रावधान नहीं हो पाया।

बाड़मेर-जैसलमेर जिले के साथ ही मार्ग में जालोर का कुछ हिस्सा आता है जिसकी जनसंख्या करीब 22 लाख है। साथ ही यहाँ से थलसेना, वायुसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज का पड़ाव इस सीमांत क्षेत्र में हमेशा रहता है। वर्तमान में रेल सेवाएं भी पर्याप्त नहीं है।

बाड़मेर एवं जैसलमेर से दक्षिणी व उत्तरी भारत को रेल सेवाओं से सीधा जोड़ा जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो और व्यापारियों को माल ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा एवं समय दोनों की बचत होगी।

जोधपुर रेलवे मुख्यालय पर जमीन की कमी होने के कारण यहाँ यात्री रेल गाड़ियों को रोकने, उनकी सफाई एवं मेन्टेनेन्स करने में परेशानी आ रही है। ऐसी स्थिति में बाड़मेर स्टेशन जहाँ पर्याप्त मात्रा में रेलवे के पास भूमि उपलब्ध है, वहां लोकोशेड एवं पार्किंग का निर्माण करवाया जाए तो कई गाड़ियों को बाड़मेर रोका जा सकता है। इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो जोधपुर पर दबाव नहीं रहेगा। दूसरे, बाड़मेर की जनता को पर्याप्त गाड़ियां भी मिल जायेंगी।

मण्डोर एक्सप्रेस (जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर), सूर्यनगरी एक्सप्रेस (जोधपुर-बान्द्रा-जोधपुर), जोधपुर-जयपुर एक्सप्रेस, दिल्ली-सुजानगढ़-भगत की कोठी (14705-06) को बाड़मेर तक बढ़ाकर बाड़मेर में पार्क किया जावे तथा गुवाहाटी एक्सप्रेस, यशवन्तपुरम एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाये जाए। साथ ही मालाणी एक्सप्रेस (जैसलमेर-बाड़मेर-दिल्ली) में साधारण कोच की संख्या बढ़ाई जावे।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वाणिज्यिक, सामरिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त की व्यवस्था की जाती है तो विभाग एवं आम जनता के हित में होगा।

## (छह) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीवर प्रणाली सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता

**श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर):** नदियों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या जिले में सीवर लाइन की अनुपलब्धता इसका एक मुख्य कारण है । हमारी सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन जैसे कार्यक्रम का संचालन कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आधिकांश जिलों में सीवर लाइन उपलबध न होने के कारण अवशिष्ट तथा मलयुक्त जल पूरे शहर में जहां-तहां फैला रहता है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ पनपती रहती हैं, साथ ही शहर की सीवेज व्ा जहरीला जल बिना शोधित किये सीधे नदियों में गिराया जा रहा है जिससे नदी के जल के साथ-साथ भू-गर्भीय जल भी पीने योग्य नहीं बचा है। हमारे संसदीय क्षेत्र शाहजहाँपुर में एक संस्था " पृथ्वी " साइन्टिफिक एसोसियेशन के सहयोग से किए गए अध्ययन में विगत दिनों जल में प्रदूषण की तथा खतरनाम रसायनों की मात्रा स्वीकृत मानकों से आधिक पायी गयी तथा सम्पूर्ण जल आसेरनिक तत्वों से युक्त पाया गया जो जन-जीवन के साथ-साथ साग-सब्जियों एवं खाद्यान्नों के लिए हानिकारक है।

अतः मैं भारत सरकार से यह निवेदन एवं माँग करती हूँ कि मेरे जनपद शाहजहाँपुर में नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में सीवर लाइन बिछाने के साथ ही गंदे जल के निस्तारण के लिए शोधन यंत्र लगाये जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

## (सात) उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किये जाने की आवश्यकता

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी(गढ़वाल):** मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ दूरसंचार की सुविधाएं अभी तक मात्र नगरों तक ही सीमित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जिसका मुख्य कारण टेलीफोन टावरों का उपलब्ध नहीं होना अथवा पहुँच से बाहर होना है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वांछित स्थानों पर संचार टावर अभी तक मांग के अनुरूप स्थापित नहीं किए गए हैं और न ही निजी कंपनियों द्वारा इन क्षेत्रों में टावर स्थापित किये जा रहे हैं जिससे आज के तकनीकी युग में भी जनता को वह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिस प्रकार की सुविधाएं देश के अन्य भागों में सरकार जनता को उपलब्ध करवा रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों (जनपद- पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग व टिहरी) में तुरन्त विभाग द्वारा सर्वे कराया जाए और आवश्यकता के अनुरूप टेलीफोन टावर लगाने के स्थानों का चयन कर टावर शीघ्र लगवाएं जाएं तथा जनता को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाएं जाएं।

## (आठ) अहमदाबाद और उदयपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किये जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

**श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) :** अहमदाबाद से उदयपुर रेलवे लाइन पर मीटरगेज से ब्रॉडगेज कन्वर्जन का कार्य पिछले तीन साल से चल रहा है लेकिन उस काम में बहुत प्रगति नहीं हो रही है। इस लाइन पर ट्रैफिक का बहुत दबाव है परंतु धीमी गति से चल रहे कन्वर्जन का कार्य के कारण रेल मंत्रालय को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त रेलवे लाइन के मीटरगेज से ब्रॉडगेज कन्वर्जन कार्य में प्रगति लाने हेतु शीघ्र कदम उठाया जाए।

## (नौ) असम में चाय श्रमिकों को रियायती दर पर राशन की आपूर्ति जारी रखे जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** केंद्र ने चाय मजदूरों के लिए सब्सिडी वाले राशन को रोकने का फैसला किया है और राज्य सरकार से चाय बागान प्रबंधन को थोक खाद्यान्न आवंटित करने की प्रणाली को खत्म करने के लिए कहा है। यह निर्णय असम में चाय बागान मजदूरों के 19,28,719 परिवारों को प्रभावित करेगा।

इस संबंध में, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत, असम में प्रत्येक चाय बागान श्रमिक को चाय बागान प्रबंधन से हर सप्ताह 55 पैसे प्रति कि.ग्रा. पर चावल या गेहूं सहित 3.26 कि.ग्रा. खाद्यान्न मिलता है। इसी तरह, मजदूरों का आश्रित प्रति सप्ताह समान दर पर 2.44 कि.ग्रा. खाद्यान्न का हकदार है। उनके बच्चों को रियायती दर पर प्रति सप्ताह 1.22 कि.ग्रा. राशन मिलता है। जबकि असम सरकार इस उद्देश्य के लिए रियायती दरों पर हर महीने बागान प्रबंधन को कुल 12,590 मीट्रिक टन चावल और गेहूं उपलब्ध करा रही है। यह प्रणाली पिछले 60 वर्षों से असम में लागू है और इसे अचानक से हटा दिया गया है, और वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना न केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के चाय उद्योग के हितों को प्रभावित करेगी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय राजकोष को भी प्रभावित करेगी।

इसलिए, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि सामान्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों और विशेष रूप से असम के चाय बागान श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जारी परिपत्र को रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

## (दस) तमिलनाडु में चेन्नई, रामनाथपुरम और तूतीकोरिन में पानी का खारापन दूर किये जाने हेतु संयंत्र स्थापित किये जाने के लिए निधि आवंटित किये जाने की आवश्यकता

**श्री जे. टी. नट्टर्जी (थूथुकुडी):** तमिलनाडु को बहुत कम सतही पानी और घटते भूजल संसाधनों के साथ गंभीर पेयजल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समुद्र के पानी को पीने के पानी में बदलने के लिए प्रमुख विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है। तूतीकोरिन भी एक पानी की कमी वाला क्षेत्र है। इसलिए, तमिलनाडु सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की लागत से 100 एम.एल.डी. क्षमता का विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है। राज्य सरकार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि चेन्नई, रामनाथपुरम और तूतीकोरिन में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत वहन किया जाए। मैं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय से इस मुद्दे को तूतीकोरिन निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए अगले बजट में निधियों के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ उठाने का आग्रह करता हूं।

## (ग्यारह) देश में एम्ब्रयोनिक स्टेम सेल पर शोध कार्य करने की अनुमति जारी रखे जाने तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त निधि प्रदान किये जाने की आवश्यकता

**श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर):** स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश, जैसा कि वर्ष 2013 में संशोधित किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि हेमेटोलॉजिकल विकारों के अलावा स्टेम सेल थेरेपी को जांच के रूप में माना जाएगा और आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद केवल नैदानिक परीक्षण के रूप में किया जाएगा। नैदानिक परीक्षण के क्षेत्र के बाहर किसी अन्य उद्देश्य के लिए स्टेम सेल के उपयोग को अनैतिक माना गया है, और इसलिए, संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अनुमेय नहीं है।

उपरोक्त दिशानिर्देश भ्रूण स्टेम कोशिकाओं पर अनुसंधान को भी प्रतिबंधित करते हैं। स्टेम कोशिकाओं, विशिष्ट कोशिका प्रकारों में अंतर करने के लिए निर्देशित, मांसपेशियों में गिरावट, रीढ़ की हड्डी की चोट, स्ट्रोक, जलन, हृदय रोग, मधुमेह आदि सहित बीमारियों के इलाज के लिए प्रतिस्थापन कोशिकाओं और ऊतकों के नवीकरणीय स्रोत की संभावना प्रदान करते हैं। इसके अलावा, भ्रूण से प्राप्त कोशिकाएं वास्तव में टोटिपोटेंट हैं, जिसका अर्थ है कि ये किसी भी प्रकार के ऊतकों को जन्म देने में सक्षम हैं। यह भ्रूण स्टेम कोशिकाओं को बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के उपचार के लिए संभावित रूप से सक्षम बनाता है।

भ्रूण स्टेम कोशिकाओं के महत्व के आलोक में, और वयस्क स्टेम कोशिकाओं पर उनकी श्रेष्ठता में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भ्रूण स्टेम कोशिकाओं पर बुनियादी शोध की अनुमति देना जारी रखें। हमारे वैज्ञानिक ज्ञान और विशेषज्ञता को देखते हुए, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो इस क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। इस शोध के अचानक प्रतिबंध के परिणामस्वरूप बहुत मेहनत और धन बर्बाद हो रहा है। मैं सरकार से इस क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए निधियों के आवंटन में वृद्धि के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से इसे बढ़ावा देने का भी आग्रह करता हूं।

## (बारह) ओडिशा में इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड द्वारा उत्पादित खनिजों से मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन किये जाने की आवश्यकता

**डॉ. सिद्धांत महापात्रा (बरहामपुर):** अक्तूबर 1984 में, इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड (आईआरईएल) एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने गंजम तट, ओडिशा में एक समुद्र तट रेत खनिज उद्योग स्थापित किया। पिछले 30 वर्षों से खनिज जमा का लगभग 40% खनन किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आईआरईएल के पीछे एक मजबूत तकनीकी शक्ति है और इसे अपने ओडिशा संयंत्र के पास एक टाइटेनियम डाइऑक्साइड और टाइटेनियम धातु संयंत्र स्थापित करना चाहिए। यह मूल्य वर्धित उत्पाद कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों को सृजित करेगा।

इस समय आईआरईएल सालाना लगभग 2,20,000 टन इल्यूमिनेट का उत्पादन कर रहा है, और लगभग पूरी मात्रा का निर्यात किया जाता है। इस मात्रा को निर्यात के बिना मूल्य वर्धित उत्पादों में बदलने के लिए आईआरईएल को एक संयंत्र स्थापित करना चाहिए। वर्तमान क्षमता का उपयोग करने के बाद ही खनन की क्षमता में और वृद्धि पर विचार करना होगा। इससे भविष्य की आवश्यकता के लिए हमारे देश में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अन्यथा अगले 20 वर्षों में शेष संसाधन समाप्त हो जाएगा। इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

## (तेरह) मुंबई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्सोवा तथा मढ़ में जेटियों का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम):** समुद्री जल परिवहन तथा समुद्री जल प्लेटफार्मों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में विशेषकर मुम्बई समुद्रा जल स्टेशनों से प्रतिदिन कई नौका एवं जहाजों का आवागमन होता है। जहाज व नौका यात्रियों को चढ़नेऱ्उतरने के लिए जो प्लेटफार्म/जेट्टी बनाई गई हैं, उनकी अवस्था काफी खराब हो चुकी है।कई टूटने के कगार पर हैं, तो कई टूटे-फूटे पड़े हैं, जिसके कारण अनेक बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और आए दिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मुम्बई उपनगरीय जिले के वर्सोवा से मढ तक आवागमन के लिए यात्री नौका सेवा शुरू है। यहाँ दोनों जल स्टेशनों/ जेट्टियों की अवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुँच चुकी है। वर्सोवा खाड़ी में काफी उँचाई तक मलबा जमा हुआ है जिससे कभी भी भयंकर दुर्घटना हो सकती है। वर्सोवा समुद्री तटों के आवासों में बड़ी संख्या में मछुआरे रहते हैं तथा अपने व्यवसाय के लिए इसी खाड़ी का उपयोग करते हैं। उनकी नौकाएं भी कई बार मलबे में फँसकर टूट जाती हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल स्टेशनों की गंभीर स्थिति पर गौर कर आतिशीघ्र जल प्लेटफार्म/जेट्टी का आधुनिकीकरण किया जाए ताकि यात्रियों व व्यवसायीओं को समुद्री आवागमन के लिए सुविधा प्राप्त हो सके, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

## (चौदह) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मछुआरों को पर्याप्त सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

**श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम):** मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मछुआरा समुदाय समुद्री तटों पर प्लेटफार्मों की कमी से जूझ रहा है। यह समस्या उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करती है और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में, समुद्र क्षेत्र में आश्रयों, विश्राम कक्षों के निर्माण में अनुपालन किये जाने वाले सुरक्षा मानदंडों को निर्धारित करना आवश्यक है। इस संबंध में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मेरे श्रीकाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और साथ ही देश में मछुआरा समुदाय को अधिकतम कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

## (पंद्रह) विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किए जाने तथा उनकी लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

**श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर):** कई लोगों के लिए, जीवनसाथी या साथी को खोना उनके जीवन का एकमात्र सबसे तनावपूर्ण घटना हो सकती है। विधवापन दिनचर्या, कार्यों और रहने की व्यवस्था को बदल देता है, जो एक बार विवाहित जोड़े के रोजमर्रा के जीवन की विशेषता थी।

व्यक्तिगत तनाव अक्सर काफी होता है और उन महिलाओं के लिए सबसे तीव्र होता है जो अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं।

विधवा पेंशन एक ऐसी महिला को सरकार से भुगतान है, जिसके पति की मृत्यु हो गई है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि मासिक विधवा पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जाए और विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता को भी बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

**श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा)** : महोदय, मैं 'शून्य काल' के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार से उत्तर चाहता हूँ। .... (*व्यवधान*)

**श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा)**: महोदय, सरकार को उत्तर देना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष**: 'शून्य काल' समाप्त हो गया है।

... (*व्यवधान*)

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि यह परिपाटी नहीं है, माननीय वेणुगोपाल *जी* और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे को देखते हुए, मैं सिर्फ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हालांकि, मैं अधिक उत्सुक हूं कि विधेयक को लिया जाना चाहिए और एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है।

आज कुछ समाचार पत्रों ने एक समाचार छापा... (*व्यवधान*)

**श्री कोडिकुन्नील सुरेश** : एक बहुत बड़ा समाचार; एक छोटा समाचार नहीं।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**: ठीक है। उन्होंने बिना किसी आधार के एक बहुत बड़ा समाचार छापा। हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहेंगे। मैंने मंत्री जी से बात की है; मैंने सचिव जी से भी बात की है। 24 और 25 दिसंबर को ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सीबीएसई से निर्देश... (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष:** उन्हें पूरा करने दें।

... (*व्यवधान*)

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**: सीबीएसई, नवोदय, केंद्रीय विद्यालयों को ऐसा कोई परिपत्र नहीं जारी किया गया है जिसमें उन्हें 25 दिसंबर को पवित्र क्रिसमस के दिन स्कूलों को चलाने के लिए कहा गया हो । ऐसा कोई निर्देश नहीं है। यह मेरा पहला प्रश्न है। … (*व्यवधान*)

**श्री कोडिकुन्नील सुरेश** : 24 को भी। … (*व्यवधान*)

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**: मेरी बात सुनें। दूसरी बात, महोदय, यह जलवायु परिस्थितियों के आधार पर स्कूलों के लिए छुट्टी का मौसम है। जलवायु के आधार पर, नवोदय विद्यालय छुट्टियों की घोषणा करते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार छुट्टियां हैं। आवासीय स्कूलों में, सामान्य रूप से बच्चे वहां रहते हैं। यह सुशासन संबंधी निबंध लेखन प्रतियोगिता केवल उनके लिए भी ऑनलाइन और स्वैच्छिक है। जो भी इसमें भाग लेना चाहता है, वे 24 दिसंबर, 2014 को इसमें भाग ले सकते हैं, और यदि वे भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्हें भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी अनिवार्य नहीं किया गया है। इसे ऑनलाइन किया गया है। मुझे लगता है, वेणुगोपालजी समझते हैं कि ऑनलाइन क्या है। इसलिए, किसी भी बल का उपयोग करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आभारी हूँ कि कम-से-कम वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में संपर्क क्रांति लाने वाले व्यक्ति वही हैं। इसलिए, सरकार ने 25 को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, ये निर्देश दिए गए थे, लेकिन किसी भी स्कूल को खोलने या कोई निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश नहीं दिए गए थे । मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। मैं केवल यह उम्मीद करता हूं कि मीडिया, महत्वपूर्ण समाचार पत्र - मैं किसी अखबार का नाम नहीं लेना चाहता - उसे भी सत्यापित करना चाहिए। … (*व्यवधान*) तब लोग कहेंगे कि आप केवल *टाइम्स ऑफ इंडिया* को अतिरिक्त प्रचार दे रहे हैं। अन्य समाचार पत्रों, *हिंदुस्तान टाइम्स*, *नवभारत टाइम्स*, आदि के बारे में क्या? … (*व्यवधान*) यहाँ मेरी बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, सब कुछ वैकल्पिक

है। तीसरा, स्कूल की छुट्टियां पहले की तरह जारी रहेंगी। चौथा, यह निबंध लेखन प्रतियोगिता ऑनलाइन है। पांचवां, यह स्वैच्छिक है। जो भी रुचि रखता है, भाग ले सकता है और जो कोई भी रुचि नहीं रखता है, उसे भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। 25 दिसम्बर को, लोग चर्च जाते हैं। वे खुशी से चर्च जा सकते हैं। वे अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और क्रिसमस का भी आनंद ले सकते हैं। अन्य लोगों की तरह, मैं भी इस सभा के और बाहर के हमारे ईसाई मित्रों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह एक स्पष्टीकरण है जो मैं देना चाहता हूँ। … (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष**: मामला समाप्त हो गया है।

… (*व्यवधान*)

**श्री के. सी. वेणुगोपाल** : महोदय, माननीय मंत्री जी ने संबंधित स्कूलों को निदेश दिए हैं। … (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष**: उन्होंने पहले ही उत्तर दिया है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

… (*व्यवधान*)

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**: ऐसी कोई बात नहीं है। … (*व्यवधान*) वेणुगोपालजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास निर्देश हैं।

**श्री के. सी. वेणुगोपाल**: महोदय, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने संबंधित स्कूलों को एक पत्र भेजा है। … (*व्यवधान*)

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**: उन्होनें कोई पत्र नहीं भेजा है। … (*व्यवधान*) मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री से बात की थी। वह अभी मेरे कमरे में थी। उनके बेटे की तबीयत खराब है। वह अस्पताल में भर्ती है और वह वहां जाना चाहती थीं। अन्यथा, एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका

निभा रहा हूँ कि संबंधित मंत्री भी सभा में आएं और स्थिति स्पष्ट करें। हालांकि, यह नियमों के अनुसार आवश्यक नहीं है, फिर भी हम केवल नियमों से नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी जानकारी मांगी गई है वह माननीय सदस्यों को भी यथासंभव दी जाए। माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। ऐसा कोई परिपत्र भी नहीं है क्योंकि निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना एक अलग बात है। लेकिन स्कूल खोलना और इसे अनिवार्य करना बिल्कुल नहीं है।

**अपराह्न 2.39 बजे**

## सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014

(अनुवाद)

**माननीय उपाध्यक्ष**: अब, हम मद सं. 11, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक लेते हैं।

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971, संशोधन विधेयक, सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली हेतु शीघ्र कार्य करने वाली मशीनरी प्रदान करता है। इस अधिनियम को पहले तीन बार संशोधित किया गया है, वर्ष 1980, 1984 और 1994 में। मौजूदा प्रस्ताव अधिनियम में चौथा संशोधन करने के बारे में है।

इस संशोधन विधेयक का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) तथा अन्य रेल जिनका भविष्य में निर्माण हो सकता है तथा नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) की परिसंपत्तियों को सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधिकार क्षेत्र में लाना था।

चौथा संशोधन विधेयक अर्थात् सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 2011 के नाम से वर्ष 2011 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। तदोपरान्त तत्कालीन माननीय अध्यक्ष

द्वारा इसे शहरी विकास से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। संबंधित स्थायी समिति ने सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था और 14.05.2012 को 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

14 मई, 2012 को स्थायी समिति ने विचार-विमर्श के बाद और चर्चा के बाद अपना प्रतिवेदन दिया था। उन्होंने विधेयक पर कुछ टिप्पणियां और सिफारिशें की। लोक सभा इस विधेयक को विचार हेतु नहीं ले सकी क्योंकि इसके बाद लोक सभा विघटित हो गई थी।

इस बीच कोई उच्चतम न्यायालय भी गया। उच्चतम न्यायालय ने एस.डी. बंदी बनाम डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 4064/2004 में अपने दिनांक 5.7.2013 के निर्णय में 20 सुझाव दिए थे। स्थायी समिति ने चार सुझाव दिए थे, जिनको मान लिया गया था और इस विधेयक में शामिल कर लिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 20 टिप्पणियां की थी। इन 20 टिप्पणियों में से 18 टिप्पणियों/सुझावों को इस सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इस विधेयक का अंश बना दिया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा - मैं चाहता हूं कि पूरी सभा इस बात को ध्यान से सुने - कि संघ के तीनों शासन अंगों *अर्थात*, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग या तो अपने प्रभाव के कारण अथवा या अधिनियम में प्रदत्त लंबी प्रक्रिया के चलते अथवा किराए या जुर्माने के रूप में न्यूनतम राशि का भुगतान करके सरकारी आवासों में बने रहते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी है, और यह वास्तविकता भी है, जिसे हम में से अधिकांश समझते हैं। इस बीच, 15वीं लोक सभा को भंग कर दिया गया। इसलिए, उस समय यह विधेयक व्यपगत हो गया था।

अब, शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों और माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, अब सरकारी स्थान (बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2,

4, 5, 7 और 9 में एक नए संशोधन विधेयक के माध्यम से उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014 कहा गया है।

महोदय, मैं प्रमुख संशोधनों पर आता हूँ।

सर्वप्रथम, यह प्रस्तावित है कि सार्वजनिक परिसर की परिभाषा में ऐसे किसी भी परिसर को शामिल किया जाए जो किसी कंपनी का हो, या लीज़ पर लिया गया हो, या किसी कंपनी की ओर से हो, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम, 1956 को अब कंपनी अधिनियम, 2013 के रूप में संशोधित किया गया है) की धारा 2 के खण्ड 20 में परिभाषित है, जिसमें केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा कुल चुकता पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा आंशिक रूप से रखा गया हो, और इसमें वह कंपनी शामिल हो जो पहली उल्लिखित कंपनी की सहायक कंपनी हो और जो सार्वजनिक परिवहन का व्यवसाय करती हो, जिसमें मेट्रो रेल शामिल है, जिसे अधिनियम की धारा 2 में उपयुक्त संशोधन कर शामिल किया जाएगा। यह एक संशोधन है ।

दूसरी बात यह है कि मौजूदा अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में सरकारी स्थान का अर्थ है कि कोई भी स्थान जो दिल्ली नगर निगम अथवा अन्य नगरपालिका समिति और कोई अधिसूचित क्षेत्र समिति जो इस अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानों में अंतर्विष्ट है। भविष्य में किसी भी शंका को दूर करने के लिए, नगर परिषद को इस अधिनियम के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।

तीसरे, अभी दिल्ली में तीन नगर निगम हैं। पहले केवल एक नगर निगम हुआ करता था। इसलिए, शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अंतर्गत 'नगर निगम' के स्थान पर 'निगमन अथवा  निगमों' को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

चौथे, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (परिवहन विभाग) की सरकार ने प्रस्तावित किया है और कैबिनेट ने अनुमोदित किया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी भी सरकारी कंपनी के या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए किसी स्थान को अधिनियम की धारा 2 में कतिपय संशोधन करके सरकारी परिसर के दायरे लाने का प्रस्ताव है।

पांचवे, जैसा कि प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में संशोधन किया जा रहा है ताकि इस अधिनियम के तहत गठित या संदर्भित किसी भी उत्तराधिकारी कंपनी को मौजूदा न्यासी बोर्ड में शामिल किया जा सके, इस अधिनियम, 1971 की धारा 2 में इसी तरह के परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। इसे विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अब कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है।

छठी बात यह है कि अधिनियम की धारा 2 में परिणामी संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि प्रस्तावित कंपनियों और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सके क्योंकि संपदा अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए और कार्यवाही की पहल करनी चाहिए। इसलिए, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रस्तावित कंपनियों के ये अधिकारी, जिनका पहले उल्लेख किया गया है, नई दिल्ली नगर परिषद के अधिकारी हैं, जिन्हें अधिनियम की धारा 3 के तहत संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

महोदय, संसदीय स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव का उद्देश्य सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को समयबद्ध तरीके से सुचारू और त्वरित बेदखल करना था। इस विधेयक का सार सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को समयबद्ध तरीके से बेदखल करना है। संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई चार सिफारिशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा उपरोक्त निर्णय में दिये गये 18 सुझावों को वैधानिक रूप देने हेतु सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया गया है।।

अब, अधिनियम की धारा 4, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के तहत उपयुक्त संशोधन भी प्रस्तावित किए गए हैं। अतः इसमें किसी भी प्रकार का व्यय शामिल नहीं है। यह अधिनियम के उपबंधों में केवल एक बदलाव है। ऐसा होने के कारण, मैं सभा से इस पर चर्चा करने का आग्रह करता हूँ; और जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह करता हूं ताकि इसे एक अधिनियम बनाया जा सके और अप्राधिकृत अधिभोगियों के खिलाफ एक त्वरित कार्रवाई की जा सके, जो उन्हें दिए गए समय से परे रह रहे हैं, और जो बिना किसी अधिकार या प्राधिकार के इसका आनंद ले रहे हैं। यही इस विधेयक का उद्देश्य है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने तथा बाद में उसे पारित किए जाने की सिफारिश करता हूँ। धन्यवाद।

**माननीय उपाध्यक्ष**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार आज जो विधेयक लेकर आई है - सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014 - एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा है, यह विधेयक 2011 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद, इसे स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने मई, 2012 में अपनी रिपोर्ट दी। इस विधेयक का उद्देश्य लोक सभा में प्रस्तावित स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करना है। महत्वपूर्ण रूप से, यह विधेयक वर्ष 2011 के पहले अधिनियम में स्थायी समिति द्वारा कही गई बात से परे है। इसमें, धारा 4, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 में परिवर्तन किया गया है, जो प्रक्रियात्मक है, जो संपदा अधिकारी और उस व्यक्ति के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित करता है जिसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मेरा कहना है कि धारा 2(2) (ङ), उप-धारा (1), उप-धारा (3), उप-धारा (4), उप-धारा (5), में संशोधन, नई कंपनी  अधिनियम, 2013 और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों के आलोक में आवश्यक हैं।

महोदय, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा अपनी संपत्तियों को सरकारी परिसरों के रूप में शामिल करने के लिए जो संप्रग सरकार से अनुरोध किया गया था, उसका भी इस विधेयक में ध्यान में रखा गया है। मुझे लगता है कि यह सही दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि यह एक सोचा समझा सिद्धांत है कि निजी हित के स्थान पर सार्वजनिक उद्देश्य को तरजीह दी जानी चाहिए। इसलिए, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

धारा 2(3), उप-धारा (1) का उद्देश्य 2007 की रिट याचिका 9644 में उठाई गई विसंगति पर विचार करना है । यह भी स्वागत योग्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च न्यायालय ने वास्तव में उस पीआईएल को अस्वीकार कर दिया था; और यह विधेयक उसी के बारे में है।

महोदय, यह देश का कानून है कि सरकार हमेशा व्यापक जनहित में काम करती है। इसलिए, यह 1971 का अधिनियम भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, चाहे वह केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, को यह विशेषाधिकार देता है कि उसे प्रथम दृष्टया न्यायालय में जाने और सिविल न्यायालय की कठोरता से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। व्यापक जनहित में, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो सरकार को इस तथ्य के मद्देनजर प्रदान की जाती है कि सरकार आज किसी अनधिकृत कब्जेदार को हटाने जा रही है और उस भूमि या भवन का व्यापक जनहित में उपयोग करने जा रही है।

मैं इसकी सराहना करती हूं, मैं इसे समझती हूं, और मैं वहां से उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय की बात करना चाहती हूं, जो वर्ष 2013 में दिया गया था। बहुत संक्षेप में, मैं कहूंगी कि, वह मामला में एक सरकारी कर्मचारी से संबंधित था, जो एक ड्राईवर था। उसका तबादला कर दिया गया था, और उसने अपना आवास छोड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसने अपने स्थानांतरण आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश के लिए न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी। निर्णय स्पष्ट रूप से सरकारी आवास से संबंधित है। उस निर्णय में ही, शुरुआती पंक्तियां लोगों के बारे में थीं, समृद्ध लोगों के बारे में थीं, जो सरकारी आवास में बने रहते हैं, चाहे वह कर्मचारी हों, चाहे वह सार्वजनिक प्रतिनिधि हों, चाहे वह विभिन्न अदालतों के माननीय न्यायाधीश हों।

इसलिए, अदालत ने *एमिकस क्यूरी (शाब्दिक अर्थ 'अदालत का मित्र') नियुक्त किया।* मुझे लगता है कि श्री रणजीत कुमार ने ही अपने सुझाव दिए थे। न केवल भारत संघ बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों ने भी

अपने सुझाव दिए और जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कुछ 18 या 20 सुझाव दिए। यह विधेयक उन मुद्दों का समाधान करने के लिए है।

लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहूंगी कि यह सरकार इस विधेयक में उन संशोधनों पर विचार करे जो धारा 4, 5, 7 और 9 में किए गए हैं। इसका निवल प्रभाव क्या है? जिस दिन से वह नोटिस जारी करता है उस दिन से लेकर जिस दिन तक बेदखली का आदेश पारित किया जाता है, उस दिन तक, मेरे विचार से, एक व्यक्ति को लगभग 30 दिन का समय दिया जाता है। मजबूरी में, वह इसे और 15 दिनों तक बढ़ा सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय में यह भी कह रहा है, जब आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, आपको प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए, प्रभावी रूप से, क्या हो रहा है? प्रभावी रूप से, क्या हो रहा है कि नोटिस की तिथि से उस आदेश की तिथि तक, जिसे आप उसे 15 दिनों में देने के लिए कह रहे हैं, और नोटिस की तिथि से 10 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए, आप संपदा अधिकारी को सबूत पर विचार करने और सात दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नोटिस की तिथि के 10 दिनों के भीतर, मैं अपना जवाब देती हूं। 15 दिनों के भीतर, आप उसे आदेश देने के लिए कह रहे हैं।

अधिनियम की धारा 9 के तहत, संपदा अधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां हैं जहां वह एक गवाह को बुला सकता है; वह एक गवाह की जांच कर सकता है; वह दस्तावेजों को देख सकता है; और इसलिए, उसके पास तथ्य के आधार पर प्रश्न पूछने की शक्ति है। अब मैं इस सरकार से एक प्रश्न पूछती हूं। आज, धारा 2 क्या कह रही है? परिसर क्या है? आज, परिसर सिर्फ एक इमारत नहीं है। आज, जब आप परिसर की बात करते हैं, तो आप केवल एक जनप्रतिनिधि के बारे में नहीं सोच सकते, जो एक चुनाव हार गया है, या एक मंत्री, जो अब मंत्री नहीं है, को बंगला छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। आज, धारा 2 परिसर को भूमि और भवन के रूप में परिभाषित करती है। प्रश्न यह भी उठता है कि ऐसी स्थितियां हो सकती

हैं जहां एल. एंड डी.ओ. या भारत सरकार या राज्य सरकार ने गंगाराम जैसे अस्पताल या किसी प्रतिष्ठित संस्थान को लंबे समय के लिए पट्टा दिया है, और शायद, उस पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है। उन परिस्थितियों में, क्या ऐसे कठोर कानून और प्रक्रिया संबंधी ऐसा प्रावधान बनाना व्यावहारिक है, जहां संपदा अधिकारी नोटिस के उत्तर की तिथि से सात दिनों के भीतर सुनवाई समाप्त करने के लिए बाध्य है?

मैं सरकार के इस रुख की पूरी तरह सराहना करती हूं और मैं स्वीकार करती हूं कि सरकारी आवास महंगा है। आज, इस देश में ऐसे पर्याप्त उदाहरण हैं जहां वे जुर्माना भरने के बाद भी बंगलों और घरों में सबसे विलासितापूर्ण स्थिति में रहते हैं क्योंकि वह जुर्माना बाजार किराया मूल्य से बहुत कम है। लेकिन प्रश्न उठता है, उसी स्थिति में, अगर मैं आपको एक अस्पताल का उदाहरण देती हूं, अगर मैं आपको एक अनाथालय का उदाहरण देती हूं या यदि मैं आपको एक स्कूल का उदाहरण देती हूं, तो क्या उनके साथ ऐसी कठोरता की जानी चाहिए? इस सरकार ने धारा 5(2) के तहत एक प्रावधान दिया है। मैं समझ सकती हूँ कि माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं।

लेकिन मैं उच्चतम न्यायालय में विकास जैन के मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूं। मैं *इंडियन एक्सप्रेस* के मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हूं जहां इस अधिनियम को लागू किया गया था, और उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि एक संपदा अधिकारी कानूनी अधिकारी नहीं है। वह कब्जा, पट्टा धारण अधिकार और प्रतिकूल कब्जे के जटिल प्रश्नों से परिचित नहीं है। क्या वह सात दिनों में सुनवाई करने के लिए तैयार है?

हाल ही में, वसंत कुंज में हमने देखा कि वन विभाग द्वारा बहुत सारे झुग्गीवासियों को बिना सूचना के बेदखल कर दिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने तब हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया। इसलिए, ऐसी स्थितियां हैं कि विभाग अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के लिए इस अधिनियम के तहत जा सकता है।

दो प्रकार के अप्राधिकृत अधिभोगी हैं, एक, जो गैरकानूनी साधनों के साथ आता है और दूसरा, जो कानूनी रूप से परिसर में प्रवेश करता है, लेकिन उसका प्राधिकार समाप्त हो जाता है। इस अधिनियम में यह अंतर भी किया गया है। मैं निवेदन कर रही हूँ और बार-बार कह रही हूँ कि दिल्ली मेट्रो रेल जैसी प्रतिष्ठित परियोजना में, डी.डी.ए. की एक प्रतिष्ठित परियोजना में, एक प्रतिष्ठित सरकारी परियोजना में, इस सरकार का दायित्व है कि वह कोई भी सरकारी प्राधिकरण, विशेषाधिकार जो इस अधिनियम के तहत हैं, दे। लेकिन मैं आपसे केवल इतना पूछती हूं कि अधिनियम में अंतर करें क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उसी निर्णय में जिसे आप इस अधिनियम के माध्यम से लागू करना चाहते हैं, बार-बार कहा है कि ये सुझाव न्यायाधीशों के लिए सरकारी आवासों के दुरुपयोग के संबंध में हैं या लुटियन दिल्ली में जनप्रतिनिधियों के लिए हैं। हो सकता है कि यह अन्य स्थितियों में एक बहुत ही कठोर कानून हो, जहां यह देश अभी भी सभी को आवास देने के लिए संघर्ष कर रहा है, जहां यह देश अभी भी अस्पतालों और स्कूलों को भूमि देने में संघर्ष कर रहा है। धन्यवाद, महोदय।

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली)**: महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत में यह बताना चाहती हूं कि मैं आवास समिति का भी हिस्सा हूं और संसद के वर्तमान सदस्यों के लिए परिसर प्राप्त करने में हमें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, केवल हम ही जानते हैं। इसे उस परिप्रेक्ष्य में देखकर मैं कहूंगी- श्री बनर्जी मुझसे सहमत होंगे- यह बहुत मुश्किल है। तथाकथित कुलीन क्लब, संसद के सदस्यों और कुछ पूर्व मंत्रियों ने गृह मंत्री सहित नए सदस्यों की समस्याओं के बावजूद अपने पास बंगले रखना जारी रखा। गृह मंत्री को उनका अपेक्षित परिसर नहीं मिला क्योंकि अन्य लोग इनमें रह रहे थे। यह उस पृष्ठभूमि से आ रहा है।

मेरे मित्र ने वसंत कुंज और उन सभी क्षेत्रों के बारे में जो कहा है, मैं उन्हें बस याद दिलाती हूँ कि वे आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक निकाय है जैसा कि कानून के अनुसार निहित है। यदि कोई न्यायालय आदेश देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह संशोधन क्या

लाएगा और क्या नहीं लाएगा। वह इस मुद्दे पर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और किसी ऐसी चीज से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रही है जो वर्तमान संशोधन से पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है।

वर्तमान संशोधन पूरी तरह से अलग दिशा में है। वर्तमान संशोधन मुख्य अधिनियम के बारे में है, जो 1971 से मौजूद है। दो प्रकार की सुविधाएँ थीं, आवासीय और अस्थायी सुविधाएँ, जैसे कि छात्रावास।··· (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष**: वह जो महसूस कर रही है, वही जवाब दे रही है। वह किसी का अपमान नहीं कर रही है। इसे अपमान के तौर पर न लें। वह सिर्फ़ इस पर अलग राय रखती है। बस इतना ही।

… (*व्यवधान*)

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी** : मैंने सोचा कि सज्जन अंग्रेजी में अधिक जागरूक होंगे लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोलूं तो मैं हिंदी में बोलूंगी। … (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष**: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

**श्रीमती मीनाक्षी लेखी** : महोदय, मैं आपको संबोधित करूंगी।

केंद्र सरकार दो प्रकार के आवास प्रदान करती है। एक रिहायसी आवास है और दूसरा छात्रावास, गेस्ट हाउस और हॉलीडे होम जैसे अस्थायी आवास है। यह कर्मचारियों, संसद सदस्यों और अन्य लोगों को दिया जाता है। समय बीतने के साथ यह पाया गया कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग किया गया। इन सुविधाओं

का दुरुपयोग कुछ लाभार्थियों द्वारा जारी रखा गया, जिसमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, जो निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकते रहे या दी गई अवधि के अंत में इसे सरकार को वापस नहीं करते। यह लाइसेंसिंग अवधि का उल्लंघन है। 1971 के अधिनियम के तहत कहा गया है कि दीवानी मुकदमों के माध्यम से देरी का सामना किए बिना रहने की अनुमति देना इस अधिनियम का उद्देश्य है।

जैसा माननीय मंत्री ने कहा पहले संशोधन किए गए हैं। उस संशोधन में दो प्रकार की कंपनियां शामिल थीं, जिन्होंने सरकार, केंद्र या राज्य में 51 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी का भुगतान किया था और जो मेट्रो रेलवे व्यवसाय के साथ काम करती है, जो दिल्ली मेट्रो है। यह विधेयक पारित हुए बिना ही समाप्त हो गया।

**<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>**

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को भी शामिल करने के लिए पिछले संशोधनों को भी परिभाषा में शामिल किया गया था, जिसमें मैं पीठासीन अधिकारी थी। धारा 2 के संशोधन में प्रासंगिक अधिनियमों को शामिल करने के लिए एक परिवर्तन है जो पारित किए गए थे; और धारा 4 का संशोधन 'संपदा अधिकारी' से संबंधित है। उपरोक्त दो संशोधन भी 2011 संशोधन विधेयक में पेश किए गए थे।

मैं उन परिवर्तनों पर आती हूँ जिन्हें लाया गया है। ऐसे दो उदाहरण हैं जहां संपदा अधिकारी जिनके पास अप्राधिकृत कब्ज़े की जानकारी है, उन्हें ऐसी जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर नोटिस जारी करना चाहिए। यह संपदा अधिकारी के लिए अनिवार्य है। जहां संपदा अधिकारी जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण हैं कि अनधिकृत कब्ज़ा है तो वह प्रक्रिया के अनुसार नोटिस जारी करता है।

यह प्रक्रिया को 'विचार' पर न छोड़कर थोड़ा सख्त बना देता है। पहले के अधिनियम में, जिस शब्द का उपयोग किया गया था, वह था 'विचार' - सिद्धांत अधिनियम में परिकल्पित अधिकारी का विचार। वर्तमान संशोधन में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, वे हैं ‘उनकी जानकारी’, ‘जानना या विश्वास करने का

कारण', बेदखली की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निश्चितता का एक बड़ा तत्व लाना और इसे समयबद्ध बनाना जहां ऐसी निश्चितता मौजूद है।

अब, उप-धारा (2) कहती है कि जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया है, उसे पहले के प्रावधान के विपरीत सात दिनों की अवधि के भीतर जवाब देना चाहिए, जिसमें कहा गया है, "सात दिनों से पहले नहीं"। इसलिए, पहले के प्रावधान ने एक अधिकृत व्यक्ति को बिना किसी समय-सीमा के बेदखली का जवाब देने की अनुमति दी। इस प्रकार, यह कार्य समय दक्षता के साथ करना है कि बेदखली का आदेश एक निश्चित समय-सीमा के भीतर दिया जा सकता है।

बेदखली प्रक्रिया के बारे में धारा (5) की उप-धारा (1) में बताया गया है। अधिनियम में जो प्रक्रिया है, वह व्यक्ति को साक्ष्य पेश करने और व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लेने की अनुमति देने के लिए है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, यदि ऐसा लगता है कि कब्ज़ा अप्राधिकृत है, तो संपदा अधिकारी बेदखली का आदेश देगा और इसे परिसर में चिपका देगा। यहां संशोधन यह है कि आदेश उस तिथि को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर स्थान को खाली किया जाए तथा यह आदेश की तिथि के 15 दिनों के बाद नहीं होना चाहिए। मुख्य अधिनियम में यह समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।इस प्रकार, पुन: यह कार्य समयानुसार और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

अधिनियम के अनुसार, उप-धारा 2 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आदेश में दी गई तिथि तक या 15 दिनों के भीतर खाली नहीं करता है, तो संपदा अधिकारी उस पर कब्ज़ा कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग कर सकता है। संशोधन में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि संपदा अधिकारी बाध्यकारी कारणों के मामले में परिसर को खाली करने की तिथि को 15 दिनों तक और बढ़ा सकता है। यह विशेष प्रावधान किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए शामिल किया गया है जो तब उत्पन्न हो सकती है जब 15 दिन खाली करने के लिए पर्याप्त समय न हो। इसलिए, भले ही कब्ज़ा अनधिकृत

हो, कुल 30 दिन वास्तव में संबंधित व्यक्ति के लिए उचित समझ के साथ बाध्यकारी परिस्थितियों में छूट के उपाय के रूप में दिए गए हैं।

किराए या हर्जाने के भुगतान के संबंध में, संपदा अधिकारी लिखित आदेश दे सकता है कि संबंधित व्यक्ति को उसका मूल्यांकन करने के बाद किराया या हर्जाना देना होगा। अधिनियम की उपधारा 2(क) में कहा गया है कि किराए या हर्जाने की बकाया राशि का भुगतान साधारण ब्याज के साथ किया जाएगा। यहां संशोधन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए चक्रवृद्धि ब्याज बनाने के लिए है कि अधिभोग अनधिकृत है; और इस अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, अनधिकृत अधिभोग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्रारूप को जोड़कर एक कठोर मौद्रिक निवारक बनाने की मांग की गई है।

अधिनियम की उप-धारा (3) कहती है कि भुगतान का ऐसा आदेश देने के लिए व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसका जवाब नोटिस पर दिए गए समय के भीतर दिया जाना चाहिए। यहां संशोधन यह है कि व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर जवाब देना चाहिए। फिर से, यह समय की दक्षता से निपटना है। उप-धारा 4 को जोड़ते हुए, संशोधन में कहा गया है कि संपदा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस के 15 दिनों के भीतर भुगतान आदेश पर कार्य करना चाहिए। फिर से, यह समय की दक्षता से निपटना है। अधिनियम में परंतुक, जो धारा 9 की उप-धारा 2 है, कहती है कि विलंब के लिए पर्याप्त कारण होने पर समाप्ति अवधि के बाद अपील की जा सकती है। इस परंतुक में संशोधन में कहा गया है कि केवल असाधारण मामलों में ही अपील की जाएगी जहां विलंब के लिए बाध्यकारी कारण हैं। कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा। यह भाषा को कठोर बनाता है जिससे दुरुपयोग की गुंजाइश कम हो जाती है, जिससे अनावश्यक विलंब होता है। इसलिए, पूरी प्रक्रिया, कमोबेश, इस तर्ज पर है कि इसे एक कुशल तरीके से निपटाया जाए और इस अधिनियम के तहत दिल्ली मेट्रो को शामिल करने के अलावा इसमें वास्तव में कोई

खास परिवर्तन नहीं है। अधिनियम में उप-धारा 4 का जो परंतुक है, उसमें पर्याप्त गुंजाइश है जिसमें कहा गया है कि अपील का यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाएगा। संशोधन में यह भी कहा गया है कि, यदि संभव हो, तो इसका एक महीने के भीतर निपटान किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि इस कार्य को समयबद्ध तरीके से किया जाए बजाए इसके कि इसमें इस बात की गुंजाइश छोड़ दी जाए कि इसे किसी भी तरीके से कर लिया जाए।

महोदय, मुझे यही कहना है कि ये ऐसे संशोधन हैं जिन्हें भ्रम दूर करने के लिए लाया गया है, उस मुद्दे को और गड़बड़ करने के लिए नहीं। मेरे दोस्त ने जो करने की कोशिश की, वह भ्रम पैदा करने के लिए था। अधिनियम, सिद्धांतत:, वही रहता है जैसा वह पहले से मौजूद था। ये संशोधन संपदा अधिकारियों के प्राधिकार तथा अपील/नोटिस आदि का समयबद्ध तरीके से निपटाना सुनिश्चित करने के लिए किए गए। उच्चतम न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, संसद के सदस्य के रूप में यह बहुत शर्मनाक था कि उच्चतम न्यायालय को खाली करने के लिए आदेश पारित करना पड़ा। जिस मुद्दे को मेरे मित्र ने उठाने की कोशिश की वह एक आदेश से संबंधित था जो 2012 में पारित किया गया था। इसे लागू करने की मांग की गई थी। उस आदेश का कार्यान्वयन मार्च, अप्रैल या दिल्ली के चुनावों के कारण नहीं हुआ और उसके बाद भी इसे फिर से लागू नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय की अवमानना होती। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश न्यायालय का प्रकृति में आदेश है। इससे मूल रूप से अदालत की अवमानना होती और उन परिस्थितियों में दिल्ली सरकार ने कार्रवाई की। इस संशोधन विधेयक के द्वारा आज सरकार ने जिन संशोधनों को लाना चाहती है, उस पर इसका बहुत कम प्रभाव था और मैं संसद के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे उस तरीके से कार्य करें जो संसद सदस्यों के रूप में हमारी उपस्थिति और सभा में न्याय और नैतिकता, दोनों के हित में बैठे और हमें इन मुद्दों पर भ्रमित न करें तथा सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों पर हमें केंद्रित रखें।

**श्री आर. गोपालाकृष्णन (मदुरै)**: मुझे इस संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे नेता, पुरात्ची थलाइवी, अम्मा द्वारा निर्देशित एआईएडीएमके के एक अनुशासित सैनिक के रूप में, मैं इस चर्चा में भाग ले रहा हूँ।

यह विधेयक सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को निकालने में अनुशासन लाता है। यहां, सरकारी स्थान से अभिप्राय उन क्षेत्रों और भवनों से हैं जिनमें दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) कार्यरत है। इस विधेयक में डीएमआरसी के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्रों को लेने में होने वाले विलंब से बचने का प्रयास किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून की न्यायालयों के समक्ष कुछ मामलों में, डीएमआरसी को ही एक अप्राधिकृत अधिभोगी के रूप में माना गया था। इसलिए, इससे डीएमआरसी के संचालन में विलंब हुआ ।

केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के बावजूद डीएमआरसी अब तक अपनी स्थिति और कानूनी अधिकारों से वंचित था। यह संशोधन डीएमआरसी को अपने परिसरों को सरकारी स्थान के रूप में समझने में सक्षम बनाएगा।

जहां तक नई दिल्ली और दिल्ली के नगरपालिका क्षेत्रों का संबंध है, अवैध कब्जेदार 'समितियों', 'कैप्स' और 'निगमों' जैसे नगर निकायों के विभिन्न नामों के तहत कवर की मांग करते हुए अदालत गए। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि नई दिल्ली नगरपालिका समिति एक परिषद बन गई और दिल्ली नगर निगम का विभाजन हो गया। एक विसंगति बनाई गई थी जिसमें एन.डी.एम.सी. और एम.सी.डी. के संपदा अधिकारियों को उनकी संपत्तियों से डीएमआरसी को निकालने के लिए अनधिकृत कब्जाकर्ताओं द्वारा संपर्क किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य इस विसंगति को दूर करना है। अब इस संशोधन विधेयक के पारित होने से दिल्ली में नगर परिषद और निगम के संपदा अधिकारी डीएमआरसी से संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकेंगे।

यह विधेयक इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि संपदा कार्यालय की कार्यवाही में कई बाधाएं आई। इससे डीएमआरसी के कामकाज से संबंधित कार्यों को पूरा करने में बहुत विलंब हुआ। अंत में, उच्चतम न्यायालय को स्वयं सरकार को 20 सुझाव देने पड़े ताकि जनहित को बरकरार रखा जा सके।

वर्ष 2011 में, जब यह संशोधन विधेयक संसद के समक्ष लाया गया था, तब इस विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशें मई, 2012 के महीने में सरकार के पास आई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों में से 18 और संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से दो को स्वीकार करते हुए, सरकार लगभग 30 महीने बाद इस प्रतिष्ठित सभा में इस विधेयक को लेकर आई है। यह इंगित किया जाना चाहिए कि पिछली लोक सभा की स्थायी समिति ने संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने के बाद पिछली सरकार की ओर से दस महीने का विलंब भी बर्दाश्त नहीं किया था।

समिति की राय थी कि डीएमआरसी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी और कानून को बिना विलंब किए मंजूरी दी जानी चाहिए थी। समिति चाहती थी कि सरकार कम से कम ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करे और अनावश्यक रूप से चीजों को स्थगित न करे। जब समिति ने पाया कि डीएमआरसी के परिसर को सरकारी स्थान की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया था, तो समिति ने सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 को फिर से परिभाषित करने की सिफारिश की। अब, डीएमआरसी नामनिर्दिष्ट संपदा अधिकारी के माध्यम से अपने स्थल खाली करा सकेगा।

अब तक संपदा अधिकारियों के निर्णयों को निचली अदालतों में चुनौती दी गई थी और इसके निपटारे में वर्षों लग गए। अब इस संशोधन के माध्यम से, संपदा अधिकारी के निर्णयों के खिलाफ अपील केवल जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष की जा सकती है। तीन से चार महीने की समय-सीमा भी निर्धारित की गई

है। समिति यह भी चाहती थी कि सरकार संपदा अधिकारी के समक्ष संक्षिप्त सुनवाई का प्रावधान करे। इसने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि जिला और सत्र न्यायाधीश समयबद्ध तरीके से अपील का निपटारा करेंगे।

इस कानून से पता चलता है कि हमारी नियम पुस्तिका में मौजूद खामियों का किस प्रकार दोहन किया जा सकता है और इससे जनहित में प्रगति के लिए आने वाली चीजों में विलंब हो सकता है। यह विधेयक लोकतांत्रिक शासन में अधिक महत्वपूर्ण होने के लिए जनहित को बनाए रखता है।

इसके बाद, यह विधेयक देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू कि जाने वाली अनेक मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए एक मार्गदर्शी साबित होगा। यह विधेयक विलंब और लागत में वृद्धि से बचने के माध्यम से जनता के पैसे बचाएगा।

अतः, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

**प्रो. सौगत राय (दम दम)**: महोदय, मैं सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक स्थायी समिति के माध्यम से इस रूप में आया है। इस विधेयक में स्थायी समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को शामिल किया गया है। इसलिए, विधेयक पर बहुत बड़ी तकनीकी आपत्ति नहीं हो सकती है।

यहां किए गए कुछ परिवर्तन प्रक्रियात्मक परिवर्तन हैं। 'सरकारी स्थान' की पूर्व परिभाषा में सार्वजनिक उपक्रमों, कंपनियों से संबंधित परिसर शामिल थे, जिनमें केंद्र सरकार की 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी थी। अब, चूंकि कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया है, इसलिए विधेयक में अपेक्षित संशोधन किए गए हैं।

मूल विधेयक में अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि दिल्ली में मेट्रो रेल - जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के संयुक्त स्वामित्व में है और दिल्ली क्षेत्र के बहुत सारे सरकारी स्थानों को सरकारी परिसर में शामिल किया गया है। साथ ही, दिल्ली में पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद थी और अब एन.डी.एम.सी.

है, साथ ही पहले दिल्ली नगर निगम के बदले भी चार निगम हैं। इसके चलते यह बदलाव किया गया है। संपदा अधिकारी की शक्ति में कुछ मामूली परिवर्तन किया गया है और अपील की शक्ति दी गई है, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, फिर भी मैं इस विधेयक को लागू करने में मंत्री को खुली छूट नहीं दे सकता क्योंकि संसद के सदस्यों के रूप में आप यह जानना चाहेंगे कि सरकारी स्थान अधिनियम के नाम पर हमारा प्रपीड़न चल रहा है। सभा में इसे लाने का मेरा इरादा नहीं था। लेकिन मैं बताऊंगा कि हम विपक्ष के लोगों का किस तरह से प्रपीड़न चल रहा है, विधेयक के नाम पर प्रपीड़न का प्रयास किया जा रहा है।

मैं यू.पी.ए.-दो सरकार में मंत्रिपरिषद का सदस्य था। हमने 21 सितम्बर, 2012 को अपने कार्यालयों से इस्तीफा दे दिया। मुझे पहले मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में टाईप-7 का घर आवंटित किया गया था। मैं वहां वर्ष 2012 और 2014 चुनाव के बीच लगातार रहा था। मुझे सरकार से कोई पत्र नहीं मिला। फिर अचानक 3 नवम्बर को, मुझे संपदा निदेशक का एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि मुझे घर खाली करना चाहिए क्योंकि यह एक सामान्य पूल हाउस था और मुझे एक लोक सभा पूल हाउस जाना चाहिए। मैंने शहरी विकास मंत्री जी को यह कहते हुए लिखा कि मैं उस मकान में रह रहा था, इसलिए, यदि वह इसे लोक सभा पूल हाउस में बदल सकें तो अच्छा होगा। मुझे शहरी विकास मंत्री से कोई उत्तर नहीं मिला।

फिर अचानक मुझे संपदा अधिकारी से 1 दिसंबर को एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि यह सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख) के तहत एक नोटिस था। मैंने पहले इस कानून के बारे में नहीं सुना था। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। मैंने हाउस कमेटी के अध्यक्ष को एक कॉपी के साथ शहरी विकास मंत्री को लिखा था, उसके बाद भी उन्होंने एक चुने हुए सांसद को यह बहुत ही अपमानजनक आदेश जारी किया था।

मैं जानता हूँ कि शहरी विकास मंत्री उन लोगों द्वारा धारित परिसरों को खाली कराने में बहुत तत्पर रहे हैं जो चुनाव हार चुके हैं। अगर मैं टाइप-7 आवास का हकदार नहीं हूं, तो मैं मंत्री से विनती नहीं करूंगा कि

मुझे अपना वर्तमान आवास रखने दें। फिर मैंने हाउस कमेटी के अध्यक्ष से मुलाकात की। मैंने कहा कि उन्होंने मुझे बेदखली का नोटिस दिया जबकि लोक सभा के सदस्य के रूप में मुझे अभी तक एक घर आवंटित नहीं किया गया है। मैं गया और संपत्ति अधिकारी से मिला। उन्होंने कहा कि उनका शहरी विकास से कोई लेना-देना नहीं है और वह कानून अधिकारी हैं। मैंने कहा, "ठीक है, मैं आपसे मिला हूं और मैंने सूचित किया है कि मुझे कोई घर आवंटित नहीं किया गया है।

शहरी विकास मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने मुझे एक पत्र लिखा जो बेहद अशिष्ट है। मैं अनधिकृत रूप से नहीं रह रहा हूं। दो वर्षों तक, शहरी विकास मंत्रालय में संपदा निदेशालय सोया रहा। अचानक, वे जाग गए। मुझे नहीं पता कि वे किसके द्वारा प्रेरित हैं। फिर वे एक विधिवत निर्वाचित संसद सदस्य को बेदखली का नोटिस देने में व्यस्त हैं, जो पांच वर्ष से अधिक समय से एक आवास में रह रहा है। मैं इस पर कड़ी आपत्ति जताता हूं।

हम शहरी विकास मंत्री के हाथ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि संसद के सदस्यों को वैकल्पिक आवास दिए बिना बेदखल कर दिया जाएगा या बेदखली की सूचना दी जाएगी? यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। श्री सुदीप बनर्जी, जो मंत्री भी थे और उन्होंने मेरे साथ इस्तीफा दे दिया, जो संसद में एआईटीसी के नेता हैं, को भी इसी तरह का पत्र मिला और उन्हें भी घर आवंटित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** बनर्जी नहीं, बंदोपाध्याय। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**प्रो. सौगत राय :** ठीक है, यह सुदीप बंदोपाध्याय है। सुदीप आज अस्वस्थ होने के कारण अस्पताल में हैं, अन्यथा वे बोल लेते। अब मैं कहता हूँ कि यदि अप्राधिकृत अधिभोगी हैं, तो मंत्री जी को उन्हें बेदखल करने

का पूरा अधिकार है। लेकिन एक अनुशासनवादी के रूप में कार्य करने की जल्दी में, उन्हें संसद के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। हम भिखारी नहीं हैं। मैं उनके पास नहीं जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे यह घर रखने दीजिए। मैं अन्य लोगों को जानता हूं, जिन्होंने अपने घरों पर कब्जा कर लिया है, भले ही वे हकदार न हों, और उन्हें बेदखल नहीं किया गया है।

मैं स्वयं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। मंत्री बनने से पहले, वो किस टाइप के घर में रहे, और कितने वर्षों तक? मुझे पता है कि वह दस वर्ष तक उस घर में रहे हैं। क्या उस समय वह उस घर में रहने के हकदार थे? हम नियमों को कैसे बदल सकते हैं? हम किसी निर्वाचित संसद सदस्य का अपमान कैसे कर सकते हैं? हमें एक संपदा अधिकारी या संयुक्त सचिव द्वारा बेदखली नोटिस क्यों दिया जाना चाहिए? मंत्री जी को अप्राधिकृत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने दें। मुझे नहीं लगता कि संसद का सदस्य होने के नाते मैं एक अप्राधिकृत अधिभोगी हूं। मुझे यह कहते हुए नोटिस जारी करना कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ, इस सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम के तहत न तो उचित है और न ही उपयुक्त है।

मैंने अपना मामला श्री वैंकैय्या नायडू से यह अनुरोध करने के लिए नहीं उठाया है कि मुझे मेरे कब्जे वाले घर को बरकरार रखने की अनुमति दी जाए। यह बताना है कि इस तरह से शहरी विकास मंत्रालय के मंत्रियों द्वारा विपक्ष के निर्वाचित संसद सदस्यों का अपमान किया जा रहा है।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**: मेरे मित्र श्री सौगत राय ने एक व्यक्तिगत मुद्दा उठाया है जिसका उल्लेख सभा में होने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी मुझे स्थिति स्पष्ट करने में कोई समस्या नहीं है। जहां तक संपदा विभाग के पहले के शासन के दौरान कार्य नहीं करने के मुद्दे का संबंध है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि संबंधित विभाग या अधिकारी ने अब कार्रवाई क्यों की है। श्री विनोद राय, पूर्व सी.ए.जी. ने शीर्ष अदालत को एक पत्र लिखा है और शीर्ष अदालत ने मेरे मंत्रालय से उन लोगों की स्थिति के संबंध में एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा है जो पात्र हैं और जो पात्र नहीं हैं और अपने कार्यकाल के बाद भी सरकारी आवास में रह रहे हैं, और उन्हें बेदखल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तत्कालीन सरकार ने पीठ से कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसे ही मैंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला, मैंने स्थिति की समीक्षा की और फिर विभाग से इसे माननीय संसद सदस्य को सूचित करने के लिए कहा। मुझे इसे स्पष्ट करना होगा क्योंकि यह मामला सभा और माननीय सदस्य की भी प्रतिष्ठा से संबंधित है। नियम इस प्रकार है। यदि आप एक मंत्री हैं, तो आप आवास की एक विशेष श्रेणी के हकदार हैं। यदि आप सदस्य हैं और मंत्री नहीं हैं, तो आप एक विशेष श्रेणी के हकदार हैं। यदि आप सदस्य नहीं हैं, तो आप किसी भी सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं। यह एक ऐसी श्रेणी है जहां मुझे इसे संबंधित व्यक्तियों को संदर्भित करने का कठोर कदम उठाना है और फिर कुछ पूर्व माननीय सांसदों और पूर्व मंत्रियों को आवास खाली करना होगा। मुझे ऐसा करने में कभी खुशी नहीं हुई; मुझे भी बुरा लगा क्योंकि मैं उन लोगों में से कुछ का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन साथ ही, मैं अपनी व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत समीकरणों पर नहीं जा सकता। यह पहली बात है।

दूसरा उन सदस्यों के संबंध में है जो फिर से निर्वाचित हुए, लेकिन जो अब मंत्री नहीं हैं, वे एक अलग श्रेणी में हैं। उनके लिए नियम यह है कि यदि आप लोक सभा के सदस्य हैं, तो आपको लोक सभा गृह समिति से संपर्क करना होगा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दूसरी बात, यदि आप राज्य सभा के सदस्य हैं, तो

आपको राज्य सभा गृह समिति से संपर्क करना होगा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तीसरी और बाद की बात ये है, मैंने देखा है, जैसा कि प्रो. राय ने मुझे एक पत्र लिखा कि संसद के सदस्य जो अब मंत्री नहीं हैं, जो टाइप-7 और टाइप-8 में रह रहे हैं, उन्हें बदलना होगा क्योंकि कुछ मंत्री होटलों और सरकारी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। कुछ सदस्य भी वहीं रह रहे हैं।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि सरकार अशोका होटल पर प्रतिदिन हजारों रुपये खर्च कर रही है। लोगों के मन में फिर से एक गलतफहमी है कि अशोका होटल सरकार का है और इसलिए, वहां रहना मुफ्त है। जी नहीं, हर रोज सरकार से इतना पैसा वसूला जाता है और सरकार उसका भुगतान करती रहेगी।

ऐसा होने के कारण, एक ओर, अप्राधिकृत और अपात्र लोग समय से अधिक रुक रहे हैं और दूसरी ओर, आप संसद के सदस्यों के ठहरने  लिए भुगतान कर रहे हैं। यही मुद्दा था। हमें कार्रवाई करनी होगी।

सौभाग्य से, पूर्व सदस्यों में से अधिकांश ने सहयोग किया। शायद, हमने उन्हें 2-3 महीने दिए हैं – जो एक उचित समय है।

उन मामलों के बारे में, जिनके संबंध में प्रो. राय ने मेरे बारे में उल्लेख किया, मैं मंत्री था। मैंने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और फिर, मैं पार्टी अध्यक्ष बन गया। नियमों के मुताबिक, किसी पार्टी यानी उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष एक विशेष श्रेणी के बंगले का हकदार होता है। तदनुसार यह मुझे आवंटित किया गया था।।

मेरे मंत्री न रहने के तुरंत बाद, मैंने संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि कोई अन्य आवास उपलब्ध नहीं था; इसलिए, मैं रह सकता हूं, जब तक कि उन्हें कोई विकल्प न मिले। यह पहली बात है। दूसरी बात, मैं उस समय पार्टी का सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष था। सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्षों को बंगले

आवंटित किए गए, न केवल उन्हें, बल्कि अन्य को भी - एक विशेष श्रेणी है जिसमें कहा गया है कि पार्टी के सांसदों की कतिपय संख्या तक, इस तरह के आवास आदि का अधिकार है। स्थिति इस प्रकार है ।

मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस मुद्दे को अब क्यों उठाया। मुझे लगता है कि उन्हें तकलीफ हुई होगी क्योंकि उन्हें नोटिस जारी किया गया है।

जिस क्षण मेरे संज्ञान में आया कि कुछ सदस्यों को नोटिस जारी किए गए थे जो अब मंत्री नहीं हैं और एक विशेष श्रेणी के बंगले में रह रहे हैं, मैंने निर्देश दिए हैं और मैंने एक नोट भेजा है जिसमें उन्हें प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए कहा है - पूर्व मंत्री जो अब सदस्य नहीं हैं, उनके मामले में तेजी से कार्य करें। पूर्व मंत्री जो फिर से निर्वाचित हुए हैं या राज्य सभा के सदस्य बने रहे हैं, उनके मामलों को अलग से निपटना होगा। मैंने कहा कि ऐसे मामलों में, उन्हें संबंधित आवास समितियों से संपर्क करने की सलाह दी जानी चाहिए। यदि वह राज्य सभा के सदस्य हैं, तो उन्हें राज्य सभा आवास समिति से संपर्क करना होगा। यदि वह लोक सभा के सदस्य हैं, तो उन्हें लोक सभा आवास समिति से संपर्क करना होगा। फिर, मैंने उनसे राज्य सभा समिति और लोक सभा समिति के अध्यक्षों को इसके बारे में सूचित करने के लिए कहा ताकि वे इन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास दे सकें। यह निर्देश दिया गया था। मुझे इस प्रक्रिया का पता चला।

कुछ प्रक्रियाएं और कुछ कार्य नियमित रूप से मंत्री के संज्ञान में नहीं आते हैं। नियम, विनियम और पूर्वोदाहरण हैं, जो पहले भी बनाए गए हैं और उनका पालन भी किया गया है। इसे देखते हुए ऐसा हुआ है। इसके बाद, कुछ पूर्व मंत्री जो सदस्य हैं, उन्होंने भी मुझसे मुलाकात की और मुझे बताया। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके मामलों को अलग तरह से निपटाया जाएगा। मैंने एक नोट में आवश्यक निर्देश दिए हैं।

मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कौन किस बंगले में रह रहा है और वह इसके लिए पात्र है या नहीं। यदि कोई सारा ब्यौरा चाहता है, तो यह ठीक है; लेकिन अन्यथा, मैं उसका ब्यौरा देकर लोगों को

शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आखिरकार, हम सभी इस सभा के सदस्य हैं; चाहे हम सरकार में हों या विपक्ष में, हर कोई एक विशेष श्रेणी के आवास का हकदार है।

लेकिन आवास के संबंध में, नियम कहते हैं कि पहली प्राथमिकता कैबिनेट मंत्रियों, फिर राज्य मंत्रियों, फिर न्यायपालिका के सदस्यों, फिर सेना के अधिकारियों, फिर सचिवों, फिर वरिष्ठ सदस्यों, फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ सदस्यों को दी जाती है, यद्यपि अब वे सरकार में नहीं हैं । इस तरह, एक प्रोटोकॉल है जो पहले की सरकार द्वारा तय किया गया था। हमने केवल उसका पालन किया है।

इस मामले में, किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई विद्वेष या दुश्मनी या व्यक्तिगत बदले की भावना नहीं है। मेरे पास इस सभा के किसी भी सदस्य के बारे में ऐसा कोई विचार रखने का कोई कारण नहीं है। लेकिन मुझे उन्हें बेदखल कराने का कठोर कार्य करना होगा क्योंकि मीडिया में उन लोगों के बारे में नकारात्मक रिपोर्टिंग थी जो अब सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे सरकारी आवास में रह रहे थे। तब हमें इस अधिनियम का भी सहारा लेना पड़ा। संसद के सदस्यों के लिए आवास भी सार्वजनिक परिसर है। यह एक दु:खद टिप्पणी है यदि किसी को यह कहते हुए अदालत जाना पड़े कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, और फिर मुझे इस संबंध में सलाह लेनी पड़े । भविष्य में इस स्थिति को नहीं आने दिया जाना चाहिए।

फिर कुछ लोगों ने अनुरोध किया कि या तो आप मुझे कुछ और समय तक रहने दें या आप इसे स्मारक में बदल दें। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसी भी सरकारी इमारत को स्मारक में नहीं बदला जा सकता। कुछ समय पहले, कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि किसी भी सरकारी बंगले को स्मारकों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि मैं ऐसा नहीं कर सका। अन्यथा, मैं चौधरी चरण सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं । मैं चन्द्रशेखर जी का भी बहुत सम्मान करता हूं । लेकिन प्रश्न यह है कि आपको नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा, मुझे अदालतों के प्रति जवाबदेह होना होगा न कि उन लोगों के प्रति जो यह मांग रहे हैं। इस मामले में, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसे ध्यान में रखना होगा।

मुझे इस बारे में एक विस्तृत स्पष्टीकरण देना पड़ा, इसका मुझे खेद है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि संसद में मेरे एक साथी ने इस मुद्दे को उठाया है। इस बारे में कोई गलतफहमी न होने दें।

जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है, उन सभी को आवास आवंटित करने के बाद, यदि अभी भी रिक्तियां हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि पूर्व राज्य मंत्री जिस आवास में रह रहे थे उन्हें सामान्य पूल में या लोक सभा या राज्य सभा के संबंधित पूल, जो भी संभव हो, में परिवर्तित करने पर विचार करें।

**श्री पी. के. बिजू (अलथूर)**: महोदय, मैं सी.पी.आई. (एम.) की ओर से विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इस विधेयक को सदन में मई 2012 में रखा गया था तथा इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। मैं मंत्री जी के विचारार्थ एक बात कहना चाहूंगा। स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी कि सरकार को अनाधिकृत कब्जा के संबंध में संपदा अधिकारी के समक्ष समरी ट्रायल का प्रावधान करना चाहिए। स्थायी समिति का प्रतिवेदन कहता है कि समिति को यह बताया गया था कि सार्वजनिक परिसर से वास्तविक किरायेदारों को बेदखल करने के लिए शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दिनांक 30 मई, 2012 की नीति-एक के अंतर्गत संकल्प संख्या फलां-फलां द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। समिति दिशानिर्देशों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संतुष्ट है और आश्वस्त है कि विधेयक के प्रावधान संपदा अधिकारियों को वास्तविक किरायेदारों के खिलाफ मनमाने ढंग से अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है।

महोदय, माननीय मंत्री ने पहले ही स्वीकार किया है कि संसद सदस्यों और मंत्रियों के आवास आवंटन के संबंध में क्या चल रहा है। मैं एक ही बात को दोहराना चाहता हूं कि हमें वास्तव में ऐसे प्रावधान के सुरक्षोपाय की समय पर जांच करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस शक्ति का उपयोग संपदा अधिकारी द्वारा उन किरायेदारों के खिलाफ मनमाने ढंग से न किया जाए जो सच्चे मायने में उसमें रहने के हकदार हैं।

इस विधेयक में सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों के साथ-साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये 18 सुझावों को भी शामिल किया है। यह देखकर मैं बहुत खुश हूं। हम ऐसे कानून बना रहे हैं लेकिन ये कानून आम लोगों पर ही लागू होते हैं। इन कानूनों ने हमारे देश में उच्च वर्ग के लोगों को प्रभावित नहीं किया है। यह हमारे देश की बुरी प्रथा है।

मैं अपने देश में शहरीकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। हम इस देश के शहरी क्षेत्रों के लिए अपने बजटीय आवंटन का 90 प्रतिशत दे रहे हैं। लेकिन हो यह रहा है कि हमारे ग्रामीण गरीबों को मेट्रो और शहरीकृत शहरों से बेदखल किया जा रहा है। वे सड़कों के किनारे और उपनगरीय क्षेत्रों में रह रहे हैं। इसलिए, हमें इस विधेयक को मनमाने ढंग से लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आम लोग जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं, प्रभावित होंगे।

माननीय मंत्री जी 1975 की तुर्कमेनिस्तान में हुई सड़क घटना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। कानूनी प्रावधानों के मनमाने उपयोग से हमारे देश में समस्याएं पैदा होंगी। किसी स्थान से हटने के लिए सदस्यों या किरायेदारों को दिया गया समय 15 दिन नहीं होना चाहिए। पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यहां तक कि अदालत भी मामले को निपटाने के लिए पर्याप्त समय देती है। उस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए और विधेयक के प्रावधानों का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक ने 'सरकारी स्थान' की परिभाषा बदल दी है। इसमें कहा गया है, 'किसी भी कंपनी से संबंधित या पट्टे पर दिया गया कोई भी परिसर जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास, ऐसी कंपनियों की सहायक कंपनियों और जिनका व्यवसाय मेट्रो रेलवे है सहित, कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मुझे लगता है, हमारे देश में भी इस परिभाषा का दुरुपयोग किया जा सकता है। हम सार्वजनिक-निजी-सहभागिता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के मामले में क्या हुआ, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। वे 24,000 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि का संचालन कर रहे थे, और उन्होंने इसके लिए केवल

40,00,000 रुपये खर्च किए और इसका उल्लेख नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है। हमारे देश में ऐसा चल रहा है। हमारी बेकार जमीन, हमारी सरकारी जमीन कॉरपोरेट घरानों के हाथों में जा रही है। वे न केवल पट्टे पर जमीन लेते हैं बल्कि कुछ जमीनों पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय के पास यह कोई आंकड़ा है कि कितने एकड़ जमीन निजी कंपनियों या कॉरपोरेट घरानों ने छीन ली है और उनके पास है। क्या मंत्रालय ने यह पता लगाने के लिए कोई कदम उठाया है कि कितने एकड़ सरकारी जमीन निजी कंपनियों के हाथों में है? उन जमीनों को वापस लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए और उन जमीनों को हमारे देश में भूमिहीन लोगों में वितरित किया जाए। हमारे देश में लाखों लोग भूमिहीन हैं।

मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों को सरकार द्वारा पूरे दिल से स्वीकार किया जाएगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

**डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व):** माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यह जो दिल्ली मेट्रो के साथ में अमेंडमेंट आया है, उसमें सभी शहरों की मेट्रो रेलवे इन्क्लुडिंग मुंबई मेट्रो रेलवे में भी यह अमेंडमेंट लागू होगा। [अनुवाद] इसका मतलब है कि देश भर में आने वाली विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं में जहां बाधाएं होंगी, वहां इन्हें पीपीए का उपयोग करने की शक्ति और अधिकार होगा। आप जानते हैं [हिन्दी] छोटा मकान बीच में आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए दो-दो, पांच-पांच, दस-दस साल प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का इसी संदर्भ में, इसी अमेंडमेंट में एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा प्रोविजन किया है, लेकिन हमें भविष्य में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। [अनुवाद] कुछ मेट्रो रेल परियोजनाएं पीपीपी के तहत आई हैं जहां सरकारी इक्विटी मुश्किल से 20 से 24 प्रतिशत है। उन मामलों में हमें इस शक्ति का उपयोग सावधानीपूर्वक करना होगा। मुझे मुंबई मेट्रो रेल में एक परियोजना का अनुभव है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं [हिन्दी] इस प्रकार से पावर देते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक दूसरी बात के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के सजेशंस हैं, जो एक जजमेंट है। [अनुवाद] उच्चतम न्यायालय ने लगभग 20 टिप्पणियां दी हैं। [हिन्दी] इस बिल में उसमें से 18 आब्जर्वेशंस एडॉप्ट किए गए हैं। [अनुवाद] इसका मतलब है कि पिछली सरकार विधेयक लाई थी और पहले की स्थायी समिति ने संकल्प पारित किया है। लेकिन क्या मैं माननीय मंत्री जी से एक बिंदु पर अनुरोध कर सकता हूँ? [हिन्दी] कि इस बिल के निमित्त से, मैं उनका सुप्रीम कोर्ट के पांच ऐसे दूसरे जजमेंट्स के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

यहाँ, इस आदेश में सरकार या संसद इसे एक प्रकार से पूर्ण रूप से स्वीकार कर रही है, किन्तु इसके साथ-साथ मुझे पाँच अन्य निर्णय भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं कि इस विधेयक में कहीं न कहीं अनधिकृत कब्जा करने वाले का उल्लेख करने वाला एक प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने विस्तार से बात की है और इसे बनतवाला एंड कंपनी बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, डॉ. सुहास पोफले बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शरद भागवत और अन्य बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दमयंती वर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और पी.पी. चौधरी बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में परिभाषित किया है। इन सभी मामलों में, उच्चतम न्यायालय ने एक तरह से पीपीए के तहत विभिन्न कंपनियों द्वारा जारी आदेश को खारिज कर दिया है।

मैं एक बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। जब श्री वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान माननीय वैंकैय्या नायडू मंत्री थे, तो वर्ष 2002 में एक दिशानिर्देश जारी किया गया था कि अनधिकृत कब्जेदारों से परिसर खाली कराने के लिए पीपीए के तहत शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। [हिन्दी] मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा, आप तब मंत्री थे, तभी एन.डी.ए. गवर्नमेंट ने वर्ष 2002 का सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर को आज 12 साल हो गए, जो वेरियस पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, वे उसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं। [अनुवाद] वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने पीएसयू में अधिकारियों के कामकाज के तरीके पर रिकॉर्ड में कहा है, [हिन्दी] वे अपने पद का दुरूपयोग करते हैं। जो लीगल टेनेंट्स हैं, जो सालों से रहते हैं, नेशनलाइजेशन के पहले से वहाँ रहते हैं, उनको भी प्रिमाइसिस वैकेट करने के लिए पी.पी.ए. का दुरूपयोग होता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि आज का अमेंडमेंट तो बहुत अच्छा है, हम सब उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब भविष्य में यह वर्ष 2002 का एन.डी.ए. गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है, उसको [अनुवाद] उच्चतम न्यायालय ने छोटे किरायेदारों के लिए अपील की है, [हिन्दी] हमारे कल्याण

दादा अच्छी तरह से [अनुवाद] समझाने में सक्षम होंगे। छोटे किरायेदारों को इसे उच्चतम न्यायालय तक लड़ना पड़ा। [हिन्दी] सुप्रीम कोर्ट में वह फिर जीत जाता है। एलआईसी हो, बैंक आफ महाराष्ट्र हो, बैंक आफ बड़ौदा हो, देना बैंक हो, उनको कोई चिंता नहीं है।

[अनुवाद] मैं आपको राष्ट्रीय वस्त्र निगम का उदाहरण दूंगा। एन.टी.सी. ने 1970 के दशक के अंत या 1980 के दशक की शुरुआत में एक मिल पर कब्जा कर लिया। [हिन्दी] वहां पर टेनेंट्स वर्ष 1939 से रहते हैं। [अनुवाद] अब, 1990 में या 21वीं शताब्दी में, उन्होंने पीपीए के तहत एक नोटिस जारी किया कि उन्हें परिसर की आवश्यकता है। [हिन्दी] उनसे सात दिन में वैकेट करने के लिए कहते हैं।

[अनुवाद] मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। अन्य मामले में, किरायेदार बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, [हिन्दी] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रियली अनऑथराइज्ड टैनेंट है, उनसे खाली कराने के लिए आपको पार्लियामेंट ऑथराइज्ड कर रही है। [अनुवाद] आप उन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खाली करने के लिए नहीं कह सकते। [हिन्दी] मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 8 जून, 2002 की जो आपकी गाइडलाइन है, उसको थोड़ी सैंक्टिटी दी जाए। उसके लिए आप भविष्य में कभी अमेंडमेंट लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको आर्डर ईश्यू किया, 20 में से 18 गाइडलाइंस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्ट में इंक्ल्यूड कर रहे हैं। एक्ट में इंक्ल्यूड करने से यहां के संबंध में आपने मेंबर, फार्मर मेंबर, जुडिशियरी, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यह जो जजमेंट है, [अनुवाद] यह सरकारी कर्मचारी के लिए है। [हिन्दी] आपने वह इनक्लूड कर लिया। [अनुवाद] हम देश की जनता के सेवक हैं। [हिन्दी] सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन मैन के लिए पांच अलग-अलग जजमैंट पिछले 13-14 सालों में, मुझे पता है कि मैं नितिन गडकरी जी के पास कुछ लोगों को लेकर गया था। मुम्बई हो, दिल्ली को, कोलकाता हो, इस प्रकार के पब्लिक प्रिमाइसेस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमैंट बॉडीज़ अपने पद का काफी दुरुपयोग कर रही हैं।

मैं अंत में एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। [अनुवाद] एक और रिज़र्व बैंक परिपत्र है, वित्त मंत्रालय का परिपत्र। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अवैध रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। [ हिन्दी] आप इस गाइडलाइन को स्टैटुटरी फोर्स दे दें जिससे आम व्यक्ति, आम टेनैंट [अनुवाद] जो राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा नियंत्रित हो, [हिन्दी] उन्हें समर्थन मिलेगा, प्रोटैक्शन मिलेगा। मैं इस एक्ट का समर्थन करता हूं।

**श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) :** उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक प्रिमाइसेस अमैंडमैंट बिल, 2014 के महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आज इस अमैंडमैंट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, उसके बाद हमारी साथी सुष्मिता जी ने उसका विस्तृत ब्यौरा दिया। इस अमैंडमैंट को लाने की शुरुआत 8 जुलाई, 2010 में यूपीए सरकार द्वारा कैबिनेट के उस फैसले से हुई जिसमें दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन, बाकी मैट्रो रेल और एनडीएमसी की प्रिमाइसेस को पीपीए के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया। क्यों किया, क्योंकि स्पीडी एविक्शन में, हम जिस तरह मैट्रो को देखना चाहते हैं, मैट्रो का विस्तार तेजी से हो और डेली कम्युटर्स को सहूलियत मिले। उस काम में बहुत से पैंडिंग केसेज की वजह से देरी आ रही थी। डीएमआरसी में अभी भी तकरीबन 96 पैंडिंग केसेज हैं। पीपीए एक्ट में आने के बाद स्टेट ऑफिसर खुद मैट्रो की अथॉरिटीज़ लगाएं, समय पर अनऑथराइज़्ड औक्युपैंट्स का डीएमआरसी की प्रॉपर्टी से एविक्शन हो और मैट्रो का तेजी से विस्तार हो।

मैं इस बिल पर चर्चा सुन रहा था। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ कि ज्यादातर बातें सांसदों और मंत्रियों के बंगलों के रिलेटेड थीं। इस बिल के माध्यम से पीपीए में अमैंडमैंट करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए उसे भी इसके थ्रू ऐड्रैस करने का प्रयास किया गया है, वह या उसे लेकर हुई या विभिन्न केसेज जो लड़े गए, उनका विस्तृत ब्यौरा दिया गया। मैं इस संदर्भ में खास तौर पर मीनाक्षी लेखी जी की बात का जिक्र

करना चाहूंगा। मुझे थोड़ी सी चिन्ता जरूर हुई क्योंकि वे भी दिल्ली से सांसद हैं। कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अमैंडमैंट को लाने का मूल उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सांसदों और मंत्रियों के बंगलों पर चर्चा करना और सुप्रीम कोर्ट में बाकी जो केसेज हैं, उन पर चर्चा करना भी हो सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली और बाकी मैट्रो में जो लाखें कम्युटर्स हैं, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार तेजी से किया जाए। जब हम यहां चर्चा करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स नहीं हैं, यह लोक सभा है। यहां लोगों के लिए आवाज उठनी चाहिए कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ ही मंत्री जी को कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली मैट्रो ने जो शानदार सफलता पिछले 10-15 वर्षों में हासिल की है, उसके लिए हम आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वर्ष 2016 तक अनुमान किया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी मेट्रो बनने जा रही है। तकरीबन 310 किलोमीटर की मेट्रो के अंदर 227 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। दिल्ली में हर रोज करीब चालीस लाख लोग दिल्ली मेट्रो के जरिए अपनी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का काम करेंगे। मैंने संसद में बार-बार इस पर प्रश्न उठाया है, हमारी जो प्लानिंग होती है उसको हम दूरदर्शिता के साथ प्लान नहीं करते, आज का बिल भी उसका उदाहरण है। दिल्ली मेट्रो के अंदर इतने सारे केसेज आए हैं, उसका समाधान कैसे हो, इसके लिए यह बिल लाया गया है। पहले हमारी सरकार ने कैबिनेट के प्रस्ताव के माध्यम से और अब आज वैंकेया जी इस अमेंडमेंट को लेकर आए हैं। हमें दूरदर्शिता से सोचना पड़ेगा, दुनिया में जितनी भी बड़ी-बड़ी सिटीज के अंदर मेट्रो हैं, उसके लिए कंसेप्ट है कि [अनुवाद] रेलवे और मेट्रो की अंतर-संचालनीयता और अंतर-कनेक्टिविटी। [हिन्दी] चाहे हम टोक्यो की तरफ देखें, पेरिस की तरफ देखें, जर्मनी की तरफ देखें, एस्बान और यूबान के अंदर उनकी कनेक्टिविटी है। अमेरिका में न्यूयार्क के अंदर सब-वे है, बाहर इंटर- ट्रांजिट है। क्यों हमारे देश में रेलवे और मेट्रो को आपस में कनेक्ट करने की बात नहीं चल रही है। सब-अरबन कम्यूटर्स को आपस में जोड़ने के बारे में मंत्री जी विचार करें, क्योंकि एनसीआर प्लानिंग बोडर् भी मंत्री जी के मंत्रालय के अंतर्गत

आता है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में एक प्रस्ताव आया है और दिल्ली के आसपास चार रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है एक रोहतक की तरफ, एक पानीपत की तरफ, एक गुड़गांव की तरफ और एक फरीदाबाद की तरफ बनाने का प्रस्ताव है। क्या वे मेट्रो से भी इसको कनेक्ट होंगे? एनसीआर प्लानिंग बोर्ड रेलवे मेट्रो हाई स्पीड कॉरीडोर बनाने जा रहा है, क्या वे आपस में एक-दूसरे से मिलेंगे? इस बारे में भी विचार करना चाहिए। [अनुवाद] मैं ऐसा क्यों कहता हूं क्योंकि एनसीआर योजना बोर्ड सभी राज्य सरकारों और शामिल मंत्रालय से बात करने की अद्वितीय स्थिति में है; यह सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करने के लिए कि अंतर-संपर्क वास्तव में दिल्ली के यात्रियों के लाभ के लिए होता है। [हिन्दी] पीपीपी एक्ट के अंदर 51 प्रतिशत की लिमिटेशन है, इसके अंदर पेड शेयर कैपिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश सरकारों की हिस्सेदारी होगी। उन कंपनियों को इसके अंदर शामिल किया है।

किरीट सोमैया जी ने एक बात उठाई कि बहुत सी ऐसी मेट्रो आ रही हैं जिनमें 51 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी प्रदेश सरकारों की है। गुड़गांव मेट्रो इसका उदाहरण है। हुडा ने रैपिड मेट्रो गुड़गांव विकसित की है, वह तकरीबन 100 प्रतिशत प्राइवेट फाइनेंसड है, सरकार ने केवल उसका टेंडर किया था। गौड़ा साहब जब रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि इस सरकार की दिशा रेलवे के लिए पीपीपी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की होगी। क्या रेलवे पीपीपी की तरफ बढ़ रहा है? मेट्रो जब पीपीपी की तरफ बढेगी, इस प्रकार के जितने भी प्राइवेट फार्मस होंगे, पेड-अप-कैपिटल 51 प्रतिशत से कम हो सकती है। गुड़गांव मेट्रो में शून्य प्रतिशत सरकार की हिस्सेदारी है। मगर वह सरकार का प्रोजेक्ट है, क्या उनवो भी इसके अंदर लाने के बारे में हम सोच सकते हैं। हमारी साथी सुष्मिता ने रिहैबिलिटेशन की बात उठाई, उससे मैं भी सहमत हूं,।

**<u>अपराह्न 3.54 बजे</u>** (श्री के.एच. मुनियप्पा *पीठासीन हुए*)

मुख्य तौर पर दो तरह के अनअथॉराइज्ड अकुपेंट्स हैं। एक होमलेस और दूसरा शॉपकीपर, जिनको मेट्रो ने कंट्रैक्ट दिए थे, लेकिन उनका पीरियड पूरा हो गया है। रिहैबिलिटेशन के लिए करीब दस हजार लोगों का आकलन किया गया है, सरकार उनके लिए क्या प्रावधान कर रही है या करने जा रही है? मंत्री जी को अपने जवाब में इसकी जानकारी देनी चाहिए। कैबिनेट ने वर्ष 2010 में फैसला किया था, तब दिल्ली मेट्रो केवल दिल्ली में थी, अब दिल्ली मेट्रो हरियाणा में भी पहुंची है, फरीदाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़ के अंदर तक मेट्रो बनाई जा रही है। हमारी पुरजोर मांग है कि गुड़गांव से बढ़ाकर सांपला तक पहुंचाई जाए। फरीदाबाद से लेकर पलवल तक मेट्रो ले जाने की हमारी मांग है। इस प्रकार से सोनीपत तक, जो उत्तर को आपने छोड़ दिया, मेट्रो पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इसलिए सोनीपत तक भी हमारी मांग रही है।

मेरा एक प्रश्न है कि आज एनडीएमसी की प्रीमाइसिज़ को इस मेट्रो में पीपीए के सारे प्रावधानों के तहत लाया जा रहा है। [अनुवाद] अधिक सावधानी के तौर पर, हम एन.डी.एम.सी. परिषद में संशोधन लाने के इच्छुक हैं। हरियाणा के निगमों और समितियों के साथ क्या होता है? [हिन्दी] हरियाणा की कार्पोरेशन कमेटी और पंचायत की प्रीमाइसिज़ में भी मेट्रो जानी चाहिए, क्योंकि जब सांपला तक मेट्रो पहुंचेगी तो मै समझता हूं कि बहुत सी ग्राम पंचायतें भी इसमें आयेंगी। उस बारे में भी क्या पीपीए उसी प्रकार से लागू होगा? मैं सोचता हूं कि आपको आगे आने वाले समय की प्लानिंग करते हुए इस बारे में भी सोचना चाहिए।

अंत में, मैं एक बार फिर अपने मुख्य बिन्दू को कहना चाहूंगा कि आज जब हम लोक सभा में, लोगों की सभा में कानून बनाने के लिए खड़े होते हैं, तो क्यों इस कानून के अमेंडमैंट को लाया जा रहा है, इस बात को सोचना चाहिए? उस बात को सोचते हुए मेरा मुख्य सुझाव है कि रेलवे, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और मेट्रो, जो रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बना रहा है, इन तीनों को आपस में काम करना चाहिए। इन तीनों को आपस में काम कराने के लिए रेलवे, मेट्रो और हाई स्पीड कोरीडोर, जो दिल्ली के आसपास बनने जा रहा है, वे तीनों

एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि जब हाई स्पीड कारीडोर आ रहा है तो उनके लिए अलग से अमेंडमैंट लाने की आवश्यकता न पड़े।

मैं समझता हूं कि अगर कोई मंत्रालय इसे कर सकता है तो वह आपका मंत्रालय ही कर सकता है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड कर सकता है। उसे ये पावर्स मिलनी चाहिए कि वह दूरदर्शिता से कानून बनाये। इस अमेंडमैंट का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि यह केसेज को निपटाने में आपकी बहुत मदद करेगा। मगर हम दूरदर्शिता से इस प्रकार से कानून बनायें कि 40 लाख और आने वाले समय में दिल्ली के कम्युटर्स और भी बढ़ने वाले हैं, उन्हें हम लीगल फ्रेमवर्क दे सकें।

सभापति महोदय, दिल्ली मेट्रो तेजी से आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना देते हुए हम इस अमेंडमैंट का समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

**श्री तथागत सत्पथी (धेन्कानल):** महोदय, मैं उस विधेयक पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसे अब सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014 के रूप में नामित किया गया है। यह मूल रूप से उन कंपनियों को शामिल करने के लिए सरकारी स्थानों को फिर से परिभाषित करता है जिनमें केंद्र या राज्य सरकारें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं। यह दिल्ली महानगरों के संपदा अधिकारी को शक्तियां और क्षमताएं भी देता है। आश्चर्य की बात यह है कि 15$^{वीं}$ लोक सभा के दौरान, शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति ने इस संशोधन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यह वास्तव में पिछली लोक सभा अर्थात् 15$^{वीं}$ लोक सभा द्वारा किया गया था। उस समिति की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सिफारिशें हैं।

जब सरकार ने प्रौद्योगिकी संस्थानों के नाम लेना उचित समझा, जो प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत हैं, तो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत गठित कोई भी न्यासी बोर्ड, भाखड़ा प्रबंधन, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, जब इन सभी विस्तृत निकायों का नाम लिया गया है, तो मैं जो समझ नहीं पाया, वह यह है कि उन्होंने अपनी दृष्टि को इतना संकुचित क्यों कर दिया है कि उन्होंने अभी दिल्ली मेट्रो के मुद्दे का निपटान किया है? बैंगलोर और अन्य राज्यों में मेट्रो बन रहे हैं। उनके पास पहले से ही कोलकाता में पहली मेट्रो है। इसलिए, जब हम संसद में एक कानून पारित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है, विचार यह होना चाहिए कि यह सब समावेशी हो।

मैं दो बातें उठाना चाहता हूँ। सबसे पहले, कोई भी कंपनी, चाहे वह केंद्र सरकार का उपक्रम हो या राज्य सरकार का उपक्रम, जहां राज्य या केंद्र सरकार के पास 51 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, न कि केवल मेट्रो रेलवे, इस अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिए। इस संशोधन के अंतर्गत उन्हें भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

**<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>**

दूसरी बात, जो समय सुझाया गया है, यदि आप स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन का संदर्भ लें, पृष्ठ 7 पर पैरा 2.4 में, यह कहा गया है कि:

> "समिति को यह बताया गया है कि प्रस्तावित संशोधन के बाद, डी.एम.आर.सी. 'नामित संपदा अधिकारियों के माध्यम से' अपने परिसर को खाली कराने में सक्षम होगी।"

इसमें यह भी बताया गया है:

> "अनधिकृत कब्जे के मामलों का निर्णय संपदा अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 3 से 4 महीने की अवधि के भीतर किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों पर सहमति

जताते हुए समिति का विचार है कि तीन से चार महीने की इस समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए अन्यथा संशोधन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा ।"

तीन या चार महीने की समय-सीमा भी बहुत अस्पष्ट है। यह या तो तीन महीने या चार महीने होना चाहिए। कानून के मामले में आप इतने अस्पष्ट नहीं हो सकते।

फिर, एक अपीलीय प्राधिकारी है जो जिला न्यायाधीश है। आम तौर पर, हम जानते हैं कि भूमि से संबंधित मामले सिविल न्यायाधीश के पास जाने चाहिए। लेकिन जब आप किसी विशिष्ट न्यायाधीश का उल्लेख कर रहे हों, तो इसे आपराधिक मामले के रूप में गलत समझा जा सकता है। अत: इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यदि कोई स्थायी समिति की सिफारिशों को पढ़ता है, तो यह पता चलता है कि स्थायी समिति ने कई ऐसी बातें कही हैं, जो कानून को बहुत सटीक बनाती हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से आज सभा में जो अंतिम संशोधन आया है, उसमें इन बातों को संज्ञान में लिया गया प्रतीत नहीं होता है। कमोबेश स्थायी समिति की सिफारिशों की उपेक्षा की गई है। मेरा सुझाव है कि सरकार को सिफारिशों को देखना चाहिए, इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए, इस संशोधन को वापस लेना चाहिए, एक और संशोधन लाना चाहिए जिसमें न केवल दिल्ली मेट्रो, बल्कि देश भर के अन्य महानगरों, कंपनियों, संस्थानों आदि को शामिल किया जा सकता है और जहां भी सरकार के पास 51 प्रतिशत शेयर हैं, चाहे केंद्र या राज्य सरकारें हों, ऐसे सभी संस्थानों को शामिल किया जा सकता है।

इसलिए, यदि जबरन कब्जा करने वाले लोग हैं, तो उचित यही है कि सरकार कदम उठाए। इस संशोधन का उपयोग किया जाना चाहिए और यह सब समावेशी होना चाहिए। यह एक निरंकुश संशोधन प्रतीत होता है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

**श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर)**: सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर

दिया। मूल अधिनियम इस सदन द्वारा वर्ष 1971 में पारित किया गया था। यह पूरे भारत में लागू होता है, विशेष रूप से भारत सरकार की संपत्तियों के संबंध में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों के सार्वजनिक परिसरों के संबंध में अपने अधिनियम हैं। सभी राज्यों के अपने-अपने अधिनियम हैं। अब हम उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में मूल अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है। इस विधेयक पर स्थायी समिति ने भी कुछ सुझाव दिए हैं।

जैसा कि सभी सदस्यों ने अभी उल्लेख किया है, मैं उनसे सहमत हूँ कि यह विधेयक व्यापक तरीके से लाया जाना चाहिए था। अब हम मुख्य अधिनियम के कुछ खंडों में संशोधन कर रहे हैं, जो 1971 में पारित किए गए थे, 20 सुझावों को ध्यान में रखते हुए जो माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा दिए गए थे। उद्देश्यों और कारणों को देखते हुए, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, उन्होंने लगभग 18 सुझावों को स्वीकार किया है। दो सुझावों को इस दृष्टि से स्वीकार नहीं किया गया था कि उन सुझावों से इसमें और अधिक विलंब हो सकता है; मुझे नहीं पता कि वे दो सुझाव क्या थे। लेकिन, जैसा कि हमारे सदस्यों ने बताया है, हम केवल दिल्ली मेट्रो को ध्यान में रख रहे हैं। देश भर में कुछ और मेट्रो आ रहे हैं। शायद अगले दशक में, न केवल महानगरीय शहर, बल्कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर भी इसके लिए पहले से ही योजना बना रहे हैं। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि हम एक और विधेयक ला सकते हैं और व्यापक रूप से हम कुछ और विचार भी दे सकते हैं।

हाल ही में कर्नाटक में, उन्होंने धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों के बारे में चर्चा की। अवैध अधिभोगी या कुछ अन्य अधिभोगियों को बेदखल करना जो कुछ हद तक अधिकृत हैं, एक बड़ी समस्या बन गई है। मेरे तेलंगाना राज्य में, हमारा एक अधिनियम है, वह हैदराबाद धार्मिक विन्यास अधिनियम है जो आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से भी बहुत पहले पारित हो चुका था। इसलिए हमारे यहां धार्मिक संपत्तियों के साथ कुछ

समस्याएं हैं, न केवल हिंदू धार्मिक संपत्तियां, यहां तक कि कर्नाटक में वक्फ संपत्तियां भी। उन्होंने अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने के तरीके पर चर्चा की।

इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मामले में व्यापक रूप से विचार करें । हम जानते हैं कि यह 'भूमि' के संबंध में राज्य का विषय है, लेकिन, हालांकि, भारत सरकार कुछ कदम उठा सकती है ताकि नए युग में, हम विभिन्न राज्य सरकारों के सुझावों को लेकर एक व्यापक अधिनियम बना सकें और हम इसे पारित कर सकें। लेकिन इस मामले की तात्कालिकता और उच्चतम न्यायालय के सुझावों के मद्देनज़र, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

**श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस विधेयक पर अभी चर्चा चल रही है, मैं उससे सहमत हूँ। इस विधेयक से मेट्रो के प्रोजैक्ट को पूरा करने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेट्रो नोएडा तक पहुंच चुकी है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ा जाना है। लखनऊ में भी मेट्रो के प्रोजैक्ट को शुरू किया गया है।

इसके अलावा सांसदों के बंगले के संबंध में, मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। जो कानून बनाया जा रहा है, उसे जितना छोटी पार्टियों के ऊपर लागू किया जाता है, उतना ही बड़ी पार्टियों पर भी लागू किया जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा। पूर्व में पुरानी सरकार थी, उस समय इस सदन के एक सदस्य थे, वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गये थे। रात के समय दरवाज़े पर नोटिस लगा दिया गया था कि सुबह बारह बजे तक आपको अपना बंगला खाली करना है। बारह बजे तक आनन-फानन में बंगला खाली किया गया। उनके परिवार से एक और सांसद थे, जिनको मौका दिया जा सकता था, पर नहीं दिया गया। अभी हाल ही में पिछली लोक सभा के एक सदस्य को नोटिस दिया गया था कि वे अपना बंगला खाली करें। वे कोर्ट में गये और समय मांगा। उसी दौरान वे दूसरे सदन के सांसद बनकर वापस आ गये। किरीट सोमैया जी ने भी अभी

कहा है कि अगर कोई सदस्य है और फिर सदस्य बनकर वापस आते हैं, उनको मौका देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वह सदस्य पहले सीनियर कैटेगरी के बंगले में रह रहे थे, उनको इस बार भी मौका हम दे सकते थे। आप जो कानून लाए हैं, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन आपसे गुजारिश भी करना चाहता हूं कि जो छोटी पार्टियां हैं, उनको आप प्रोटेक्शन देते रहें। धन्यवाद।

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** सभापति महोदय, इस देश में पहले जो जमीन का धंधा करता था, उसे जमीन का ... [11*] कहा जाता था और अब जमीन का धंधा करने वाला वह कहता है कि मैं रियल इस्टेट का धंधा करता हूं। दिल्ली में अगर पूछेंगे तो हर तीन आदमियों पर एक आदमी यही बताएगा कि मैं रियल इस्टेट का काम करता हूं। ... * के नाम को इंग्लिश में चेंज कर दिया गया और वह ... * भी राजनीतिज्ञों और पदाधिकारियों के साथ मिल गया। सब कह रहे हैं कि आपका समर्थन करते हैं तो मैं भी करता हूं और जब वैंकैय्या नायडू साहब बिल लाए हों तो अवश्य करना पड़ेगा। वह मेरे बड़े भाई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा बहुत अंतरंग संबंध रहा है, राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से भी नजदीक रहे हैं।...(व्यवधान) देखिए, समय और पात्र के अनुसार विचार नहीं बदलता है।...(व्यवधान) मैं आपका ध्यान इसी दिल्ली में मंदिर और मस्जिद की तरफ दिलाना चाहता हूं। देश में तो है ही, दिल्ली में भी ऐसी कई जगहें हैं, यह रिपोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा है, वह रिपोर्ट कहती है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 43 ऐसी जगहों पर मंदिर-मस्जिद का निर्माण है, जिनको नहीं तोड़ा जा सकता, पुलिस ऐसा हलफनामा दाखिल करती है। बनने के समय पुलिस की मिलीभगत से उसे बनाने दिया जाता है और बाद में यह कह दिया जाता है कि दंगा हो जाएगा या ऐसी घटना घटेगी, इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्या माफियाओं की मिलीभगत से यह अवैध काम नहीं होता है?

[11*] कार्यवाही - वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूसरी चीज, दिल्ली में जो करोड़ों-अरबों रुपये के जो फार्म हाउसेस बने हुए हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बने हुए हैं। कौन हैं ये पूंजीपति लोग? किसके फार्म हाउसेस हैं? आप इसकी पूरी जांच क्यों नहीं कराते हैं कि उन्होंने किन-किन नियमों को तोड़ा है? आज आपकी सरकार झुग्गी-झोपड़ी को बचाने के नाम पर यह बिल लाई है। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार ने जो किया, उसके बारे में हमारे मित्र ने बधाई दी है, लेकिन श्रीधरन ने मेट्रो के लिए जो किया, उसके लिए भी बधाई देनी चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से शीला दीक्षित सरकार और यूपीए सरकार की पॉलिसी सही थी, लेकिन एक व्यक्ति, जिसने दिल्ली की मेट्रो को विश्व में पांचवां स्थान दिलाया, उसका नाम श्रीधरन है, उसे नहीं भूला जा सकता है और उसकी भी चर्चा होनी चाहिए।

मंत्री महोदय, हर चीज में भाषण देना उचित नहीं है, इसलिए नहीं देंगे। महरौली थाना अंतर्गत अवैध निर्माण की 366 शिकायतें दर्ज हुई हैं, उनमें से 59 पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्ष 2010 में ललिता पार्क में अवैध इमारत में बिहार और सहरसा के 72 लोग मारे गए थे। उसके बाद कितने अवैध निर्माण दिल्ली में हुए हैं, इसकी भी जांच हो जाए। तब पता चलेगा। आप पैरिस-न्यूयार्क सब कुछ बनाइए, लेकिन जो गरीब है, कमजोर है, जरूरतमंद इंसान हैं, जो ठेला चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। जो फल बेचकर अपनी जिंदगी गुजारता है, जो सब्जी बेचकर अपनी जिंदगी गुजारता है। आप उसकी झुग्गी-झोपड़ियों को तो बर्बाद करने चल देते हैं। लेकिन जिसने अवैध कब्ज़ा किया हुआ है, जो अवैध बिल्डिंग बनाकर ग़रीबों का शोषण करता है, बाहर के लोग दिल्ली में या दूसरे बड़े शहरों में आजीविका के लिए आते हैं, हमारे मित्र हुड्डा जी ने सही कहा है कि पैरिस या टोक्यो में जिस तरह का रेल और मेट्रो का सामंजस्य है, उसे यहां कैसे करेंगे? यह भी सही है कि दिल्ली में 900 हैक्टेयर जमीन अवैध कब्जे में है, जो सिर्फ रेलवे की है। आपके पास सब कुछ है, हम आपको डेटा निकाल कर दें, यह उचित नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पूरी जानकारी है। मेरा सुझाव इतना है कि कानून पहले से मौजूद है और उस कानून को ज्यादा सशक्त बनाया जा सकता है या नया कानून भी लाया जा सकता है। मंत्री

जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन कारनामों में पुलिस, माफिया, राजनीतिक व्यक्ति और पदाधिकारी का नैक्सस है। इसे रोकने के लिए आप सख्त से सख्त क्या कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले समय में अवैध निर्माण न हो? माफियाओं तथा राजनीतिज्ञों का घर न भरे, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे?

दूसरा आपको याद होगा कि सीलिंग एक्ट के समय में हाय-तौबा मची थी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पर आरोप लगा था। उस समय बहुत हाय-तौबा मची थी कि उन्होंने अपने दामाद और परिवार के लिए आउट आफ रूल जा कर, केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के आदेश जारी हुए हैं, जो कारपोरेट घरानों या पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए थे। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी कार्पोरेट या पूंजीपति घराना, कोई भी राजनीतिज्ञ या कोई भी पदाधिकारी हो, अपने रिश्तेदारों को मुनाफा या फायदा पहुंचाने के लिए वह कोई ऐसा फैसला या आदेश पारित न करे, इसके लिए सरकार निश्चित रूप से कांसियस रहे, जागरुक रहे ताकि आने वाले समय में हमारी ज़मीन पर अवैध तरीके से निमार्ण न किया जा सके। अवैध निर्माण के द्वारा हम दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी, रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, ठेला और फल तथा सब्जी बेचने वाले को सबसे पहले हटाते हैं, मैं आग्रह करूंगा कि पहले उनकी आजीविका के लिए, उनके रहने के लिए समुचित व्यवस्था करें तभी उनकी झुग्गी-झोपड़ी के अवैध निर्माण को हटाने या तोड़ने का प्रयास करें।

मैं इससे ज्यादा इस बिल के बारे में कोई और बात नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि यह बिल पूरी तरह से माफियागिरी, नैक्सस और सबसे मूल चीज यह है कि भावनात्मक रूप से मंदिर या मस्जिद का निर्माण अवैध कब्जा करके करते हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं पुनः इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014 पर अपने विचार सदन में रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, यह बिल पहले भी सरकार के पास वर्ष 2010 में आया था और स्थायी समिति को संशोधन के लिए भेजा गया था। उसके बाद फिर से वर्ष 2011 में इस बिल को लाया गया था। उस समय हमारी पार्टी के नेता माननीय शरद यादव जी उस समिति के अध्यक्ष थे। इस बिल को चर्चा करने के बाद तैयार किया गया था, किंतु उस समय सरकार इस पर अमल नहीं कर पायी थी। आज यह गंभीर समस्या बन गई है कि सार्वजनिक सम्पत्ति पर लोग कब्जा कर लेते हैं और फिर कानूनी प्रावधानों में उलझा कर इस पर पूर्णतः कब्जा जमाए रहते हैं। कोई भी सार्वजनिक सम्पत्ति इस देश में नागरिकों को सुविधा प्रदान करने और उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से फायदा दिलाने के लिए उसका केवल उपयोग सरकार करती है। किंतु कुछ व्यक्ति सम्पत्ति को हथियाने में लगे रहते हैं। वैसे तो यह कानून 1971 में आया था और बिल में कहा गया था कि दिल्ली मैट्रो रेल और महापालिकाओं की सम्पति पर इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए संशोधन करना आवश्यक है। साथ ही उन सार्वजनिक कंपनियों को भी इस बिल के दायरे में लाना है जहां सरकार की भागीदारी 51 प्रतिशत हो।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर नगरों में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा सरकारी सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जा है, जैसे रेलवे की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन है या रक्षा विभाग की जमीन है। रोड पर कब्जा हो रहा है, सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि यह कानून 1971 से है। फिर सरकारी जमीन या सम्पत्ति पर कब्जा क्यों नहीं हटा, बल्कि कब्जा और बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन झगड़े होते हैं, गोलिया चलती हैं और लोग आपस में मर-कट जाते हैं। सरकार अनधिकृत कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही रोक देती है और कब्जा बरकरार रहता है। अत: सरकार जो कानून बना रही है, उसका अच्छा तरह

से पालन हो, अनधिकृत सम्पत्ति से सरकार कब्जे हटाए और उन सम्पत्ति का उपयोग आम जनता की भलाई के लिए करे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा (टुमकुर)**: महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया।

मैं माननीय सदस्यगण के साथ पूर्ण रूप से सहमत हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी की ओर से बोला। मैं भी विधेयक में संशोधन की भावना के साथ सहमत हूँ जों माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं।

मैं जानता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह संशोधन लाने का मुख्य स्रोत है। हम इस संशोधन को लाने में विभिन्न स्तरों पर आने वाली समस्याओं को समझ सकते हैं ताकि उन लोगों को बेदखल किया जा सके, जो अनाधिकृत रूप से घरों पर कब्जा किए हुए हैं। *एस.टी. बंदी बनाम डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर, के.एस.आर.टी.सी., उच्चतम न्यायालय केस में* अनधिकृत कब्जे में रहने वाले व्यक्ति को 12.06.1997 को बेदखल करने के लिए कहा गया था। अंतत:, यह मामला अपीलीय अदालत के समक्ष उठाया गया। वहाँ से, यह उच्च न्यायालय में गया। फिर, एकल अदालत से यह खंडपीठ के पास चला गया। इसके बाद, इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया। अंत में, माननीय उच्चतम न्यायालय, ने 13.07.2004 को, बेदखली का आदेश पारित किया।

इसलिए, यह इस संशोधन को लाने की आवश्यकता और तात्कालिकता को दर्शाता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं।

महोदय, मैं इस विशेष रिट याचिका का निपटारा करते समय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश द्वारा की गई एक टिप्पणी को उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है: “अनधिकृत अधिभोगियों

को यह समझना चाहिए कि परिसर में अधिक रहने का उनका कार्य सीधे दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए, मैं सहमत हूँ और वास्तव में, इस संशोधन की भावना की सराहना करता हूँ।

दो-तीन महत्वपूर्ण पाइन्ट हैं, जिन्हें मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं । संपदा अधिकारी को बेदखली का आदेश पारित करना चाहिए। यह संपदा अधिकारी कौन है? उसकी योग्यता क्या है? आपने इस संपदा अधिकारी के लिए कोई योग्यता तय नहीं की है। वस्तुतः, वह बेदखली का एक आदेश पारित कर रहा है। यह एक *अर्ध-न्यायिक* कार्यवाही है। संबंधित धारा के अनुसार, वह केवल एक राजपत्रित अधिकारी है जिसका उल्लेख भारत सरकार द्वारा किया गया है। क्या वह *अर्ध-न्यायिक कार्यवाही* में आदेश पारित करने के लिए योग्य है? आदेश, जो वह पारित करता है, जिला न्यायालय के समक्ष अपील के लिए लिया जाएगा; और इसकी जांच उच्च न्यायालयों और अंततः उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी ।

इसलिए, माननीय सरकार को मेरा सुझाव है कि उन्हें न्यायपालिका से एक अधिकारी लाने का प्रयास करना चाहिए। सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर गौर किया जाना चाहिए। उन्हें अवसर देना चाहिए और पक्षों को सुनना चाहिए। उसे स्पष्ट आदेश देना चाहिए । यही कारण है कि न्यायपालिका के एक अधिकारी को आदेश पारित करने के लिए इस धारा के तहत एक संपदा अधिकारी के रूप में लिया और नियुक्त किया जाना चाहिए।

दूसरी बात, आपने संशोधन में अपीलीय अधिकारी की बात कही है। इसे अपीलीय अधिकारी नहीं कहा जा सकता है। संपदा अधिकारी द्वारा पारित आदेश को जिला न्यायाधीश के पास ले जाया जाना चाहिए। जिला न्यायाधीश की अदालत अपील का निपटारा करती है। इसलिए, 'अपीलीय अधिकारी' शब्द उपयुक्त नहीं है और न ही इसके पीछे की भावना अच्छी है । कानूनी भाषा में, आप जिला न्यायाधीश के लिए 'अधिकारी' शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ, अपीलीय अधिकारी के बजाय,

इसका उल्लेख अपीलीय न्यायालय के रूप में किया जाना चाहिए। यह एक बात है। महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

तीसरा, संशोधन विधेयक में हमने संसद के सदस्यों द्वारा रखे जा रहे बंगलों या घरों के बारे में बहुत चर्चा की है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तक कि जो संपत्तियां दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हैं, और संपत्तियां, जो कंपनियों की हैं, जहां सरकार के पास 51 प्रतिशत से अधिक के शेयर हैं, उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह भारत सरकार या किसी अन्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह पहले यह पता लगाए कि इस अधिनियम के तहत आने वाली सभी संपत्तियां कौन सी हैं।

मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ कि अनधिकृत कब्जा करने वालों और अवैध कब्जा करने वालों के बीच अंतर है। आप उस व्यक्ति को नोटिस जारी कर रहे हैं जो अनधिकृत कब्जेदार है। लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो एक अवैध कब्जेदार है? उसे वहां नहीं होना चाहिए। उसे वहां रहने की अनुमति नहीं है। इसलिए, एक अंतर है। आपको अनधिकृत कब्जेदार और अवैध अधिभोगी के बीच एक रेखा खींचनी चाहिए। इसलिए, सरकार को वहां रह रहे व्यक्तियों और अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों से निपटने के लिए और अधिक व्यापक कानून लाना चाहिए।

अंत में, निष्कर्ष यह है कि आपने समय तय नहीं किया है। नि:संदेह, अपीलीय अदालत में आपने अपील के निपटान के लिए समय निर्धारित किया है, जो एक महीना है। मैं इससे सहमत हूं और मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन मामला वहां समाप्त नहीं होगा। अपीलीय न्यायालय से, इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है। वहाँ, आप जानते हैं, यह एक एकल न्यायाधीश है और एक ही न्यायाधीश के निर्णय के खिलाफ, मामला रिट अपील में लिया जा सकता है। वहां से विशेष अनुमति याचिका भी दायर की जा सकती है। आपको कुछ रणनीति बनाने का प्रयास करना चाहिए और इस शक्ति को भी कम करने के लिए कुछ कानून लाने का प्रयास करना चाहिए

क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को वर्षों तक मामले को एक साथ लेने की अनुमति दी जाती है, तो इस संशोधन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

मुझे लगता है कि बंदी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला आंखें खोलने वाला है। इस मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कुछ और कड़े संशोधन किए जाएं ताकि वह व्यक्ति, जो अनधिकृत कब्जेदार है, उसे तुरंत हटाया जाए। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

**डॉ. अरूण कुमार (जहानाबाद) :** माननीय सभापति महोदय, पब्लिक प्रिमाइसेज ऑक्युपेन्सी एविक्शन से संबंधित 1971 में जो बिल लाया गया था, उसमें जो संशोधन किया जा रहा है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। लेकिन दो-तीन सुझाव मैं सरकार को आपके माध्यम से देना चाहता हूं। मैट्रो, एनडीएमसी और सांसद बंगलों के विभिन्न तरह के सवालों को तथा उसमें आ रही बाधाओं का दूर करने के लिए इसे सरलीकृत किया गया है और इस पर स्टैंडिंग कमेटी ने भी विस्तार से चर्चा की है। आज सदन में भी इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो-तीन सवालों की तरफ हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे।

महोदय, सरकारी परिसम्पत्ति चाहे राज्य की हो, चाहे केन्द्र की हो, इन सम्पत्तियों पर उस विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से जो कब्जा दिलाया जाता है, उसमें गरीब परिवार के लोग होते हैं। इसमें गरीब परिवार के लोग होते हैं। वे लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। हम देखते हैं कि रेलवे की जमीन पर आज अवैध कब्ज़ा है, उसमें स्थानीय स्तर पर सरकारी पदाधिकारियों और रेलवे के पदाधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। फिर कानून के तहत उसका एविक्शन होता है तो निश्चति तौर से संपत्ति एक बड़ी हानि होती है। हम समझते हैं कि जब यह कानून बनाया जा रहा है तो उस संपत्ति पर कोई चाहे मंदिर के

माध्यम से, मस्ज़िद के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर जो कब्जे किए जाते हैं, उन पर लगाम लगायी जानी चाहिए। इस तरह से राष्ट्र को भी क्षति होती है और व्यक्तिगत क्षति भी होती है। यह जो नैक्सस होता है, दखल दिलाने का, इसमें स्थानीय पदाधिकारियों को भी अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए कि वे लोकल पुलिस और उस विभाग के पदाधिकारियों की मिली-भगत से इस सिस्टम को चलाने के लिए आकर्षित न करे। जब अकाउंटेबल बनाया जाएगा तो निश्चित तौर से जो नैक्सस है, उस पर रोक लगेगी। दूसरी चीज यह है कि यह सरकारी संपत्ति जो रेलवे की है या अन्य विभिन्न संगठनों की है, मैट्रो रेलवे की है, यह किसानों की संपत्ति थी। यह जमीन किसान से काफी कम दाम पर विकास के नाम पर ले ली जाती है और किसान की उसमें हिस्सेदारी नहीं होती है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। पीपीपी मोड में डालने के बाद वर्चस्व यदि प्राईवेट एजेंसी का होगा, तो वह कॉमन पीपल का इंट्रेस्ट नहीं रखेगा। यह सरकार वैलफेयर सरकार है, पीपल वैलफेयर के लिए है। इसलिए निश्चित तौर से सरकार की बड़ी हिस्सेदारी वहां होनी चाहिए ताकि प्राइवेट पार्टियों की मनमानी इसमें नहीं हो। इसी के साथ मैं बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार):** सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे [अनुवाद] सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक 2014 [हिन्दी] जैसे अहम बिल पर बोलने का मौका दिया है। मुझ से पहले अनंत कुमार जी ने बोला है कि आज यह एक अहम विषय है कि सरकारी जमीन पर अधिकतम तौर पर जिस तरह गरीब का कब्जा है, कमेरे का कब्जा है, इस बिल के तहत हम इस्टेट अफसरों को आधिकार दे रहे हैं कि वे कब्जा छुड़ा कर, उसकी जगह सरकारी कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। आज अगर दिल्ली की बात करें तो मैट्रो जैसा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक नहीं अनेकों लोगों को फायदा होता है।

**<u>अपराह्न 4.32 बजे</u>** [माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

यहां बंगलों की बात करें तो दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत से बंगलें हैं, जो अलग-अलग ट्रस्टों को एलॉट कर दिए गए। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो रेंट देने के बहाने से अनेकों साल से उन बंगलों पर बैठे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह एक जरूरी चीज़ है। एक धारणा बनी हुई है कि जो चीज सरकारी है, वह हमारी है। कहीं न कहीं उस धारणा को तोड़ कर जो चीज़ सरकारी है, उसको सरकार के हाथों में देना पड़ेगा। सरकार के हाथों में दे कर, जो सरकार का प्रोग्रेस वर्क है, उसको आगे ले जाना पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इसके अंदर जहां मैट्रो की बात कर दी जाती है, सरकारी बंगलों की बात कर दी जाती है, इस बिल के अनुसार हमें कहीं न कहीं फॉरेस्ट लैण्ड को भी लाना चाहिए। दिल्ली का अधिकतम फॉरेस्ट लैंड कब्जे के अंदर है, इल्लिगल ऑक्युपेंट्स वहां भी बैठे हैं। कहीं न कहीं रेलवेज़ की बिल्डिंग्स को भी इसमें लाना चाहिए। जो इंडियन आर्मी के सेंटर्स हैं, एयरफोर्स के सेंटर्स हैं, वहां कब्जा है, उनको भी लाना चाहिए। कई ऐसे एरियाज हैं, जो गवर्नमेंट एक्वायर्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, एडीएमसी के या डीडीए आदि किसी के अंडर हैं, मगर उनको आज तक एम्टी आउट नहीं किया गया। उनका पैसा भी ले लिया गया है, उनको भी इनके अंदर इंक्ल्यूड करना चाहिए। कहीं न कहीं जहां हम एस्टेट अफसर को अधिकार दे रहे हैं, उन अधिकारों के अंदर हमें यह अथॉरिटी भी देना चाहिए कि जब हमने नोटिस सर्व कर दिया, नोटिस तो एक के बाद एक दे दिया जाता है, नोटिस के साथ एविक्शन करवाने तक की अथारिटी उनके हाथों में देनी चाहिए। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी कहीं न कहीं चौधरी देवीलाल की विचारधारा के ऊपर चलने का कदम उठा रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि हर हाथ को काम, हर सिर पर छत, हर पेट को रोटी, बाकी सब बात खोटी। मैं यह मानता हूं कि जहां हम किसी गरीब को उस जगह से हटाते हैं, पैरलली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को इसके तहत देखकर उनके सिर पर छत देनी चाहिए। मैं तो इतना कहते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

[12*]**श्री एन. क्रिष्टप्पा (हिन्दुपुर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, सरकारी जमीनों और संपत्तियों के अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यदि कोई गरीब आदमी अपने स्वयं के उपयोग के लिए घर बनाना चाहता है, तो यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति देखते हैं जो गरीब नहीं हैं और मंदिरों, तालाबों, जंगलों और अन्य सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं। जिन्हें इन जमीनों की रक्षा करनी चाहिए थी, वे ऐसा करने में विफल रहे। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि सरकारी भूमि की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई नहीं की जा सकी।

महोदय, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए गंभीर कार्रवाई करने का समय आ गया है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने कई गलतियां की हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि, एस.ई.जेड.और उद्योगों के नाम पर हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और उद्योग स्थापित करने के बजाय उनका रियल एस्टेट उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया। जमीन के दुरुपयोग के कई आरोप हैं। उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए एक कंपनी को लगभग 8000 एकड़ आवंटित किया गया था। लेकिन 8000 एकड़ में से 80 एकड़ का भी उद्योगों की स्थापना के लिए उपयोग नहीं किया जा सका । सरकार को ऐसे बकायेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों को भूमि वापस देनी चाहिए।

पिछले 10 वर्षों में, इन भूमि का न तो किसानों द्वारा उपयोग किया जा सका और न ही उद्योग स्थापित करने के लिए इनका उपयोग किया गया। पिछले दस वर्षों में 8000 एकड़ भूमि के इस विशाल क्षेत्र का कोई उपयोग नहीं किया गया। इन भूमि पर न तो फसल उगाई जा सकी और न ही सरकारी उद्देश्यों को पूरा किया जा सका । ये भूमि रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथों में हैं। क्या हम अपने देश में ऐसी स्थितियों का

[12*] मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

स्वागत करेंगे? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को बिना किसी अपवाद के अपना समर्थन देने के लिए विभिन्न दलों और विभिन्न क्षेत्रों के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। 16 से अधिक माननीय सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक पर बोला है। उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव और टिप्पणियां दी हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सबने कहा कि वे इस विधेयक का समर्थन करना चाहते थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ।

जब यह विधेयक मेरे सामने लाया गया था, तब भी मेरी राय थी कि हम इसे टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं और हम एक व्यापक कानून लाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। तथापि, हमारा देश इतना विशाल है कि समय-समय पर मुद्दे सामने आ रहे हैं और कतिपय ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा है, मूल रूप से इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के बारे में है, राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के संबंध में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, और इसके परिणामस्वरूप परिवर्तन भी करना है क्योंकि अब चार नगर निगम हैं; और फिर कंपनी अधिनियम में बाद में संशोधन किया गया। यह विधेयक मुख्य रूप से उन पहलुओं पर विचार करने के लिए लाया गया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि न केवल इस पहलू पर बल्कि विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर भी, स्थिति की व्यापक समीक्षा करने और फिर उचित विधान लाने की आवश्यकता है, जो सभी पहलुओं वर्तमान, अतीत और भविष्य को भी कवर करेगा, क्योंकि हमारा देश एक गतिशील देश है। चीजें बदल रही हैं; नए अवसर आ रहे हैं; नई चुनौतियां भी आ रही हैं; और नए मुकदमे भी आ रहे हैं। दुर्भाग्य से, इस देश में ऐसे लोग हैं जो हमेशा मुद्दों पर मुकदमेबाजी करने और सरकार को कठिनाइयों में डालने का प्रयास करते हैं।

सरकार का मतलब है कि सरकार सार्वजनिक संपत्तियों की संरक्षक है। जब मैं सार्वजनिक परिसर कहता हूं, तो यह केवल लोगों की संपत्ति है। यह भारत की सरकार नहीं है। यह पूरे देश की सरकार है।

दूसरी बात, कुछ पहलुओं के संबंध में माननीय सदस्यों ने विभिन्न मेट्रो के बारे में उल्लेख किया है। भारत सरकार मूल रूप से राष्ट्रीय राजधानी के बारे में चिंतित है क्योंकि यह उनका कर्तव्य है।

भूमि राज्य का विषय है। इसे भी ध्यान में रखना होगा। जहां भी मेट्रो हैं और यदि भारत सरकार और राज्य सरकार का 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है, तो वे इस विधेयक के दायरे में आते हैं। अन्यथा, उन्हें अपने-अपने राज्यों में एक अलग विधेयक लाना होगा। मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा। कोई वन भूमि के बारे में, रेलवे के बारे में, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में, और राष्ट्रीय राजमार्गों और सभी के बारे में सुझाव दे रहा था। क्या हमारे पास इन सभी पहलुओं को शामिल करने वाला कानून हो सकता है? इसके लिए हमें राज्यों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है। मैं इस रूप नहीं देखा जाना चाहता कि मैं राज्य सरकारों की शक्तियां छीन रहा हूं और फिर संसद ने व्यावहारिक समस्याओं को समझे बिना और राज्यों से आवश्यक फीडबैक प्राप्त किए बिना एकतरफा कानून पारित कर दिया है जो सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है। इसलिए, हम निश्चित रूप से भविष्य में उस दृष्टिकोण को अपनाएंगे।

संपदा अधिकारी की शक्तियों के बारे में उठाए गए मुद्दों के संबंध में, संपदा अधिकारी को शक्तियां इसलिए दी गई है ताकि पहली बार में ही त्वरित निपटान और त्वरित कार्रवाई हो। फिर, अपील पर, यह हमेशा एक जिला न्यायाधीश के पास जाता है। किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। उस पर भी, कुछ लोगों ने टिप्पणी की जो बहुत दिलचस्प है। आपके पास कुल सारांश नहीं हो सकता क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। जिला न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय होगा। पहले एकल न्यायाधीश होंगे और फिर खंडपीठ होगी। वहां से यह उच्चतम न्यायालय में जाएगा। फिर, एक विशेष रिट याचिका भी होगी। ये

सभी प्रावधान हैं। लोकतंत्र में, हमें विभिन्न मंचों से गुजरना पड़ता है और जहां भी अवसर होता है, अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव की भावना को समझता हूं। यह बहुत लंबे समय से विभिन्न स्तरों पर अटका हुआ है। यहां तक कि मैं हमारे संसद सदस्यों के मुद्दे पर चर्चा करने में शर्मिंदा महसूस करता हूं। मैं चाहता हूँ कि यह मुद्दा इस सभा में चर्चा के लिए नहीं आया होता तो अच्छा होता क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे हम अपने लिए बहस कर रहे हैं और हम संसद में अपना मामला उठा रहे हैं। ऐसे में उसका प्रतिकूल प्रचार होगा। उसमें भी, दुर्भाग्य से, सरकारी बंगला सरकार का ही है। यदि आप एक एम.पी. नहीं हैं, तो आप बंगला रखने के लिए पात्र नहीं हैं। वहां भी, कुछ निचली अदालतों ने स्थगन दिया है। मेरे पास ब्यौरा है। मैं हैरान रह गया। मैंने अपने विभाग से कहा कि इसमें अदालत कैसे दखल दे सकती है। अदालत को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह सरकार की संपत्ति है। यह सांसदों के लिए है। जिस क्षण आप एक पूर्व-सांसद बन जाते हैं, तो आपको खाली करना होगा। यह बहुत सरल है। इसके लिए हमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। विभिन्न चरणों में, सात दिनों का नोटिस होता है, और फिर सात दिनों का नोटिस और फिर, पंद्रह दिनों का नोटिस और फिर, एक महीने का नोटिस। *कुल मिलाकर*, साठ दिनों का समय दिया गया था। मेरे अनुसार, साठ दिनों की अवधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करती है। एक टिप्पणी थी कि संपदा अधिकारी को भी एक और नोटिस देना चाहिए। यदि आप एक और नोटिस देते हैं और फिर एक और अवसर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आगे विलंब होगा । इन परियोजनाओं में जनता का पैसा शामिल है। उदाहरण के लिए, हम मेट्रो परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेट्रो आज की आवश्यकता है। इसने राष्ट्रीय राजधानी की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है जैसा कि राजीव रंजन ने कहा है कि श्रीधरन भारतीय मेट्रो के जनक हैं। हमें वास्तव में उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और अब भी जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसे सलाम करना चाहिए । अभी भी वह अलग-अलग सरकारों की मदद कर रहे हैं। वह कोच्चि मेट्रो का

मार्गदर्शन कर रहे हैं और वह आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। अन्य मेट्रो के लिए वह अपनी सलाह दे रहे हैं और हम भी उनकी बहुमूल्य सलाह पर चल रहे हैं।

लागत बढ़ जाती है और इसमें लगने वाला समय बढ़ जाता है। इसकी शुरुआत 80 करोड़ रूपए सें हुई। फिर यह लागत 100 करोड़ तक चली गयी, 120 करोड़ रूपए और अब यह 200 करोड़ रूपए होने जा रही है। यदि हम भूमिगत मेट्रो बनाते हैं, तो लागत और बढ़ जाएगी। इसके अलावा, यदि मुकदमों और इसी तरह की चीज़ों के कारण और विलंब होता है, तो इससे लागत में वृद्धि होगी । लागत बढ़ने का मतलब यह है कि - यह एक मंत्री या एक सरकार पर बोझ नहीं है - यह लोगों पर बोझ है। हमें करों के माध्यम से फिर से इसे लोगों से वापस एकत्र करना होगा, यह एक अलग बात है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से । इसलिए, इसे ध्यान में रखते हुए, इस विधेयक का सार ही जनहित और सार्वजनिक परिवहन है। दिल्ली मेट्रो के 310 किलोमीटर तक तेजी से विस्तार के हाल के अनुभव को देखते हुए, जो विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती है, अब हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से मांग उठ रही है। हमें इसे विभिन्न दिशाओं में विस्तारित करना होगा। श्री दीपेन्द्र जी भी इसके बारे में उल्लेख कर रहे थे। मेरे मित्र श्री सत्यपाल सिंह कह रहे थे कि इसे मेरठ तक जाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों से भी अनुरोध हैं। यदि हम व्यक्तिगत निजी परिवहन को जोड़ते रहेंगे, तो हमारे पास एक भयावह स्थिति होगी। हम पहले से ही एक भयावह स्थिति में है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे पास आज की आबादी का नवीनतम आंकड़ा नहीं है। हर दिन हरियाणा के मित्र, यू.पी. के मित्र, बिहार के मित्र, ओडिशा के मित्र और दक्षिण के क्षेत्र के मित्र राष्ट्रीय राजधानी में आ रहे हैं ताकि आजीविका को सुरक्षित कर सकें, ताकि बेहतर शैक्षिक अवसर प्राप्त कर सकें और इसी तरह अन्य लाभ ले सकें । इसमें हम उनमें दोष नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय राजधानी है। लेकिन क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं? भूमि उतनी ही है। इसलिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह है कि दिल्ली में लगभग 80 से 85 लाख वाहन हैं। क्या एक राजधानी शहर अपने वर्तमान आयाम के साथ इतने वाहनों को सहन कर सकता है? अक्सर भीड़-भाड़ होती है और थोड़ी सी अव्यवस्था से ट्रैफिक जाम हो जाएगा। कल रात भी, हम सभी

लुटियन दिल्ली में भी एक विवाह समारोह में जाने के लिए ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, जहां सड़कें तुलनात्मक रूप से चौड़ी हैं। यदि हम पुरानी दिल्ली और अन्य स्थानों पर जाएं, तो स्थिति बहुत भयावह है। हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से दिल्ली के प्रवेश पाइन्ट्स को और चौड़ा करना होगा। एक विचार सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना है। अब तक, सार्वजनिक परिवहन के लिए उपलब्ध चीजों में से एक है, मेट्रो। हम बी.आर.टी.एस. के बारे में भी सोच सकते हैं, हम मास रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में सोच सकते हैं। ये सभी पहलू हैं। लेकिन लोग आरामदायक मेट्रो यात्रा पसंद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है।

कुछ लोगों ने मुझे तुर्कमान गेट के बारे में याद दिलाया है। हमें तुर्कमान गेट याद है। यहां तुर्कमान गेट की पुनरावृत्ति का कोई सवाल ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की भावना और विभिन्न मामलों में अवलोकन भी, जैसा कि डॉ. किरिट सोमैया द्वारा 8 जून, 2002 परिपत्र के माध्यम से उजागर किया गया है, मैं निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखूंगा और फिर उधर जाने का प्रयास करूंगा।

यह पी.पी.ई. अधिनियम राज्यों की मेट्रो परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा क्योंकि कोई केंद्रीय हिस्सा नहीं है और उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों के पास समान सरकारी स्थान बेदखली अधिनियम है। अगर वे इसे और मजबूत करना चाहते हैं, वे राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्रों की देखभाल के लिए ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। निजी कंपनियों के संबंध में, वे इस पी.पी.ई. अधिनियम का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

दिल्ली में अतिक्रमण और अप्राधिकृत निर्माण के मुद्दे पर कई सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। हालांकि यह वर्तमान कानून से सीधे संबंधित नहीं है, फिर भी यह एक बड़ा खतरा है। मैं संसद में अपने सहयोगियों से भी परामर्श और बात करना चाहूंगा क्योंकि शहरी शासन तुलनात्मक रूप से वांछनीय स्थिति में नहीं है। हमें विशेष रूप से अप्राधिकृत निर्माण के संबंध में इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। जैसा कि

कुछ सदस्य सुझाव दे रहे थे, जब गरीब लोग झोंपड़ी लगाकर अतिक्रमण करते हैं तो हम उन्हें तुरंत हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा उन लोगों के संबंध में नहीं हो रहा है जो कानून का उल्लंघन करते हैं और ऊंची इमारतों का निर्माण करते हैं। बाद में, यदि कोई जनहित याचिका दायर करता है या कोई स्मार्ट अधिकारी आता है और सब कुछ ध्वस्त कर देता है, तो समाचार पत्र भी उस बात को उजागर करते हैं।

एक मंत्री के रूप में या एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यह संदेह है। आपके पास हर नगरपालिका वार्ड के लिए एक भवन निरीक्षक है, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो क्षेत्र पर्यवेक्षक हैं, और अन्य लोग हैं जो इन बातों का ध्यान रखते हैं । जब ये अप्राधिकृत निर्माण कार्य चल रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं? यह पूरे देश में एक बुनियादी मुद्दा है, एक नगरपालिका, इस सरकार या उस सरकार में नहीं। कोई भी नगरपालिका अध्यक्ष और कोई भी नगरपालिका मेयर अलोकप्रिय नहीं होना चाहता है। लोग भूल जाते हैं कि जो भी अच्छा काम होता है, लेकिन जो प्रभावित लोग होते हैं, वे उसे याद रखेंगे और कल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य से सिस्टम में यह आदत रही है। लोगों की याददाश्त वैसे तो कम होती है लेकिन प्रभावित लोगों की याददाश्त लंबी होती है।

मुझे याद है कि मेरे राज्य में विधानसभा के युवा सदस्य के रूप में, अशोक जी यहां हैं, मैंने जंगल काटने का मुद्दा उठाया था, जिससे संबंधित बड़ा घोटाला हुआ था। नहरें थीं और उन्होंने एक मामला बनाया कि नहरों में वृक्षों की वृद्धि, जिसे उन्होंने जंगल कहा, को काटना पड़ा, और उस पर करोड़ों रुपये खर्च किए। बाद में हमें एहसास हुआ कि नहरों में कोई पेड़ नहीं थे, और पेड़ नहर में भी बाधा नहीं डाल सकते हैं। यह मेरे राज्य में एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा बन गया।

मैं उन दिनों एक युवा था, जैसे आजकल के कुछ युवा, जो कभी-कभी बहुत आक्रामक हो जाते हैं। हालांकि वे अपने विचारों में प्रगतिशील हैं, वे अपनी अभिव्यक्ति और अन्य चीज़ों में आक्रामक हैं, और यह बहुत  स्वाभाविक चीज़ है। 28 या 29 वर्ष की उम्र में मैंने इस मुद्दे को बहुत आक्रामक रूप से उठाया। हालांकि

उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मंत्री एक ईमानदार मंत्री थे। मुझे लगता है कि यह जी.वी. सुधाकर राव थे। उन्होंने जांच के आदेश दिए। मेरा मामला ए.सी.बी. को भेजा गया और 70 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया था।

मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि जब भी वह किसी भी शादी में जाती है तो लोग कुड़कुड़ाते और कोसते हैं। '*हमारा नौकरी चला गया, हमारा परिवार का ऐसा हो गया',* मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि इस बारे में बात की जा रही थी। मैंने कहा, "चिंता मत करो। यह प्रशंसा है, आलोचना नहीं। हमारा नेल्लोर एक छोटा सा शहर है। इसलिए, जब भी आप सामाजिक कार्य में जाते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं।

मैं जो कहना चाहता हूँ, वह यह है कि अंत में न्यायालय ने कुछ लोगों को सेवा इत्यादि से हटा दिया था। अगले चुनाव में, लोग अच्छे काम को भूल गए थे और जो लोग उस फैसले से प्रभावित थे, उन्होंने अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके मेरे खिलाफ प्रभावी ढंग से अभियान चलाया। आज यही समस्या है।

एक शहरी विकास मंत्री के रूप में मेरे सामने दुविधा यह है कि बहुत सारी अप्राधिकृत चीजें हैं। गरीब लोग इसे प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रभावशाली लोग अपने पैसे और अपनी अन्य शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर अप्राधिकृत निर्माण कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं संसद के सभी सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। मैं देश भर के मेयर की बैठक भी बुलाना चाहता हूँ, इस विशेष पहलू सहित विभिन्न सुधारों पर भी चर्चा करना चाहता हूँ, और फिर यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि अप्राधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

जो लोग जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। कौन जवाबदेह है? आप एक मंत्री से सड़क पर घूमने और हर दिन यह देखने की उम्मीद नहीं कर सकते कि दरियागंज या कहीं और क्या हो रहा है। हर कस्बे और शहर में इसके लिए अधिकारी हैं। यह उनका कर्तव्य है। इस पर मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूँ और भविष्य में मेरी अवधि के दौरान मैं इस मुद्दे को यथासंभव हल करने का प्रयास करूंगा।

कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में इस भय के बारे में कि अधिनियम का दुरुपयोग किया जा सकता है, इस देश में जब भी दुरुपयोग की गुंजाइश होती है तो माननीय सदस्यों के पास इसका निवारण करने के लिए अन्य रास्ते उपलब्ध होते हैं। इसलिए, वे वहां पहुंच सकते हैं और फिर उन्हें उचित राहत भी मिलेगी।

मेरी मित्र, निम्मला क्रिष्टप्पा, ने तेलुगु में बात की। *आयना तेलुगुलो माटलाडेजु। चला संतोषम। आयनाकी नेनु अभिनंदनालू टेलुपुतुन्ननु।* चाहे कोई भी भाषा हो, मुद्दे एक ही हैं। अन्य दलों के मित्रों ने कहा कि सरकार के पास दीर्घकालिक दृष्टि, दृष्टिकोण होना चाहिए और फिर संशोधन लाने का प्रयास करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इस तरह की बातों का ध्यान रखा जाए।

आवासहीनों और छोटे दुकानदार जब भी विस्थापित होंगे तो उनके पुनर्वास के संबंध में भी उनका ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

माननीय सदस्य जिस स्थायी समिति की सिफारिशों का उल्लेख कर रहे थे, उसके संबंध में स्थायी समिति की लगभग सभी भावनाओं को विधेयक में शामिल किया गया है। जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय का संबंध है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 टिप्पणियों या सिफारिशों में से - जो भी आप उन्हें कहते हैं – की गई, 18 को स्वीकार कर लिया गया है।

तीसरे, कुछ लोगों को, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्रों ने उल्लेख किया कि यह कांग्रेस का एक विधेयक है। हां, यह कांग्रेस सरकार का विधेयक था। ... (*व्यवधान*) हां, यह कांग्रेस सरकार का विधेयक है। जो भी सरकार कुछ अच्छा लेकर आती है, केवल विरोध के लिए हमें उसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि यह विधेयक वर्ष 2010 में लाया गया था; इसे वर्ष 2011 में स्थायी समिति को भेजा गया था; समिति का प्रतिवेदन वर्ष 2012 में आया था; और फिर विधेयक को आगे

नहीं बढ़ाया जा सका। यह सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप विधेयक लाए थे और हमारे पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है। इसलिए, मैं आज इसे साकार करने के लिए लेकर आया हूँ।

यह भावना होनी चाहिए। हमें मिलकर काम करना चाहिए। आखिरकार, कानून इस पार्टी या उस पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। इसलिए इसे ध्यान में रखें। विभिन्न अन्य पहलू जो सुझाए गए हैं, मैंने आपको भी बताया है। रद्द करने के चरण इस तरह हैं। पहले, 7 दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए; उपस्थित होने का समय -7 दिन; आदेश पारित करने का समय -15 दिन; छुट्टी के लिए समय - अन्य 15 दिन; छुट्टी के लिए विस्तार - अन्य 15 दिन; कुल समय - 60 दिन। फिर मामला रद्द करने का आदेश जारी होने के बाद ही संपदा अधिकारी को भेजा जाता है। वह *स्वत: संज्ञान लेकर* कुछ भी नहीं कर सकता। वह उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों के रद्द होने के बाद ही कार्रवाई कर सकता है।

अस्पतालों या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं के बारे में उल्लिखित विशेष मामलों के संबंध में, पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा । रद्द करने का आदेश जारी करने से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में, मैं एक आश्वासन देता हूँ कि उन्हें पर्याप्त अवसर दिए बिना सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित स्थलों पर कार्रवाई करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । इसी के साथ, इससे पहले कि मैं सभा से इस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए अनुरोध करूँ, मैं सभी से अपील करता हूँ कि हमें जनहित को ध्यान में रखना चाहिए। यह व्यक्तिगत निहित स्वार्थों, जिनके लिए अब और तब *पैरवी* की जाती है, के बजाय हमारे दिमाग में सबसे ऊपर होना चाहिए । आम जनता कितनी बार पहुंच सकेगी और अन्य इच्छुक पार्टियां कितनी बार पहुंच सकेंगी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। मुझे इसे और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार निर्देशित होगी। जो भी सुझाव हैं, उसके बारे में मैं अधिकारियों से चर्चा करूंगा।

जहां भी आवश्यक हो, एहतियात और सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। नियम बनाने के दौरान उन्हें शामिल किया जाएगा।

इसके साथ, मैं एक बार फिर इस विधेयक के लिए सार्वभौमिक समर्थन के लिए पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं और फिर माननीय उपाध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे आगे बढ़ें और विधेयक को पारित कराएं।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।*

**माननीय उपाध्यक्ष :** मंत्री अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मुद्दे उठाने हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत सी कंपनियों ने कंपनियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए भवनों और भूमि को पट्टे पर लिया। पट्टे की अवधि समाप्त होने के दशकों बाद भी सरकार भूमि खाली करने को तैयार नहीं है। यहाँ जो नैतिक प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि सरकार का जनता को सार्वजनिक परिसरों से निकालने का नैतिक अधिकार क्या है? यह संपत्ति पर नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करता है।

दूसरे, सार्वजनिक परिसर में पूजा स्थल हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, स्थानीय लोगों से सलाह-मशविरा करके खाली कराने या ध्वस्तीकरण का काम किया जाना चाहिए।

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक सार्थक बहस, चर्चा और फिर इसके अंत में निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। देश भर में ऐसे कई मामले हैं जहां सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर लिया गया है और उन्हें पूजा स्थलों में बदल दिया गया है। केवल एक बात यह है कि इस देश में हमारे अलग-अलग धर्म और विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग हैं। आप उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। साथ ही, यदि वे सार्वजनिक जीवन में बाधा डाल रहे हैं, यदि वे बीच में या सड़क के पास मंदिर, मस्जिद, दरगाह या चर्च बनाकर सड़क या यातायात में बाधा डाल रहे हैं, तो यह कितना उचित है?

**अपराह्न 5.00 बजे**

लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। यह एक राजनीतिक दल या एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा है। मैं उनसे सहमत हूँ कि जब हम अंततः कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो हमें लोगों और समुदाय से परामर्श करने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीजों को करने में भी आपको इसे एक साथ करना चाहिए। अन्यथा, इस देश में, यदि आप 'x' समुदाय के किसी पूजा स्थल को छूते हैं, तो दूसरा कहेगा कि हम ऐसे और ऐसे समुदाय को निशाना बना रहे हैं और आप इसके, उसके और अन्य के खिलाफ हैं। हमें इसे ध्यान में रखना होगा।

देश में ऐसे शहर हैं जहां कुछ प्रभावी अधिकारियों ने विभिन्न समुदायों के नेताओं की बैठक बुलाकर कदम उठाए हैं; लंबी चर्चा के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी बाधाओं को पूरे सम्मान के साथ दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ भी संभव हो, उन्हें वैकल्पिक स्थल दिए जा सकते हैं। जब तक हम ऐसी कुछ सहमति हासिल नहीं कर पाते, यह नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता । इसे विभिन्न स्तरों पर किया जाना है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते; लेकिन मैं माननीय सदस्यों के सुझाव को ध्यान में रखता हूँ। … (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष:** जी नहीं। मैं अब अनुमति नहीं दे सकता। वह अवसर चला गया है।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

(अनुवाद)

**माननीय उपाध्यक्ष**: अब, सभा अनुपूरक कार्यसूची पर विचार करेगी - पुरःस्थापन हेतु विधेयक।

… (*व्यवधान*)

**श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम)**: महोदय, विधेयकों को पुर:स्थापित करने के संबंध में मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं। (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष**: किस नियम के अधीन? कृपया नियम उद्धृत करें।

… (*व्यवधान*)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के अधीन है जिसे लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 72 (2) के साथ पढ़ा जाता है।

किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने के संबंध में, यह नियम 72 (2) के अधीन सदस्य का अधिकार है। इसमें कहा गया है :

"किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करने के लिए नोटिस प्रात: 10 बजे से पहले महासचिव को संबोधित किया जाएगा।"

अतः, इस सभा के प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार और विशेषाधिकार है कि वे सभा के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराएं ताकि वे विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय आपत्तियां उठा सकें।

इस मामले में, मेरा व्यवस्था का प्रश्न मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने के संबंध में है। कोई नोटिस नहीं दिया गया है; यह कार्यसूची में नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस पर बी.ए.सी. में चर्चा नहीं हुई है। बिना जानकारी के और बिना पूर्व सूचना दिए सरकार इस तरह के विधेयक को सभा में कैसे थोप सकती है? विधेयक को पुरःस्थापित करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करने का मेरे अधिकार की बात नहीं है। मुझे संवैधानिक वैधता के साथ-साथ पेश किए जाने वाले विधेयक की कानूनी क्षमता पर आपत्ति दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। यह नियम 72 (2) के तहत नियम 376 के साथ पठित मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। … (*व्यवधान*)

**श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा)**: सरकार द्वारा इस पद्धति को जारी रखा जा रहा है। … (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष**: वह बोल रहे हैं; उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

**श्री के. सी. वेणुगोपाल** : पिछले गुरुवार को कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई थीऔर इसकी रिपोर्ट पहले ही सभा के समक्ष  रखी जा चुकी है। उसके बाद, सरकार कार्य मंत्रणा समिति. में चर्चा के बिना एक और विधेयक ला रही है, विशेष रूप से मोटर वाहन विधेयक, जैसा कि श्री प्रेमचंद्रन द्वारा इंगित किया गया था। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार यह परिपाटी नहीं रही है। इसलिए, मैं आपकी ओर से एक व्यवस्था का अनुरोध कर रहा

हूँ कि सरकार को कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को दरकिनार करने और इन विधेयकों को लाने से रोका जाए। ... (*व्यवधान*)

**डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल)**: महोदय, माननीय मंत्री जी की उत्सुकता की सराहना करते हुए, इस सभा के पास यह विशेषाधिकार है। इस तरह के विधेयक को जल्दबाजी में पुरःस्थापित किए जाने से उस विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। विधेयकों को संबंधित स्थायी समितियों को न भेज करके सभा की पूरी कार्यवाही को हाईजैक करने की एक प्रथा बन गई है। हमारे पास 24 स्थायी समितियाँ हैं और अधिकांश के सभापति सत्ताधारी दल के हैं। हम सभी स्थायी समिति के सदस्य हैं और हमें स्थायी समितियों में काम करना होता है। हमारे कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है। इसलिए, मैं सभा में श्री प्रेमचंद्रन जी द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं। ... (*व्यवधान*)

**प्रो. सौगत राय (दमदम)**: मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमने सभा में पहले भी इसका उल्लेख किया है कि किसी विधेयक के पुरःस्थापित होने या विचारार्थ लिए जाने से पहले सदस्यों को उचित सूचना दी जानी चाहिए।

अब जब हमने सभा में आने से पहले संशोधित कार्यसूची देखी, तो मोटर वाहन विधेयक का कोई उल्लेख नहीं था। सरकारी स्थान संबंधी विधेयक और नियम 193 के अधीन चर्चा सूचीबद्ध थी। हमने सभा में रखे जाने वाले प्रस्तावों को देखा था।

अब जैसा कि श्री प्रेमचंद्रन ने ठीक ही बताया है, जब कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जाना होता है, तो सदस्य को 72(1) के तहत प्रस्ताव का विरोध करने का अधिकार है। सदस्य को विरोध पर मत विभाजन की मांग करने का भी अधिकार है। अब इस अवसर पर विधेयक पुरःस्थापित करके, 10 बजे से पहले नोटिस देने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। इस मुद्दे पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंत्री जी को विधेयक को स्थगित करने और कार्य सूची में शामिल करने के बाद इसे कल रखने के लिए कहें।

[हिन्दी]

**श्री भगवंत मान (संगरूर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। हमें प्रिपेयर होने का समय नहीं मिलता। बिल जल्दबाजी में आते हैं, पहले एचआरडी मंत्री जी बिल लेकर आए थे।...(व्यवधान) मैं बिल का स्वागत करता हूं, बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैंने मेज थपथपाई है।...(व्यवधान) बिल बहुत अच्छा है, लेकिन हमें बोलने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, कम से कम आप हमारे राइट्स की रक्षा कीजिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यगण द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करता हूँ, लेकिन हमें इस सीमा तक नहीं बोलना चाहिए जिससे यह लगे कि हम सदन के कार्य को हाइजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि कौन हाइजैक कर रहा है। मेरा सम्मानजनक निवेदन यह है कि यह मोटर यान अधिनियम से संबंधित नियमित विधेयक नहीं है। यह केवल ई-रिक्शा के बारे में है जो एक ऐसी सुविधा है जो लोगों के व्यापक हित में है। (*व्यवधान*) [हिन्दी] मान जी, बाकी लोगों को भी थोड़ा मानिए। प्लीज़, आप बैठिए।...(व्यवधान) मेरा इतना ही कहना है कि, [अनुवाद] अपने सामूहिक विवेक से सभा मंत्री जी को अनुमति दे सकता है। अध्यक्ष महोदया अपने विवेक से मंत्री को अनुमति दे सकती हैं ... (*व्यवधान*) यदि हम कुछ अपराध कर रहे हैं, तो बात अलग है। लेकिन हम लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। आप इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। हमें आज इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे आज पुर:स्थापित करने की अनुमति दें और बाद में चर्चा करें।

[हिन्दी]

**श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** संसद में माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है। पिछले सत्र में भी हमने इस सवाल को उठाया था कि माननीय सदस्यों को पहले जानकारी नहीं दी जाती कि कौन सा बिल आने वाला है। यह डिसकस नहीं होता। यह परम्परा के रूप में बन गया है। संसदीय लोकतंत्र में यह अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा)**: महोदय, पिछली बार भी मैंने इसे उठाया था और श्री वैंकैय्या नायडू भी यहाँ मौजूद हैं। वह एक अनुपूरक कार्यसूची लेकर आए थे। उस समय भी हमने इसका विरोध किया था। 15 दिनों के भीतर, यह चौथी बार है जब ऐसी बात हो रही है। इसलिए, यह अच्छा नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें कानून के अनुसार और नियमों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन आप स्वयं ही सदन के नियमों या परंपराओं या पूर्वोदहरणों या जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए, आप इसे स्थगित करें और हम इसे कार्य मंत्रणा समिति में उठाएं। हम उस पर वापस आएंगे। दो-तीन दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है।

[हिन्दी]

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवन मंत्री (श्री नितिन गडकरी) :** उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल केवल ई-रिक्शा और ई-कार्ट से संबंधित है। [अनुवाद] यह अदालत के निर्णय के कारण है, [हिन्दी] करीब दो लाख लोग बेरोजगार हैं, वे काम नहीं कर पा रहे हैं। , इसलिए मैंने स्पीकर महोदया को रिक्वैस्ट की थी। अगर यह क्लीयर हो जाएगा तो...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष**: अनुपूरक कार्यसूची सभा में लगभग अपराह्न 3 बजे अग्रिम रूप से परिचालित की गई थी, माननीय अध्यक्ष ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध पर कार्य की अनुपूरक सूची जारी करने की अनुमति दी है। पूर्व में भी अनुपूरक कार्यसूची जारी की जा चुकी है। ऐसे मामले में इसका विरोध करने वाले नोटिसों को सदस्यों द्वारा अभी सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। कोई समस्या नहीं है। सदस्य नोटिस दे सकते हैं। आवंटित किए जाने वाले समय के संबंध में, इस पर बी.ए.सी. में चर्चा की जाएगी। जहां तक विधेयक पुरःस्थापित करने का संबंध है, इसकी अनुमति दी जाए।

… (*व्यवधान*)

**श्री के. सी. वेणुगोपाल** : महोदय, क्या यही प्रथा है? … (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष**: माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दी, और इसलिए, मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

… (*व्यवधान*)

———————

**अपराह्न 5.10 बजे**

## दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014[13*]

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अधिनियम, 2011 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरे अधिनियम, 2011 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री एम. वैंकैय्या नायडू:** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

[13*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 15.12.2014 में प्रकाशित।

**अपराह्न 5.11 बजे**

## मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014[14*]

[अनुवाद]

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है:

> "कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्यगण, मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है।

**श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** क्या यह एक प्रथा बन गई है? 15 दिनों की अवधि के भीतर सरकार चार अनुपूरक कार्यसूची लाई है... (*व्यवधान*)

**श्री नितिन गडकरी**: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

[14*] भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 15.12.2014 में प्रकाशित।

**अपराह्न 5.12 बजे**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कथित रूप से निष्प्रभावी बनाए जाने के बारे में ...जारी**

**माननीय उपाध्यक्ष**: सभा अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कथित रूप से निष्प्रभावी बनाए जाने के बारे में और चर्चा करेगी।

… (*व्यवधान*)

**माननीय उपाध्यक्ष**: श्री एलुमलाई।

**श्री वी. एलुमलाई (अरानी)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस चर्चा पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मनरेगा लोगों को सम्मान के साथ जीने का उनका मौलिक अधिकार देता है।

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

… (*व्यवधान*)

**श्री वी. एलुमलाई** : मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि कार्यस्थलों की संख्या बढ़ाकर 200 की जाए तथा न्यूनतम 100 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए। मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये किया जाना चाहिए। इस योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता का प्रभावी स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को इसे सफल बनाने के लिए इस दिशा में हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि ग्रामीण गरीबों को उनके कार्य करने का मौलिक अधिकार मिल सके।

धन्यवाद।

**श्री अभिषेक बनर्जी (डायमंड हार्बर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां एक ऐसे मुद्दे पर अपना पहला भाषण देने के लिए खड़ा हुआ हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इस देश के शहीदों और बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने भारत, हमारी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं इस सम्मानित सदन में मुझे चुनने के लिए पश्चिम बंगाल के *मां, माटी, मानुष* को धन्यवाद देता हूं। मैं पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जैसे युवा व्यक्ति को डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैं इस प्रतिष्ठित सभा में अपने सभी सम्मानित सहयोगियों को *सलाम* और *प्रणाम* करता हूं और उनका सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन चाहता हूं।

महोदय, आज मैं मनरेगा पर बोलूंगा। इसका क्या मतलब है? एन.आर.ई.जी.ए. का मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है और यहाँ एम.जी. महान महात्मा गांधी को संदर्भित करता है। यह योजना भारत की ग्रामीण आबादी और इस देश के ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का काम सुनिश्चित करती है और राष्ट्रपिता को समर्पित है।

20 वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी ने "भारत की आत्मा गांवों में रहती है", की घोषणा की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 69 प्रतिशत भारतीय छह लाख चालीस हजार से अधिक विभिन्न गांवों

में रहते हैं। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। यहां तक कि आधी रात के समय जब भारत ने 14 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, जब भारत स्वतंत्रता के लिए जागा, तो गांधीजी सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ नोआखली उपवास पर थे।

महात्मा गांधी साम्प्रदायिक सौहार्द के पक्ष में थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पक्ष में खड़े थे। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास के पक्षधर थे। महात्मा गांधी शांति के लिए खड़े थे। महात्मा गांधी धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थे। महात्मा गांधी सत्य के पक्ष में खड़े थे। महात्मा गांधी सादगी के लिए खड़े थे। महात्मा गांधी महिला सशक्तिकरण के पक्ष में थे। महात्मा गांधी समानता और एकता के पक्ष में थे। यह महात्मा गांधी का युग था।

दु:ख की बात है कि अब समय बदल गया है और हम व्यक्ति के रूप में एक क्रूर और विभाजनकारी एमजी के समय में जी रहे हैं। हम एक एमजी के समय में रह रहे हैं जो वादे तो करती है और उन्हें पूरा नहीं करती, एक एमजी जो विज्ञापन अभियानों पर अरबों डॉलर खर्च करती है, एक एमजी जो छह महीने में आठ विदेशी यात्राओं पर जाती है, एक एमजी जो कल्याण से पहले अपनी अलमारी रखती है, एक एमजी जो साठगांठ वाले पूंजीवाद का समर्थन करती है। यह एमजी मोदी सरकार है। इस सरकार ने महान महात्मा गांधी के चश्मे के रिम्स को अपने एक अभियान का लोगो बनाकर इस्तेमाल किया है, लेकिन यह दु:ख की बात है और दुर्भाग्य से, यह सरकार हमारे राष्ट्रपिता द्वारा समर्थित मूल्यों और आदर्शों पर खरा नहीं उतर पाई है।

महोदय, मनरेगा को शुरू में सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से 200 जिलों में लागू किया गया था और तत्पश्चात 476 अन्य जिलों में लागू किया गया था। मैं सरकार से सभा पटल पर यह बयान देने के लिए कहता हूँ कि वह उस परिपत्र को वापस ले लेगी जिसका उद्देश्य मनरेगा के तहत जिलों की संख्या को 676 से कम करके 200 तक करना है जिसमें आंशिक अंतर है।

इसको निष्प्रभावी बनाने से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश बुरी तरह प्रभावित होंगे। इन राज्यों में बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी है और राजस्थान के विशाल क्षेत्र भी प्रभावित होने वाले हैं। सरकार

इस योजना को केवल 2500 ब्लॉकों तक ही सीमित क्यों कर रही है? मैं इसे इस सभा के सदस्य के रूप में जानना चाहता हूं। अन्य ब्लॉकों में लोगों की आजीविका का क्या होगा?

मैं आपको बंगाल की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कुछ तथ्य और आंकड़े देता हूं। वर्ष 2012-13 में, पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे बेहतर था जहां 20 करोड़ मानव दिवस का कार्य प्रदान किया गया था जो राष्ट्रीय औसत से 109 प्रतिशत अधिक है और वर्ष 2013-14 में, राज्य ने फिर से लक्ष्य से अधिक कार्य दिया, भले ही बाद में आवंटन कम कर दिया गया था।

महोदय, 100 दिनों की कार्य योजना में बंगाल पहले स्थान पर है; कौशल विकास में बंगाल पहले स्थान पर है; बिजली क्षेत्र में बंगाल पहले स्थान पर है; एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में बंगाल पहले स्थान पर है; महिला सशक्तिकरण में बंगाल पहले स्थान पर है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई हमारी कन्याश्री योजना को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है, बंगाल संस्कृति में पहले स्थान पर है। हमारी झांकियों को पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार मिला था।

यह सब राज्य सरकार द्वारा ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज बोझ के रूप में केंद्र को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने के बावजूद हासिल किया गया था। यह वाम मोर्चा सरकार के 34 वर्षों के शासन की एक विरासत थी जिसने पूरे राज्य को कर्ज में डूबा कर रख दिया है।

यह इस तथ्य के बावजूद हासिल किया गया था कि राज्य को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं मिले हैं। यह इस तथ्य के बावजूद हासिल किया गया कि राज्य पर अभी भी एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. योजना के तहत 100 दिनों के काम के हिस्से के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।

इस संदर्भ में, मेरा यह भी कहना है कि केंद्र द्वारा संबंधित राज्यों को आवंटित निधियां, बिना किसी झिझक के सही समय पर राज्यों तक पहुंचना चाहिए। मेरी समझ से केंद्र द्वारा आवंटित धनराशि कुछ राज्यों तक समय पर पहुंच जाती है और उन्हें अन्य वित्तीय सहायताएं और सेवाएं भी समय पर मिल जाती हैं, लेकिन अन्य राज्यों को नुकसान उठाना पड़ता है। इससे सबसे गरीब लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होती है।

केंद्र द्वारा इस घृणित भेदभाव और वित्तीय अभाव के बावजूद, पश्चिम बंगाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब, मनरेगा योजना को कमजोर करने के केंद्र के फैसले के कारण करोड़ों लोग अपनी आजीविका खो देंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, 10 करोड़ से अधिक परिवारों ने मनरेगा योजना के तहत काम के लिए आवेदन किया है। तथापि, लगभग आठ करोड़ परिवारों को ही काम दिया गया है, जिससे तीन करोड़ से अधिक परिवार बेरोजगार और बिना काम के रह गए हैं। पिछले आठ वर्षों के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार श्रमिकों को 1,80,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। पिछले छह महीनों का आंकड़ा क्या है? मैं इस नई सरकार से यह जानना चाहता हूं। आवंटित निधियों को जानबूझकर क्यों घटाया जा रहा है? मैं केन्द्र सरकार, एन.डी.ए. सरकार से यह जानना चाहता हूं। नई सरकार ने मजदूरों को मजदूरी के तौर पर कितना पैसा दिया है?

हमें इस योजना से 'गारंटी' शब्द को हटा देना चाहिए क्योंकि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद मजदूरों को एक भी दिन का वेतन नहीं दिया गया था। वादा किया जाता है, लेकिन पूरा नहीं किया जाता है। मनरेगा के लिए बजट का प्रावधान वर्ष 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपये था। इस वर्ष यह 34,000 करोड़ रुपये है। यदि हम मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हैं, तो आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। क्या

सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है  क्या वे एक अखंड भारत के लिए देश के गरीबों और वंचितों के लिए काम करना चाहते हैं,? या वे केवल कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हितों की सेवा करने के लिए यहां हैं?

मेरे सहयोगी श्री शंकर प्रसाद दत्त ने इस चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल को 75 प्रतिशत निधियां प्राप्त हुई हैं । मैं उनसे और उनकी पार्टी के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे बोलने से पहले अपनी जानकारी सही कर लें । वर्ष 2013-14 में, पश्चिम बंगाल को 2,214 करोड़ रुपये और इस वर्ष पश्चिम बंगाल को अभी 1,072 करोड़ रुपये मिले जो पचास प्रतिशत भी नहीं है। फिर भी हम नंबर एक हैं।

उस दिन श्री हुक्मदेव नारायण यादव बोले। [हिन्दी] हुक्मदेव नारायण जी ने कहा कि यह देवता का रूप थोड़े न है, देवी का रूप थोड़े न है जो बदला नहीं जा सकता है। मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, कद्र करता हूं लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सबने रामायण पढ़ी है। हम सब धर्मों की इज्ज़त करते हैं। रामायण में रावण ऋषि-मुनि, संत के रूप में सीता जी के पास भीख मांगने गए थे, वह सीता जी की सेवा नहीं करने गए थे बल्कि उनका अपहरण करके लंका लेकर गए थे। उसी तरह यह सरकार इसका रूप बदलकर आम आदमी का भला नहीं कर रही है बल्कि पेट पर लात मार रही है।

[अनुवाद] एक ओर सरकार मनरेगा योजना के लिए आवंटन में कटौती कर रही है, जिससे इस देश के गरीबों और दलितों को लाभ होता है । दूसरी ओर, हम क्या देखते हैं? भारतीय स्टेट बैंक करदाताओं का पैसा क्रोनी पूंजीपतियों को ऋण के रूप में दे रहा है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक ने एक कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान के लिए 6,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है, जिसे पांच बहु-राष्ट्रीय बैंकों ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। यह साबित करता है कि हम किस समय में रह रहे हैं।

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ - श्रम से सामग्री अनुपात में प्रस्तावित परिवर्तन। सरकार सामग्री से श्रम अनुपात को 60:40 से घटाकर 51:49 करने का प्रस्ताव कर रही है। यह परिवर्तन उत्पादकता बढ़ाए बिना योजना के रोजगार उद्देश्य को कमजोर करेगा। इस कदम के हानिकारक प्रभाव होंगे और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके बजाय, महोदय, हमारा सुझाव है कि सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए और ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना को लागू करने में विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए क्योंकि भारत के लोगों के अनुसार, हमारे लोकतंत्र के अनुसार, हर सरकार को लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों द्वारा सरकार होनी चाहिए।

महोदय, मैं एक आदिवासी बहुल जिले का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा जहां मनरेगा योजना विफल रही है। यह गुजरात का अरावली जिला है जहां से देश के प्रधानमंत्री संबंधित हैं। मेरा इस सरकार से एक सीधा सवाल है जैसा कि मैंने पहले पूछा था: क्या वे यहां गरीबों के कल्याण, किसानों के कल्याण, दलितों के कल्याण, भारत के देशवासियों के कल्याण के लिए काम करने आए हैं या वे यहां चुने हुए कुछ लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं?

महोदय, *अच्छे दिन* के भ्रामक और झूठे वादों के छह महीने बाद, 28 प्रख्यात अर्थशास्त्रियों द्वारा देश के प्रधानमंत्री को प्रस्तावित क्रमपरिवर्तन और कमजोर होने पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखे जाने के बाद, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह एक आत्ममुग्ध अत्याचारी सरकार के कानों पर पड़ रहा है जो हृदयहीन, कर्महीन और दृष्टिहीन है। मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हूँ जो इस देश में लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जो भारत देश में लोकतंत्र का मंदिर, चर्च, मस्जिद है, 2014 की सर्दियों में इस प्रतिष्ठित लोक सभा में नरेगा के संक्षिप्त नाम के नए अर्थ के साथ। निस्संदेह, नरेगा का अब मतलब है जन-विरोधी घृणित क्रूर प्रयास। धन्यवाद।

**श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर)**: महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

हमें मनरेगा के कमजोर होने की रिपोर्ट मिली है। ऐसी अफवाहें हैं कि राज्यों में एक परिपत्र चला गया है जो इस योजना को 200 जिलों तक सीमित करने और श्रम-सामग्री अनुपात को बदलने का प्रयास कर रहा है। मैंने मंत्री द्वारा दिए गए बयानों के बारे में कुछ खबरें देखी हैं, जहां उन्होंने इसका खंडन करने का दावा किया है। नियम 193 के अधीन चर्चा का उत्तर देते समय मंत्री की स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, मैं बी.जे.पी. के उस मूड के बारे में बात करता हूं जो मैंने देखा है।

हमारे युवा मित्र ने अभी श्री हुक्मदेव नारायण यादव की टिप्पणियों के साथ-साथ कुछ अन्य माननीय सदस्यों की टिप्पणियों के बारे में भी बात की जो एन.डी.ए. के साथ हैं। टिप्पणियां यह कहते हुए नरेगा की आलोचना करती हैं कि नरेगा में भ्रष्टाचार मौजूद है। श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने यह भी कहा कि कृषि श्रम की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये सभी बातें सत्य होते हुए भी, हम योजना को केवल इस वजह से समाप्त नहीं कर सकते कि योजना में भ्रष्टाचार है, तो हमें भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए या योजना को रोक देना चाहिए?

जब 2जी और 3जी में भ्रष्टाचार मिला था तो फोन पर प्रतिबंध लगाया गया था या फिर भ्रष्टाचार को दूर किया गया था? कोयले में भ्रष्टाचार था। क्या कोयला खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? क्या प्रक्रिया में सुधार किया गया था ? इसी तरह, यदि कृषि मजदूरी में वृद्धि होती है, तो यह अच्छी बात है या बुरी? माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं *जन धन योजना* के बारे में एक बयान दिया जिसमें कहा गया था कि वित्तीय क्षेत्र में कई लोगों को शामिल किया गया है। अब उनका कहना है कि यदि कृषि मजदूरी में वृद्धि होती है, तो कहीं न कहीं कुछ बुरा होगा। यदि कृषि क्षेत्र को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो ऐसा कृषि मजदूरी में वृद्धि के कारण नहीं है।

यह क्षेत्र भारत सरकार की लगातार खराब और दोषपूर्ण नीतियों के कारण परेशानियों का सामना कर रहा  है। कृषि की समस्या बहुत अलग है। हम सभी जानते हैं कि वे सभी छोटी जोत हैं; उनकी वित्त तक पहुंच नहीं है; उनकी बाजारों तक पहुंच नहीं है; उन्हें उचित जानकारी नहीं है। उन समस्याओं का समाधान करें। मनरेगा को कमजोर करके गरीब खेतिहर मजदूर को वंचित न करें, जिसके पास कमाने खाने  का कोई अन्य विकल्प नहीं है।।

पिछली सरकार ने जो अच्छी चीजें की थीं, उनमें से एक था उनका अधिकार-आधारित दृष्टिकोण रखना। पहले की सरकारें *माई-बाप की सरकारें रही हैं।* यदि आप सरकार से कुछ चाहते हैं, तो आपको या तो एम.पी., या विधायक, या कलेक्टर के पैरों को छूना होगा। यह संरक्षण की राजनीति है। पिछली सरकार ने जो अच्छे कार्य किए उनमें से कई गारंटी योजनाओं जैसे खाद्य गारंटी, रोजगार गारंटी को लागू करना था। यह अधिकार-आधारित दृष्टिकोण है। लोगों को 100 दिनों के काम की मांग करने का अधिकार है और सरकार का काम इसे प्रदान करना है अथवा उन्हें पैसा देना है। उस दृष्टि से यह इस सरकार के  सरकार या किसी भी सरकार के कार्यनिष्पादन को उजागर करता है। यदि सरकार काम नहीं करती है, तो वे आर्थिक रूप से बोझ बन जाती है, और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वह राजनीतिक रूप से भी बोझ बन जाए।। इसलिए, यदि आप उन्हें 200 जिलों तक सीमित करने जा रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि जहां कम गरीब लोग हैं, तो मांग कम होगी लेकिन फिर भी उन गरीब लोगों को अधिकार है। इस अधिकार आधारित दृष्टिकोण को छीना नहीं जाना चाहिए।

मैंने देखा है कि नई सरकार के आने के बाद माई-बाप सरकार की पुनरावृत्ति हो रही है। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि मंत्रियों और मंत्रिमंडल में कुछ लोग होंगे जो यह मानते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र बन गया है और राजनीतिक संरक्षण की नीति अपनाने के बजाय उस विकास का उद्देश्य देश के लोगों, इस राष्ट्र के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करना होना चाहिए।

कई फायदे हैं जो इस योजना से मिले हैं। इसने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि की है, विशेष रूप से महिलाओं की क्योंकि महिलाएं सीधे काम करती हैं और अपने बैंक खातों में पैसा प्राप्त करती हैं; यह उनके पतियों या परिवार के पुरुष सदस्यों के बैंक खातों में नहीं जाती है। हुक्मदेव *जी* यह कह रहे थे कि यह कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्हें पता होना चाहिए, मंत्रीजी को यह बताना चाहिए कि लगभग 80 प्रतिशत कार्य कृषि उद्देश्यों यथा प्राकृतिक संसाधनों का पुनरूद्धार, मिट्टी की उर्वरा शक्ति पुन: तैयार करने और छोटे-छोटे कृषि तालाब आदि उपलब्ध कराने से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश में मनरेगा के कार्यनिष्पादन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया था। इस विशेष अध्ययन से पता चला है कि घरेलू आय और कृषि मजदूरी में वृद्धि हुई है, संकट प्रवास में कमी आई है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र, के.बी.के. क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, 70 प्रतिशत कार्य गैर-कृषि मौसम में होता है। कृषि मौसम में केवल 30 प्रतिशत होता है। इस प्रकार, वास्तव में इसने क्या किया है, इसने गरीब किसानों, गरीब मजदूरों को और 100 दिन का काम पाने का विकल्प दिया है। जी हां, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी को बढ़ाया है, जो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। माननीय शहरी विकास मंत्री सिर्फ यह बता रहे थे कि दिल्ली और अन्य राज्यों में शहरीकरण का बहुत दबाव था। यदि हम मनरेगा को हटाते हैं, तो दबाव बढ़ेगा या कम होगा? क्या और लोग दिल्ली में नौकरी की तलाश में आएंगे? क्या हमें उन्हें उनके ही गाँवों में नौकरी नहीं देनी चाहिए जैसा हम कर रहे थे?

माननीय वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले एक बयान में बजट चर्चा के उत्तर में मनरेगा पर कुछ बहुत विस्तृत टिप्पणियां की थी। जाहिर है, उन्होंने मनरेगा को कमजोर करने के प्रस्ताव की आलोचना झेलनी पड़ी है। उनका कहना है कि उन्होंने लगभग रु.25,000 करोड़ जारी किए हैं। बजट में, यह लगभग रु.34,000 करोड़ था। मेरे मित्र ने बहुत सही कहा कि सात या आठ प्रतिशत मुद्रास्फीति के साथ; बजट रु.32,000 या रु.32,500 करोड़ हो जाता है । यह वास्तव में एक कमी है। मैं वित्त मंत्री की समस्या को समझ सकता हूं। वह

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना चाहते हैं जो अच्छी बात है। लेकिन मनरेगा को कम करना इसका समाधान नहीं है। मनरेगा पूरे जी.डी.पी. का केवल 0.3 प्रतिशत है।

मेरे पास जानकारी है कि किए जा रहे अध्ययन से यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी या गैर-योग्यता सब्सिडी के रूप में नौ प्रतिशत से अधिक दिया जाता है। इसका मतलब है कि यह अमीरों के पास जाता है जो बर्बाद हो जाता है और यह उन लोगों के पास जाता है जो इसके पात्र नहीं हैं। आपको उन्हें बाहर निकालना चाहिए। आपको ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देने वाली वास्तविक योजना में कटौती क्योंकर करनी चाहिए?

वित्त मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने 25,000 करोड़ रुपये दिए हैं। मेरी जानकारी यह है कि 30 सितंबर, 2014 तक, वित्त वर्ष की पहली छह महीने की अवधि तक, केवल 13,000 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए थे । हालांकि, मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह गलत हैं । हो सकता है कि उन्होंने इसके अलावा कुछ राज्यों को कुछ और पैसे जारी किए हों। पिछले वर्ष, इसी अवधि में पिछली सरकार द्वारा 24,000 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। अब इस सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। आइए मान लें कि इसके बाद भी वह कुछ पैसे भेजेंगे ।

मैं ओडिशा सरकार से प्राप्त जानकारी में से आपको उद्धृत करना चाहता हूं जिसने ओडिशा में मनरेगा के लिए कुल बजट के रूप में 1,834.36 करोड़ रुपये की मांग की है। हालांकि, उन्हें अभी तक सिर्फ 1,035.30 करोड़ रुपये ही मिले हैं। समस्या यह है कि जब अलग-अलग आवंटन में पैसा कम आता है, तो आवंटन के बावजूद काम नहीं हो पाता है। यह मांग आधारित योजना है। इसके चारों ओर बहुत सारे आडंबर हैं, आपको योजना के लिए आवेदन करने के लिए मजदूरों की उपलब्धता रखनी होगी, आपको उनकी एक सूची बनानी होगी और एक उचित प्रक्रिया है जिसका पालन प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले दो महीनों के लिए वे कुछ पैसे देंगे और वे इसे अगले चार

महीनों के लिए रोक देते हैं। काम हुआ है और मजदूर वहां पैसे के लिए चिल्ला रहे हैं। काम रुक जाता है। ओडिशा में, अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं है, मैं दोहराता हूं, एस.ई.जी.एफ. और ई.एफ.एम.एस. खातों में 15 अक्तूबर, 2014 से कोई पैसा नहीं है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में मात्र 81 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

सरकार मनरेगा में खर्च में कटौती के लिए बजट में संशोधन नहीं कर रही होगी। लेकिन, वास्तव में, आप समय पर पैसा जारी न करके पूरी योजना को कमजोर कर रहे हैं। यह एक ही बात है। जबकि कागज पर आप कह रहे हैं कि आप 34,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं, लेकिन सही ढंग से पैसा नहीं देकर, समय पर पैसा नहीं देकर, आप वास्तव में, मनरेगा पर वास्तविक व्यय को कम कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपको काम करने के लिए मजदूरों के लिए 100 दिनों की आवश्यकता है और आपको परियोजनाओं की पूरी सूची तैयार करने के लिए समय की आवश्यकता है। वह इसलिए नहीं हो पाएगा कि केन्द्र सरकार के द्वारा समय पर पैसा जारी नहीं किया जाता है। अंत में, भारत सरकार कहेगी कि वे पैसा देने को तैयार थे। हालांकि, यदि समय पर धन जारी नहीं किया जाता है, तो अधिकांश राज्य धन खर्च नहीं कर पाएंगे। मनरेगा के साथ कई समस्याएं हैं। मेरे कुछ मित्र कह सकते हैं कि वे राजनीतिक मुद्दे हैं। वे कह सकते हैं कि ओडिशा को पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि बी.जे.डी. केंद्र सरकार के विरोध में है। लेकिन मेरे पास, मेरे साथ, बिहार की सरकार द्वारा लिखे गए पत्र हैं जो कभी उनके सहयोगी थे। मेरे पास छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिखा गया एक पत्र है जिसमें एक बी.जे.पी. मुख्यमंत्री हैं और यहां तक कि वह कहते हैं कि उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार मनरेगा पर खर्च में कटौती क्यों करना चाहती है। … (व्यवधान), [हिन्दी] शायद आपके पास पैसा न हो, शायद आपके पास इच्छा न हो।

[अनुवाद] मांग वहीं है। तथापि, हम पाते हैं कि भारत के गरीबों और वंचितों की मांगों को पूरा करने में एन.डी.ए. सरकार के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। वे अन्य देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि बड़ी रकम के निवेश आएं, बुनियादी ढांचा आए

और बड़ा व्यवसाय बढ़े। लेकिन तथ्य यह है कि इस देश में गरीब लोग हैं और उनके लिए मनरेगा भगवान की तरह है। [हिन्दी] हुक्मदेव जी बोल रहे थे कि यह भगवान है या क्या है, लेकिन जिसको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसके लिए तो यह स्कीम भगवान ही है। उनके भगवान को आप उनसे छीनने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गुज़ारिश करूंगा कि मंत्री जी, [अनुवाद] न केवल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, बल्कि यह भी कि वह सामग्री और घटक अनुपात, श्रम अनुपात को नहीं बदलेंगे और वह आज हमें बताएंगे कि वह भारत में विभिन्न राज्यों की मांगों को पूरा करने के लिए समय पर और समयबद्ध भुगतान और पर्याप्त भुगतान देंगे। धन्यवाद।

**श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर)**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था, तो मैं भी बहुत खुश था, बहुत उत्साहित था कि इस तरह का अधिनियम एक कानून बन रहा है। लेकिन पिछले कई वर्षों के अनुभव को देखने के बाद, निश्चित रूप से इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, और इस चरण में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है ताकि उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकना सुनिश्चित किया जा सके जिन्हें प्राप्त करना निर्धारित किया गया था।

निश्चित रूप से, कुछ सकारात्मक बातें हैं। हमारे कई सदस्यों ने इस बारे में बात की है कि यह श्रमिक वर्ग को उनकी मजदूरी में सुधार करने के लिए किस प्रकार सशक्त बनाता है। यह ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है। इससे पलायन भी कम होता है। लेकिन कुछ विशिष्ट नकारात्मक बाते हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि इस अधिनियम पर विचार करते समय इस अधिनियम को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसके प्रतिपादन में सुधार कैसे किया जाए।

पहली बात जिसके बारे में काफी बात की गई है, वह यह है कि यह कोई टिकाऊ संपत्ति का सृजन करने वाला नहीं प्रतीत होता है। सामग्री और श्रम अनुपात ऐसा है कि किसी भी परियोजना में उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा काफी सीमित है। मुझे लगता है, इसका एक कारण यह रहा है - जो मैंने पढ़ा है -

भ्रष्टाचार से बचने के लिए वे सामग्री-श्रम अनुपात में बहुत अधिक सामग्री खरीद नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, और बेरोजगारी एक अलग मुद्दा है। टिकाऊ संपत्ति बनाना निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है।

इसके अलावा, मुझे लगता है, स्थानीय निकायों, स्थानीय सरकारों के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले कार्यों के प्रकार का चयन करने में सक्षम होने के लिए अधिक लचीलापन भी महत्वपूर्ण है। यह सभी योजना के लिए उपयुक्त है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, हमारे पास समान मुद्दे, समान समस्याएं होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सामग्री को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की परियोजनाओं के साथ-साथ एक बेहतर प्रणाली पर कार्य करने की आवश्यकता है, पर निर्णय लेने के लिए कुछ लचीलापन होना चाहिए।

दूसरा, यह निश्चित रूप से कृषि और संगठित उद्योग दोनों से श्रम बल को कम कर रहा है। मुझे लगता है, हमारे पास इसे दिखाने के लिए आंकड़े हैं। वर्ष 2005 में, 26 करोड़ लोग कृषि कार्यबल में कार्यरत थे। वर्ष 2010 तक, यह घटकर 24.5 करोड़ हो गया है; और वर्ष 2014 तक यह घटकर 23.6 करोड़ हो गया है। इसलिए, कृषि कार्यबल में लोगों की संख्या में निश्चित रूप से कमी आई है। जबकि यह आवश्यक रूप से एक नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है, निश्चित रूप से भारत में कृषि कार्य में जितने लोग लगे हुए हैं, उसको देखते हुए, यह एक घटती संख्या होनी चाहिए। इसे लोगों को कृषि कार्यबल से औद्योगिक सेवा क्षेत्र और स्वरोजगार दोनों में ले जाना होगा। लेकिन, साथ ही, मुझे लगता है, हमें यह देखना चाहिए कि कृषि क्षेत्र किस प्रकार जीवित रहेगा। कार्यबल में यह कमी कुछ ऐसी है जिस पर ध्यान देने और योजना बनाने की आवश्यकता है, इस विभाग द्वारा नहीं, बल्कि निश्चित रूप से कृषि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हम कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण की तेज गति या किसी अन्य कदम को कैसे सुनिश्चित करने जा रहे हैं, जिसे उठाए जाने की आवश्यकता है। जैसे-जैसे कृषि करना महंगा सौदा होता जा रहा है और जो छोटी होती जा रही है, ऐसे में

कृषि को अव्यावहारिक नहीं व्यवहार्य बनाया जाना चाहिए। हमें इस देश के लिए और दुनिया के लिए भोजन चाहिए। इसलिए, हम कृषि क्षेत्र को व्यवहार्य कैसे रखें, जबकि अभी भी इस प्रकार की रोजगार गारंटी प्रदान करना कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की रोजगार गारंटी प्रदान करने के साथ साथ हमें इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि कृषि क्षेत्र को व्यवहार्य कैसे बनाया जाए।

उद्योग में भी, मैंने अपनी कंपनी के बारे में एक और अवसर पर उदाहरण दिया था। हमने वास्तव में तिरुपति में वॉक-इन साक्षात्कार लिए थे। 2000 वर्कमैन की नौकरियों के लिए, हमें उन नौकरियों के लिए केवल 200 लोग मिले। लेकिन 200 इंजीनियरिंग नौकरियों के लिए, हमें 2000 आवेदन प्राप्त हुए और 2000 लोग आए। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से मनरेगा योजना का भी इस पर प्रभाव पड़ा, जहां लोगों ने न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी सुविधाएं देने के बावजूद संगठित कार्यबल में जाना पसंद नहीं किया, जो कार्यबल को दी जानी हैं। उन्होंने उस क्षेत्र में नहीं जाना पसंद किया क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प थे।

तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है। यदि हम योजना को देखें, तो यह रोजगार गारंटी अधिनियम माना जाता है। लेकिन यह वास्तव में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार का प्रचार कर रहा है, यदि आप मुझसे पूछें। आपके पास पिछले वर्ष इस योजना में 5.18 करोड़ परिवार शामिल थे। इस योजना की शुरुआत से अब तक 1.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। किसी भी वर्ष चार करोड़ से आठ करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन, क्या इनमें भाग लेने वाले सभी लोगों को रोजगार देने योग्य बनाया जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता।

यदि आप कुशल कार्यबल की आवश्यकता को देखते हैं, तो वर्ष 2022 तक हमें भवन और निर्माण उद्योग में 3.3 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। हमें ऑटो और कॉम्पोनेन्ट उद्योग में 3.5 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। हमें अवसंरचना उद्योग में 10.3 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। हमें स्वास्थ्य सेवा में 1.3 करोड़ लोगों और परिवहन और रसद में 1.8 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। केवल ये उद्योग ही 20 करोड़

कुशल कार्यबल की आवश्यकता रखते हैं जो 2020 तक आवश्यक है, जो कि बहुत दूर नहीं है। लेकिन यह 4 से 8 करोड़ परिवार जिन्हें हर वर्ष यह लाभ मिल रहा है, उनमें से कितने को इन नौकरियों को लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है या उन्हें कुशल होने का अवसर मिल रहा है? मुझे लगता है कि यह बहुत कम संख्या है, यदि कोई हो। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में इस पैसे को लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए कैसे खर्च करना शुरू करते हैं, न केवल उन्हें रोजगार देना बल्कि भविष्य में उन्हें रोजगार देने योग्य बनाना। यह केवल सरकारी कार्यों के लिए नहीं है, जो समाज के लिए उपयोगी हो भी सकते हैं और नहीं भी, बल्कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी, जहां उनके पास कौशल है, उन्हें राष्ट्र के लिए मूल्य और संपदा के निर्माण में नियोजित किया जाएगा।

मुझे लगता है कि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। बेरोजगारी के लिए पैसे देने के बजाय, जो कि इस योजना में अभी किया जा रहा है, इसे इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे लोगों को बेरोजगार से रोजगार योग्य बनाया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए पैसे को कौशल विकास में लगाया जाना चाहिए। मेरे एक मित्र ने अधिकारों के बारे में बात की, लेकिन मैं इस सभा को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अधिकारों के साथ-साथ हर नागरिक की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और रोजगार योग्य होना निश्चित रूप से उन ज़िम्मेदारियों में से एक है।

धन्यवाद।

**श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण फ्लैगशिप प्रोग्राम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मनरेगा, 2005 को 7 सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था और वर्ष 2008-09 से देश के सभी जिलों में प्रचालनरत है। इस अधिनियम का अधिदेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए सहमति देते हैं। अब, मनरेगा उन जिलों को छोड़कर पूरे देश को कवर करता है जहां सौ प्रतिशत शहरी आबादी है।

यह प्रमुख कार्यक्रम अपनी आजीविका की तलाश में कहीं और जाने वाले अकुशल श्रमिकों के पलायन को रोकने के अच्छे इरादे से शुरू किया गया था। इसके अच्छे परिणाम मिलने लगे।

मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में, जब स्वर्गीय डॉ. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी जीवित थे, तो आन्ध्र प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत कम हो गया था। मनरेगा और स्वर्गीय डॉ. राजशेखर रेड्डी द्वारा शुरू की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, शुल्क प्रतिपूर्ति, आवास, मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना आदि के कारण गरीबी का प्रतिशत वर्ष 2004 के 29.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2014 में 9.5 प्रतिशत हो गया है। इसलिए, यह एक अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

कई राज्य सरकारों से कृषि और संबद्ध कार्यों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की मांग की जा रही है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इन राज्यों की इस मांग पर विचार करे और इस कार्यक्रम के तहत कृषि एवं अनुषंगी कार्यों को शामिल करे।

मैं अनुमेय कार्यों में शामिल किए जाने के लिए एक बहुत ही जरूरी और आवश्यक सुझाव की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे कई राज्यों में हर समय भारी बाढ़, चक्रवात और सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से जान-माल, संपत्ति, खड़ी फसलों, सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को जब तब भारी नुकसान होता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि विशेष रूप से मनरेगा के तहत आने वाले गाँवों में पुनर्निर्माण के कार्यों को लाया जाए और इस संबंध में भारत सरकार को सौ प्रतिशत लागत वहन करनी चाहिए। पिछले आठ वर्षों के दौरान, श्रमिकों को मजदूरी के रूप में लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2014-15 में मनरेगा के तहत बजट प्रावधान 34,000 करोड़ रुपये है।

रिपोर्टों के अनुसार, 54 प्रतिशत मनरेगा कर्मचारी महिलाएं हैं और लगभग 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। इसके अलावा 90 प्रतिशत लाभार्थी या तो नैमित्तिक मजदूर हैं या छोटे और सीमांत किसान हैं।

वास्तव में, आंध्र प्रदेश में कई विकासात्मक कार्य किए गए हैं और कुछ स्थायी संपत्ति भी सृजित की गई है।

गरीब लोगों की काफी शुष्क भूमि को खेती के अंतर्गत लाया गया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की सामुदायिक संयुक्त कृषि भूमि पर बागवानी रोपण किया गया, जो अपनी भूमि पर काम करते हैं और मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान प्राप्त करके बागवानी से संबंधित पौधे लगाते हैं, और इस प्रकार संपत्ति का सृजन करते हैं। नतीजतन, खेतिहर मजदूर किसान बन गए हैं।

लगभग सभी ऊपरी क्षेत्रों में, लोगों के एक स्थान से दूसरे क्षेत्रों को होने वाले प्रवासन को काफी स्तर तक कम कर दिया गया है। मजदूरी चाहने वाले की सौदेबाजी करने की क्षमता इष्टतम स्तर तक बढ़ गई है जिससे उन्हें अधिकतम मजदूरी मिलती है और इस तरह स्थायी आजीविका प्राप्त होती है । मनरेगा के तहत किए गए फील्ड चैनल और फीडर चैनल कार्य फसलों की बढ़ी हुई उपज के साथ किसानों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। जल संचयन संरचनाओं जैसे कि परकोलेशन टैंक, मिनी परकोलेशन टैंक, चेक डैम, सिंचाई टैंक, डगआउट तालाब, परकोलेशन टैंकों की डी-सिल्टिंग आदि को अपनाकर भूजल स्तर बढ़ाया जाता है। ग्रामीण संपर्क गांव के कोने-कोने में एक प्रमुख विकास है, जिसमें मिट्टी की सड़कें और बजरी की सड़कें जैसे मनरेगा के तहत किए गए काम शामिल हैं। निचले क्षेत्रों के समतलीकरण से संबंधित मनरेगा के तहत कार्य पानी के ठहराव को रोकते हैं और इस तरह ग्रामीण लोगों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। आई.एच.एच.एल. का निर्माण करके, ग्रामीण गरीबों में साफ सफाई में बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा के तहत डंपिंग यार्ड की खुदाई भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता उपायों में सुधार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

उपरोक्त को देखते हुए, मनरेगा योजना रोजगार प्रतिभूतियों को प्रदान करने और इस प्रकार ग्रामीण गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। मनरेगा सबसे गरीब लोगों को न्यूनतम आजीविका प्रदान करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को भी कम करता है ।

ग्रामीण लोगों में यह आशंका है कि इस कार्यक्रम को कमजोर किया जा सकता है। मैं सरकार से इस संदेह को दूर करने का आग्रह करता हूँ। सरकार को इस कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए और गांवों में स्थायी संपत्ति बनाने के लिए अच्छी तरह से निगरानी करनी चाहिए। ऐसी भी रिपोर्ट है कि मनरेगा निधि को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है और वास्तविक कार्डधारकों का दुरुपयोग करके कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलीभगत से असामाजिक तत्वों द्वारा भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को इस योजना के सुचारू संचालन के लिए ऐसी सभी अनियमितताओं की जांच करना सुनिश्चित करना चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा सदन में शुरू हुई है, अच्छा होता कि इस चर्चा में यह तय होता कि मनरेगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो शायद ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष और सार्थक बहस होती। मैं अखबारों की कटिंग देख रहा था कि नवंबर में दो बार खुद भारत सरकार के मंत्री ने कहा है कि मनरेगा पर ऐसा कोई संकट नहीं है तो यह बहस किस दिशा में जा रही है, इस पर मुझे आश्चर्य होता है। 5 सितंबर, 2005, मैं जानबूझकर यह आंकड़ा बोल रहा हूँ, इस दिन मनरेगा की घोषणा हुई 2 फरवरी 2006 में दो सौ जिलों से यह योजना प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 2007 को फिर से इसमें 113 जिलों को जोड़ा गया। 15 मई 2007 को फिर 17 जिलों में विस्तार हुआ। 1 अप्रैल 2008 में सभी जिले और 646 ब्लॉक्स में यह योजना शुरू हो गई। आठ वर्षों में भारत सरकार ने 1 लाख 63 हजार 675 करोड़ रूपया टोटल खर्च किया है। 1657 करोड़ इसमें श्रम दिवस बने। पांच करोड़ परिवार इसमें शामिल हुए। एससी, एसटी मज़दूरों की जो हिस्सेदारी है वह 48 प्रतिशत है। जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, उस पर भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। नियम था कि 33 फीसदी महिलाओं को काम मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश में 43 फीसदी को मिला, जो कि 10 प्रतिशत ज्यादा है। जहां तक एससी मज़दूरों का सवाल है, 14 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत है, मध्य प्रदेश में 28 प्रतिशत को काम मिला है। ऐसे ही जॉब कार्ड के बारे में भी हो सकता है। आंकड़ों को बताया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जरूरी यह है कि वास्तव में मनरेगा को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। सरकार पर आरोप लग रहा है, लेकिन कार ने तो अपनी बात कह दी है। इस देश में 13 करोड़ 19 लाख जॉब कार्ड हैं। लेकिन कुल मिला कर जो आंकड़ा सरकार का है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें 6 करोड़

58 लाख कुल जॉब कार्ड ही सक्रिय रहे हैं, यदि यह संख्या आधे से भी कम है। मुझे लगता है कि जिनके पास भी यह पैसा गया है, जिन राज्य सरकारों के पास पैसा गया है, क्या उसका मूल्याँकन नहीं होना चाहिए?

देश में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें यह आँकड़ा बड़ा साफ है कि मनरेगा का पैसा तो गया, लेकिन उससे रोजगार सृजित हुए या नहीं सृजित हुए। जो पैमाने रखे गए, अगर हमें सौ दिन का एक मजदूर को जॉब देना है, क्या वास्तव में किसी भी राज्य सरकार ने उस आंकड़े को प्राप्त किया है? यह सबसे अहम सवाल है। मुझे लगता है कि जो आधिसूचना भारत सरकार ने 21.07.2014 को जारी की है, उस आधिसूचना को मुद्दा बनाकर जिस प्रकार की बहस देश के सामने छेड़ने की कोशिश है, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से राजनीतिक बहस है। इसलिए मैंने शुरूआत इसी बात से की थी कि यह ज्यादा अच्छी बहस होती कि देश की इतनी बड़ी राशि मनरेगा के नाम पर सामने आयी। उसके क्या परिणाम निकले, क्या हमने लक्ष्य की प्राप्ति की है, तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा सार्थक और निष्पक्ष बहस होती। लेकिन आरोप के आधार पर कहना, क्योंकि अगर भारत सरकार के मंत्री ने बयान दिया तो फिर उसके बाद बहस नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था कि साठ प्रतिशत मजदूरों को मजदूरी जाएगी और चालीस प्रतिशत दूसरी जगह पर काम होगा, आँकड़ा कहता है, रिपोर्ट कहती है कि 77 फीसदी ऐसे अप्रशिक्षित मजदूरों को यह पैसा बाँट दिया गया, जिससे न तो कोई रोजगार सृजित हुआ, न कोई असेट तैयार हुआ, तो आखिर इस पैसे का दुरूपयोग ही तो हुआ है। अगर बाकी रिपोर्टों में हम इसमें देखें कि वास्तव में प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी क्या है तो मेघालय में सबसे कम 153 रूपए मिलते हैं और हरियाणा में सर्वाधिक 236 रूपए मजदूरी है। लेकिन औसत मजदूरी की जो रिपोर्ट भारत सरकार की है, यह इस सरकार की रिपोर्ट नहीं है, यह पिछली रिपोर्ट है, उसमें 132 रूपए प्रति व्यक्ति से ज्यादा औसत मजदूरी नहीं है। इसके कारण बड़े साफ हैं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। क्या वास्तव में मजदूर काम करता है, क्या उसको मजदूरी महीने, दो महीने, तीन महीने में मिल जाती है? उसे समय पर मजदूरी नहीं मिलती है। यह सच्चाई है कि क्रियान्वयन का जो पक्ष है, वह राज्य सरकार का पक्ष है। अगर आप वहाँ विफल हैं, तो वकालत करते समय अपनी राज्य सरकार के तथ्य को

रखिए। पश्चिम बंगाल के बंधु अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। आँकड़े कहने में तो आपको बहुत सुविधा होगी, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है, वह बिल्कुल भिन्न है। इस नाते जो औसत आँकड़ा है, वह मेघालय से भी कम है। जो सबसे कम, जो न्यूनतम मजदूरी है, उसे कम मजदूरी मनरेगा का मजदूर लेता है, यह रिपोर्ट ऐसा कह रही है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब आप वर्ष 2013-14 की बात करते हैं, जो अधिसूचना सरकार लेकर आयी है। उन्होंने कहा कि जल-संरक्षण है, एस.सी., एस.टी. पर है, बाकी सिंचाई का पक्ष है, ग्रामीण सड़कें हैं, भूमि विकास के लिए काम करने की बात है। अगर सरकार यह कह रही हैं कि इस पैसे का उपयोग कृषि क्षेत्र में होना चाहिए तो इसमें बुराई क्या है? एक और आँकड़ा है, जो बहुत गंभीर आँकड़ा है, जिसका जिक्र हमारे मित्र कर रहे थे कि जो वैकल्पिक रोजगार है, इसके बाद जो मिलना चाहिए था, आठ साल में लाखों-करोड़ रूपए खर्च करने के बाद भी वैकल्पिक रोजगार मध्य प्रदेश में 2 प्रतिशत है, आन्ध्र प्रदेश में 6 प्रतिशत है, राजस्थान में 14 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि इतनी लम्बी मजदूरी के बावजूद भी, इतने सारे अवसर प्रदान करने के बाद भी आप कुशल मजदूर पैदा नहीं कर सके। वे वैकल्पिक रूप से दूसरी मजदूरी की तरफ प्रवृत्त नहीं हुए। क्या इस आंकड़े को नजरंदाज किया जाना चाहिए?

क्रियान्वयन की जो कमियाँ हैं, जो भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट में रखी हैं, जो जानकारी और जनभागीदारी की बात इस योजना के पीछे थी, जो गाँधी जी का विचार है, जो दीनदयाल जी का विचार है, जो लोहिया जी वा विचार है, सरकार धन दे, लेकिन उसमें जनभागीदारी कितनी है। जितनी भी रिपोर्ट्स आयी हैं, चाहे वह राज्य की रिपोर्ट हो, चाहे केन्द्र की रिपोर्ट हो, वह रिपोर्ट आपके रहते आई है। उसमें साफ है की एक तो जानकारी का बेहद अभाव है और जनभागीदारी की भीषण कमी है।

दूसरी बात, इसमें कार्यकर्ता, जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूरों के अलावा जिनको यह काम कराना है, उन कर्मियों का इतनी कमी थी, जिसके मूल्याँकन को कभी किया नहीं जा सकता। तीसरी बात थी कि

परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, उसकी गुणवत्ता, उसका टिकाऊपन, उसकी उपयोगिता, उसके बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं है। मैं जो आँकड़ा देखा रहा था, उसमें अधूरे काम दस लाख से ज्यादा हैं। कुल सोलह लाख उसमें पूरे हुए हैं और दस लाख अभी हुए नहीं हैं, वे ऑनगोइंग के नाम पर हैं। जो काम चल रहे हैं, उनकी संख्या मैं नहीं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह जो परिस्थिति है, इसके जिम्मेदार कौन हैं? मजदूरी के विलम्ब के बारे में मैंने पहले भी कहा था। यह विलम्ब अगर हुआ है तो आज भी सात-सात महीने से गाँव में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। अब आप कहेंगे कि क्या यह भारत सरकार का गुनाह है, पैसा तो पहले से आपके पास है, आपके पास एक्सेस मनी रही है, लेकिन अगर भुगतान नहीं हुआ है तो यह किस तन्त्र की कमी है? यह रिपोर्ट ने भी कहा है। जहाँ तक गलत आयोजना और निधियों की बात है, इसी बात पर सारे सदन को बहस करनी चाहिए कि जो राशि है, उसकी निधियों का हम किस प्रकार से मूल्यांकन करें, कोई प्लान हमारे पास है या नहीं है, इसकी चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** कृपया एक मिनट के लिए रुकें। चर्चा कल भी जारी रहेगी।

सभा कल 16 दिसंबर, 2014 के पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**<u>सायं 6.00 बजे</u>**

*तत्पश्चात लोक सभा* मंगलवार, 16 दिसंबर, 2014 / 25 अग्रहायण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

# इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

**लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण**

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

**© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित